शिक्षा की प्रगति

1991 - 92

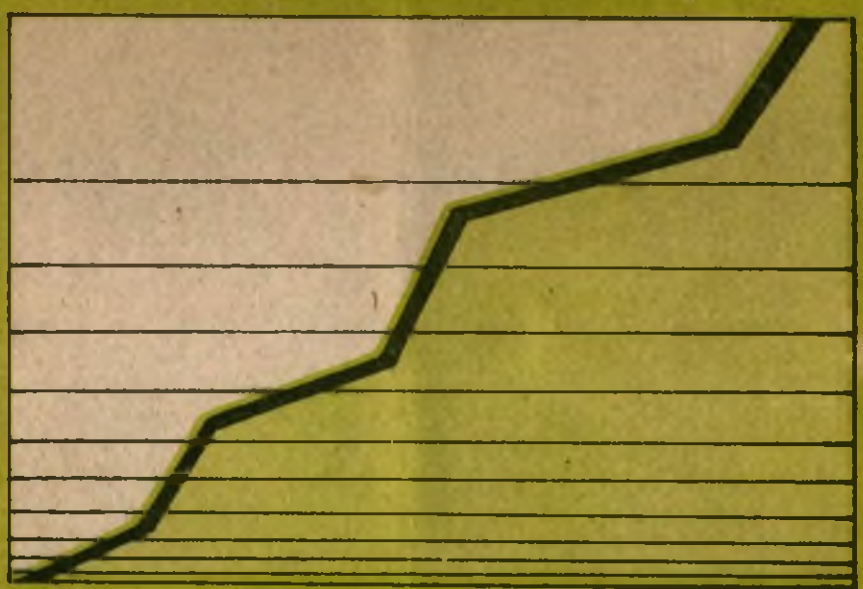

UTT-S

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

सामान्य शिक्षा

1991-92

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D- 7280
DOC, No ....
Date 26-11-92

विषय सूची

क्रम-संख्या	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ-संख्या
1	सामान्य पर्यवेक्षण	1—5
2	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अनौपचारिक, बालाहार एवं पुष्टाहार शिक्षा	6—13
3	माध्यमिक शिक्षा/पत्राचार शिक्षा	14—21
4	उच्च शिक्षा	22—23
5	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	24—27
6	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश	28—43
7	अध्यापक प्रशिक्षण	44—47
8	दक्षिण भारतीय एवं अन्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की राज्य भाषाओं की शिक्षा	48—49
9	संस्कृत शिक्षा	50—51
10	उर्दू, अरबी तथा फारसी शिक्षा	52—56
11	पुनर्व्यवस्था योजना एवं कार्यानुभव योजना	57—58
12	पुस्तकालय	59—60
13	पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	61—66

सारिणियों की सूची

1	शिक्षा के लिये निर्दिष्ट बजट	67
2	शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों के लिये बजट	68—69
3	प्रबन्धानुसार शिक्षा संस्थायें (सामान्य शिक्षा)	70
4	विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें	71
5	संस्थानुसार छात्रों की संख्या	72
6	संस्थानुसार अध्यापकों की संख्या	73
7	स्तरानुसार विद्यार्थियों की संख्या	74
8	माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या	74
9	हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या	75
10	इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या	76
11	संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता	76
12	अरेबिक मदरसों की संख्या और राजकीय सहायता	77
13	प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थायें	77
14	प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें (छात्र संख्या)	78
15	रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं द्वारा संचालित परीक्षाओं का अन्तिम तीन वर्ष का परीक्षाफल	79
16	माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का अंतिम तीन वर्षों का परीक्षाफल	79

सारिणियों की सूची--समाप्त

क्रम-संख्या		पृष्ठ-संख्या
17	30 सितम्बर, 1991 को जनपद/मण्डलवार जूनियर बेसिक विद्यालयों, विद्यार्थियों/अध्यापकों की संख्या	80---82
18	30 सितम्बर, 1991 को जनपद/मण्डलवार सीनियर बेसिक विद्यालयों, विद्यार्थियों, अध्यापकों की संख्या	83---85
19	30 सितम्बर, 1991 को जनपदवार/मण्डलवार विद्यालयों, विद्यार्थियों, अध्यापकों की संख्या	86---88
20	31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार जनपदवार महाविद्यालय, छात्र एवं अध्यापक संख्या	
21	वर्ष 1991 के अनुसार जनपदवार क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं साक्षरता	92---94

संलग्न ग्राफों की सूची

1	उत्तर प्रदेश के स्कूल तथा कालेजों की छात्र संख्या	5
2	प्राथमिक विद्यालय	13---14
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	
4	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	

अध्याय—1

सामान्य पर्यवेक्षण

मानव विधाता की सर्वोत्तम कृति है तथा शिक्षा मानव जीवन को समुचित रूप से परिष्कृत करके सार्थक बनाने का सशक्त माध्यम शिक्षा है ।

शिक्षा ही मनुष्य को समस्त मानवीय गुणों से सम्पन्न करके अखिल विश्व के प्राणिमात्र में उसे गौरवपूर्ण उच्चतम श्रेणी पर आसीन कराती है । विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ-साथ शिक्षा या सशक्त माध्यम ही विकासोन्मुख प्रगति की ओर उत्तरोत्तर गतिमान करते हुये उसमें धैर्य, विवेक, सहिष्णुता, सांस्कृतिक सम्पन्नता, बौद्धिक और सामाजिक सफलता आदि ऐसे मानवोचित गुणों से अलंकृत करते हुये उन्हें युगानुकूल समाज के परिवर्तित परिवेश में एवं सुगम, सहज और सुखमय जीवन जीने की कला में निष्णात बनाकर आदर्श मानव की श्रेणी में पंहुचा देती है । इस कथन की सार्थकता के प्रमाणस्वरूप अतीत के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें शिक्षा के प्रभाव से अनेक महापुरुषों ने देश को समय-समय पर अनेक अज्ञातात एवं अप्रत्याशित लाभ देकर गौरवान्वित किया है । यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति विविध रूपों में देश और समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है । इन तथ्यों को और अधिक विश्लेषित करने से वह एक मानव के रूप में निज के लिये, एक संरक्षक अथवा अभिभावक के रूप में अपने कुटुम्ब के लिये एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में प्रजातांत्रिक प्रशासन व्यवस्था के लिये, एक सच्चे समाज सेवी के रूप में समाज के लिये अथवा एक उद्बुद्ध नेता सजग प्रहरी या दिशादाता के रूप में सम्पूर्ण मानव समाज सहित निज देश से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक के लिये लाभ का स्रोत बन सकता है ।

इसी दृष्टि से वर्तमान समय में देश-प्रदेश में सुनियोजित शैक्षिक विकास हेतु सुलभ वित्तीय संसाधनों का अनुशासनिक प्राविधान किया जा रहा है । देश के परिवर्तित परिवेश और वर्तमान सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाओं, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ शैक्षिक नीति में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के लिये सतत् प्रयत्न चल रहा है ।

अब तक शिक्षा के लिये बनायी गयी योजनाओं और परियोजनाओं में इस बात के लिये सतत् प्रयोग किये गये हैं कि इनके क्रियान्वयन के माध्यम से शिक्षा की विषयवस्तु में परिवर्तन अध्यापन की उन्नत पद्धतियों की ग्राह्यता परीक्षा प्रणाली में स्तरोन्नयन, पाठ्य-पुस्तकों के अध्ययन, अध्यापन और प्रशिक्षण में यथेष्ठ सुधार लाये जा सकें ।

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की वर्तमान संरचना एवं व्यवस्था में समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक सम्वर्द्धन के लिये प्रयास चल रहा है । भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति सम्बन्धी दस्तावेज प्रसारित होने पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विचार गोष्ठियां अक्तूबर, 1985 तक आयोजित की गयीं । इन गोष्ठियों में प्राप्त सुझाओं एवं संस्तुतियों के संकलन मण्डलीय स्तर पर किया गया, नवम्बर, 1985 के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें समाज के सभी वर्गों से आमंत्रित प्रतिभागियों द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं आयामों जैसे प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, महिला शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों के निर्णय, आदि पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया । राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी में प्राप्त सुझाव एवं संस्तुतियां भारत सरकार को प्रेषित की गयीं ।

उत्तर प्रदेश 2,94,411 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में स्थित है । इसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर अनन्तिम आंकड़ों के मिलने तक 138760417 है । इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर इसे देश के विशालतम प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है । शिक्षा जगत की सार्थक और व्यापक व्यवस्था के अनुरूप कार्य संपादन में सुविधा की दृष्टि से इस पूरे प्रदेश का विभाजन विभिन्न 13 मण्डलों में किया गया है । प्रत्येक मण्डल के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन के निमित्त एक मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक, बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु एक-एक मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के कार्यालय हैं । मण्डल स्तर के बाद जनपदीय स्तर पर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रदेश के सभी 63 जनपदों में एक-एक जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा की व्यवस्था और नियंत्रण के लिये सभी जनपदों में एक-एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित किये गये हैं ।

उक्त के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रदेश का विभाजन 895 विकास खण्डों में किया गया है जिसमें से ग्रामों की संख्या 1,12,561 है । सन् 1991 की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश में कुल जनसंख्या 138760417 में से 46871095 व्यक्ति साक्षर हैं, जो कुल जनसंख्या के 33.78 प्रतिशत हैं । 0–6 वर्ष के बच्चों को साक्षर नहीं माना जाता है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना—

वर्ष 1969–70 में एन0 सी0 सी0 की अनिवार्यता समाप्त कर भारत सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों के साथ-साथ इस प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों के 2,500 प्रथम डिग्री स्तर के छात्रों पर राष्ट्रीय सेवा योजना लागू की गई थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अनुशासन की भावना जागृत करना, चरित्र निर्माण तथा छात्रों को मिल-जुल कर रचनात्मक कार्यों में लगाना है । इस योजना के अन्तर्गत 7:5 के अनुपात में व्यय वहन करने के लिये भारत सरकार वचनबद्ध है ।

योजना की उपादेयता को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1974–75 में इसे सामान्य कार्यक्रम तथा विशेष शिविर कार्यक्रम में बांट दिया गया । प्रति वर्ष जितने छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित किये जाते हैं, उसके आधे छात्र दस दिवसीय विशेष शिविरों में भी भाग लेते हैं । इस योजना में प्रति वर्ष छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है ।

वर्ष 1969–70 में छात्र संख्या 2,500 के विरुद्ध वर्ष 1986–87 में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को 96,000 छात्र संख्या सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत और 48,000 छात्र संख्या विशेष शिविरों के लिये आवंटित की गई थी । राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों की प्रगति निम्नवत् है :

वर्ष	भारत सरकार द्वारा आवंटित छात्र संख्या	विश्वविद्यालयों की संख्या	महाविद्यालयों की संख्या	योजना के अन्तर्गत वास्तविक रूप से प्रवेश के लिये छात्र/छात्रायें		
				छात्र	छात्रायें	योग
1	2	3	4	5	6	7
1982–83	72,000	20	356	48,512	21,133	69,645
1983–84	74,000	20	355	50,013	21,493	71,506
1984–85	78,000	20	368	53,925	22,554	76,479
1985–86	89,000	20	378	59,753	26,761	86,514
1986–87	96,000	20	390	64,274	28,953	93,227
1987–88	1,05,300	20	..	..	..	..
1988–89	..	..	..	..	..	..

प्रौढ़ शिक्षा––

प्रौढ़ शिक्षा के व्यापक संचालन में, जिसके अन्तर्गत 15–35 वय वर्ष के निरक्षर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों तथा समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने, उन्हें जागृत करके उनकी व्यावहारिक कार्य क्षमता के स्तर को समुन्नत बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।

खेलकूद एवं युवक कल्याण––

छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ समुचित सामाजिकता एवं स्वस्थ नागरिकता का प्रशिक्षण देना और उनके शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाना तथा उन्हें चुस्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया जाना । इसके अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये कोचिंग, विजेताओं को छात्र-वृत्तियां देना, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान में विद्यालयों में पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूर्व माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार, अपना देश-अपना प्रदेश जैसी आदि योजनायें सम्मिलित हैं । विद्यालयीय खेल कूद एवं अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रम के प्रोन्नयन हेतु राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना की गई ।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कार्यक्रम

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना पूर्व धर्मस्व अधिनियम, 1980 के अधीन 1962 में हुई थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे अध्यापकों और उनके आश्रितों को सहायता देने की व्यवस्था करना है, जो विपन्न स्थिति में हों ।

अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के योजनान्तर्गत मृत अध्यापकों के आश्रित, अवकाश प्राप्त अध्यापकों एवं आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त कार्यरत अध्यापकों को निम्नांकित उद्देश्यों के लिये उनसे प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है ।

प्रमुख शैक्षिक स्तरों पर प्रदेश की शिक्षा की कार्य नीतियां निम्नवत् हैं :

1––प्रदेश के 6–14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम को सर्वाधिक वरीयता प्रदान की जाती है । इस आधार पर शिक्षा के वार्षिक बजट का अधिकांश भाग इस महत्वपूर्ण कार्य पर व्यय करने का उद्देश्य रहता है ।

2—शिक्षण कार्य में किन्हीं कारणों से उत्पन्न ह्रास एवं अवरोध को समाप्त करने के लिये वर्तमान में पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावोत्पादक एवं उपयोगी बनाने हेतु विद्यालयों की धारण-क्षमता में अभिवृद्धि की जाती है ।

3—अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में विशेष बल दिया जाता है ।

4—समाज के निर्बल वर्ग के शिक्षार्थियों के लिये निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, मध्यान्ह अल्पाहार तथा छात्रवृत्तियों की अधिकाधिक व्यवस्था की जाती है ।

5—प्राथमिक शिक्षा के परिवेश में सुधार हेतु नये भवनों के निर्माण के साथ पुराने भवनों में सुधार तथा उनमें अन्य आवश्यक उपकरणों और शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है ।

6—गत सर्वेक्षण के आधार पर वरीयता-क्रम में नये विद्यालय खोले जाते हैं

अनौपचारिक शिक्षा—

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का क्रियान्वयन किया गया है । इस योजना के संचालन का उद्देश्य यह है कि 6–14 वय वर्ग के ऐसे उन बालक/बालिकाओं को शिक्षित बनाना, जो किसी सामान्य प्राइमरी पाठशाला में अध्ययन हेतु नहीं जा सके या जिन्होंने अपरिहार्य आर्थिक या सामाजिक कारणों से अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की, अपितु बीच में ही जिनकी पढ़ाई बन्द हो गई । ऐसे अशिक्षित अथवा अर्द्धशिक्षित बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा और अध्ययन की शिक्षा में उन्मुख करके इसकी धारा में सम्मिलित किया जा रहा है

गुणात्मक सुधार हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं

1—प्रारम्भिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये पाठ्यक्रमों में संशोधन करना, उदाहरण के तौर पर शिक्षा को वरग से जोड़ना, समाजोपयोगी, उत्पादक कार्यों को पाठ्यक्रम में समाहित करना तथा ऐसे पाठ्यक्रमों को बच्चों के लिये प बनाना आदि ।

2—शिक्षण, परीक्षण तथा मूल्यांकन में गतिशील पद्धतियां अपनाना

3—निर्बल वर्ग के बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम निर्बल वर्ग को विशेषकर शिक्षा के प्रति उदासीन परिवारों के बच्चों को विद्यालयों में लाने हेतु निःशुल्क पुस्तकें, लेखन-सामग्री तथा बालाहार की योजनाओं का संचालन ।

माध्यमिक शिक्षा—

1—माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिये सुनियोजित नीति का अपनाया जाना तथा क्षेत्रीय असंतुलन के निराकरण के लिये माध्यमिक विद्यालयों का मुख्य रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खोला जाना ।

2—गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना, जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रम को सफल बनाना, पाठ्यक्रम के स्तर को उन्नत करना, शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाना आदि, विद्यालयों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिये इनमें अभिनव प्रयोग की योजना संचालित करना ।

3—ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, जिनसे छात्रों को पर्याप्त संख्या में मध्यस्तरीय रोजगार के अवसरों की ओर लगाया जा सके । विद्यालयी भवन, काष्ठोपकरण, प्रयोगशालाओं तथा साज-सज्जा की दृष्टि से विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाना ।

4—10 वर्षीय सामान्य शिक्षा के नये रूप के सन्दर्भ में विज्ञान की शिक्षा का विस्तार और सुधार करना ।

5—माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षण पद्धति के अभिनवीकरण हेतु पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना ।

शैक्षिक शोध एवं अध्यापक प्रशिक्षण—

शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान को विशिष्ट गति देने की दृष्टि से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना ।

प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के अध्यापकों की सेवाकालीन शैक्षिक सुविधाओं को विस्तृत एवं व्यापक बनाना और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समुन्नत करना ।

उच्च शिक्षा—

उच्च शिक्षा के साथ उसके सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाना ।

1--मृत, अवकाशप्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों के अध्ययनरत विकलांग बच्चों को एक शैक्षिक सत्र के लिये निम्नांकित दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :

	रु0	
(1) कक्षा 3 से 8 तक	350	एकमुश्त
(2) कक्षा 9 से 10 तक	500	,,
(3) कक्षा 11 से 12 तक	800	,,
(4) स्नातक/स्नातकोत्तर, सी0टी0, एल0टी0/एम0बी0बी0 एस0/टेक्निकल आदि	1,000	,,

2--मृत अध्यापकों के आश्रितों, जिनका कोई बालिग पुत्र रोजगार करने योग्य न हो तथा अवकाशप्राप्त अध्यापकों को, जिनका मासिक पेंशन की धनराशि 500 रु0 से अधिक न हो, भरण-पोषण हेतु 150 रुपये मासिक दर से कम से कम एक वर्ष तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दी जाती है ।

3--मृत अध्यापकों तथा अवकाशप्राप्त अध्यापकों, जिनकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर 15,000 रु0 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) से अधिक न हो, की पुत्री जिसका आयु 18 वर्ष से कम न हो, की शादी हेतु 3,000 रुपये एवं 5,000 रु0 तक की एकमुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

4--मृत अध्यापकों के आश्रितों, अवकाशप्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों को, जिनकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर 15,000 रु0 (रुपया पन्द्रह हजार मात्र) से अधिक न हो स्वयं की अथवा उनके आश्रितों की चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत अथवा अन्य डाक्टरों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रमाण-पत्र में अंकित बीमारी की गम्भीरता को देखते हुये 500 रु0 से 5,000 रु0 मात्र की एकमुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

उक्त नियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु एतदर्थ गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तथा समिति के अनुमोदनोपरान्त सहायता स्वीकृत की जाती है । अपूर्ण अथवा अनियमितगर्त प्राप्त हुये प्रार्थना-पत्र निरस्त हो जाते हैं ।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 1989-90 में शिक्षक दिवस के अवसर पर दिनांक 30 सितम्बर, 1989 तक लगभग 2,58,600 रुपये की धनराशि एकत्र की गई । एकत्रित धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि शिक्षकों अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गयी है :

स्वीकृत की गई सहायता का विवरण	स्वीकृत धनराशि
1	2
	रु0
1--अवकाशप्राप्त अध्यापकों, मृत अध्यापकों के आश्रितों को भरण-पोषण की आवर्तक सहायता (150 रु0 प्रति अभ्यर्थी की दर से) कुल 41 अभ्यर्थी	73,800.00
2--अध्यापकों एवं मृत अध्यापकों के 56 आश्रितों को उनकी बीमारियों को देखते हुये 500 रु0, 1,000 रु0, 2,000 रु0 एवं 3,000 रु0 तक की दर से एकमुश्त धनराशि	66,000.00
3--मृत अध्यापकों के आश्रितों एवं अवकाशप्राप्त अध्यापकों के 18 अभ्यर्थियों को उनकी पुत्री की शादी हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता 2,000 रु0 तथा 3,000 रु0 प्रति अभ्यर्थी की दर से	54,000.00
4--अध्यापकों के अध्ययनरत 4 विकलांग छात्रों की छात्रवृत्ति	2,200.00
5--कार्यरत मृत अध्यापकों की 25 विधवाओं को एकमुश्त त्वरित आर्थिक सहायता	61,000.00
कुल योग ..	2,57,000.00

अन्य कार्यक्रम

1--बाल हार एवं पुष्प हार--शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक दक्षता के लिये पूर्व विद्यालयीय शिशुओं, गर्भवती महिलाओं एवं विद्यालयीय (6-11) वय वर्ग के बच्चों के लिये योजना का संचालन ।

2--पुस्तकालय नीति--शिक्षा के सभी स्तरों के कार्यक्रमों की आधुनिक पुस्तकालय व्यवस्था को समर्थन प्रदान करना ।

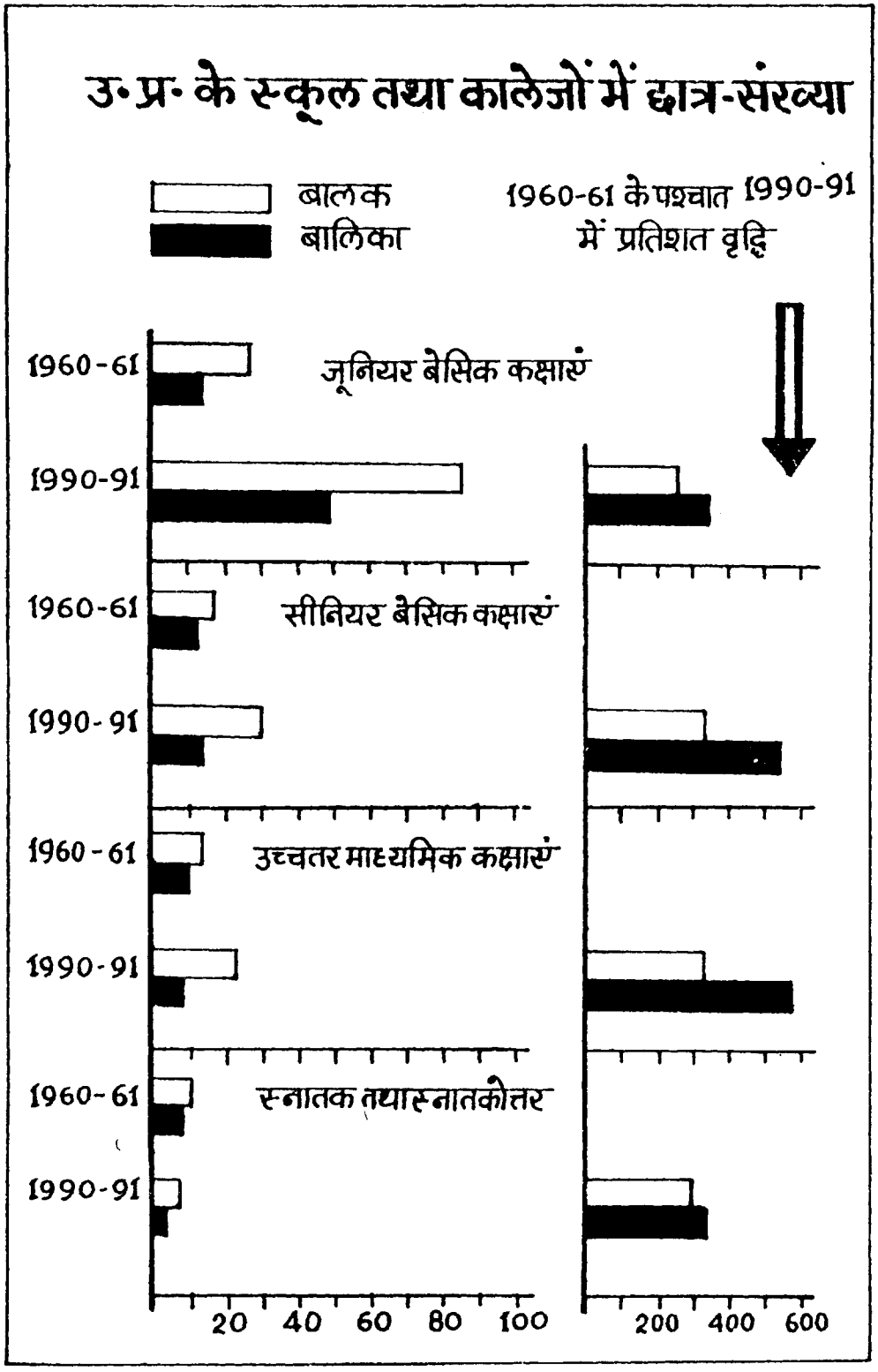
उ॰प्र॰ के स्कूल तथा कालेजों में छात्र-संख्या
बालक
बालिका
1960-61 के पश्चात 1990-91 में प्रतिशत वृद्धि
1960-61
1990-91
जूनियर बेसिक कक्षाएं
1960-61
1990-91
सीनियर बेसिक कक्षाएं
1960-61
1990-91
उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं
1960-61
1990-91
स्नातक तथा स्नातकोत्तर
20 40 60 80 100
200 400 600

3--शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के नियोजन एवं अनुश्रवण हेतु शिविर कार्यालय, लखनऊ नियोजन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोष्ठक की स्थापना ।

4--अध्यापकों की नियुक्तियों में निष्पक्षता की दृष्टि से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा (दोनों ही स्तर के लिये) सेवा आयोगों की स्थापना ।

5--हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं, जैसे संस्कृत, उर्दू आदि का समुचित विकास किया जाना तथा उनके साहित्य में अभिवृद्धि हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रमों का संचालन किया जाना ।

6--राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से कक्षा 1-12 तक की भाषा और इतिहास की पुस्तकों की समीक्षा किया जाना ।

7--राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का युवा शिविर आयोजित करना ।

8--राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम एवं नैतिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में सामुदायिक गायन आरम्भ करना ।

9--उत्तर प्रदेश की इनसेट योजना के अन्तर्गत चुन लिये जाने के कारण शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसमें प्रगति हेतु शैक्षिक टेलीविजन निर्माण केन्द्र का शीघ्र ही लखनऊ नगर में स्थापित किया जाना ।

उक्त सभी नीतियों से स्पष्ट है कि देश और समाज की नवीनतम आवश्यकताओं और राष्ट्रीय आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के माध्यम से प्रदेश में उत्तरोत्तर नये-नये अध्याय उद्घाटित हो रहे हैं । उन्हें उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के सभी स्तरों पर समाज एवं राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास में सहायक कार्यक्रमों का समावेश किया जा रहा है, जिससे इस संशोधित एवं परिमार्जित शिक्षा व्यवस्था से प्रदेश की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी अधिकाधिक लाभान्वित हो सके ।

अध्याय 2

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अनौपचारिक, बालाहार एवं पुष्टाहार शिक्षा

1—पूर्व प्राथमिक शिक्षा—

नर्सरी (शिशु शिक्षा) 3–6 वय वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं को दी जाती है। पूर्व प्राथमिक (नर्सरी शिक्षा) की व्यवस्था अधिकाँशतः निजी संस्थाओं द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित नीति निर्देशक सिद्धान्तों के तहत चौदह वर्ष तक के बालकों/बालिकाओं को शिक्षित करने की नीति पर आधारित 3–6 वय वर्ग के शिशुओं के शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु ही इन नर्सरी विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में इस समय सम्प्रति नर्सरी विद्यालय संचालित हैं। इनमें से प्रदेश के 45 ऐसे स्थायी मान्यताप्राप्त अशासकीय नर्सरी के० जी० एवं मान्टेसरी विद्यालय विभागीय सूची पर हैं। इनमें लगभग 14,000 बच्चे नर्सरी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी इन संस्थाओं में लगभग 600 शिक्षक एवं 3,000 शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं।

वैसे तो उक्त प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक राजाज्ञा संख्या बी–7136/पन्द्रह–1318–1955, दिनाँक 28 नवम्बर, 1956 में प्राविधानों के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, निर्देशिका को 130–6–168–द० रो०–5–200 रु० एवं प्रशिक्षित इण्टर सहायक अध्यापक/अध्यापिका को 75–5–110–द० रो०–6–140–7–175 रु० के वेतनमानों में वेतन दिया जाता रहा है, जिनमें वर्ष 1986–87 से दिनाँक 1 मार्च, 1986 से अब शासनादेश संख्या शिक्षा 6–1931/पन्द्रह (6)–9 (7)–73, दिनाँक 20 मई, 1976 द्वारा प्रस्थापित उत्तर प्रदेश मान्यताप्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1971 के अनुसार परिषदीय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिये अनुमन्य निम्नांकित वेतनमान तथा महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता अनुमन्य कर दिये गये हैं :—

(1) प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका .. 1350–2070 रु०।

(2) सहायक अध्यापक/अध्यापिका .. 1100–30–1550–द० रो०–40–1710 रु०।

(3) लिपिक .. 950–20–1150–द० रो०–25–1500 रु०।

(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी .. 750–12–870–द० रो०–14–940 रु०।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के कतिपय स्थायी मान्यताप्राप्त अशासकीय नर्सरी विद्यालयों को, जो विभागीय अनुदान सूची पर हैं, आवर्तक अनुदान स्वीकृत करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु० ... लाख का प्राविधान किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा (जूनियर बेसिक)—

देश-प्रदेश के जन-मानस में शैक्षिक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा जगत की मूल शृंखला एवं आधार शिला है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में इसे सर्वाधिक वरीयता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके मूल्यांकन के ही आधार पर कदाचित, स्व० भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी द्वारा इसे बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित कराकर प्रमुखता दिखाई गई थी। यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में प्रत्याशित अभिवृद्धि, सुधार, परिवर्द्धन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, जिसका ही एक अंश शिक्षा नीति में परिवर्तन भी है।

इस समय प्रदेश में 30 सितम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षण हेतु 78,085 विद्यालय संचालित हैं तथा पर्वतीय क्षेत्र में 30 सितम्बर, 1991 के उपरान्त 255 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है।

इन विद्यालयों की कक्षा 1–5 तक में अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राओं का वर्ष 1991–92 में कुल छात्र नामांकन लक्ष्य 15,460 हजार निर्धारित है जिसमें बालिकाओं का नामांकन लक्ष्य 6,050 हजार रखा गया है।

(ख) जूनियर बेसिक स्कूल (मैदानी) जनपद—

अष्टम् पंचवर्षीय योजना अवधि के वर्ष 1991–92 में मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 2,270 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों को खोलने हेतु 2,76,940 हजार रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 1991-92 में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकीकरण के उद्देश्य से छात्र नामांकन का लक्ष्य और उसकी सितम्बर, 1991 तक की स्थिति निम्नवत् है :

औपचारिक शिक्षा

(संख्या हजार में)

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7
1--कक्षा 1-5 प्राइमरी 1991-92	15460	6050	21510	8988	5020	14008
स्तर (6-11 वय वर्ग)	4880	1450	6330	3102	1193	4295
		अनुसूचित जाति				
1991-92 वय वर्ग (6-11)	1867	1048	2951	1837	970	2807
		अनुसूचित जन-जाति				
1991-92 वय वर्ग (11-14)	3430	1450	4880	523	197	720

(क) पर्वतीय जनपद --

अष्टम् पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 में 8 पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 255 मिश्रित नवीन जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन ने दी है ।

वर्ष 1989-90 में जिन योजनाओं में आर्थिक एवं भौतिक स्वीकृति प्रशासन ने प्रदान की है उनका विवरण निम्नवत् है :

(आंकड़े लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम		उपलब्धि (1991-92) आर्थिक	भौतिक	
1	2		3	4	
1	प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	मैदानी	8508	1418	विद्यालय
		पर्वतीय	138	230	,,
2	प्राइमरी स्कूलों में साज-सज्जा हेतु अनुदान	मैदानी	45,25	45,25	,,
		पर्वतीय	8,56	8,56	,,
3	निर्बल वर्ग के बालक/बालिकाओं की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरणार्थ अनुदान	मैदानी	शून्य	शून्य	,,
		पर्वतीय	071	23663	छात्र
4	जूनियर बेसिक स्कूलों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु अनुदान (पी0 डब्ल्यू0 डी0)	मैदानी	शून्य	शून्य	
		पर्वतीय	10,00	50	अतिरिक्त कक्ष

वर्ष 1990-91 में परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति योजनान्तर्गत 1274 अतिरिक्त अध्यापकों के पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं और उनके वेतनादि हेतु 93,37,000 रु0 स्वीकृत है तथा वर्ष 1991-92 में इनके वेतन आदि व्यय हेतु रु0 2,42,00,000 की स्वीकृति शासन ने प्रदान की है ।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वजनीकीकरण के लक्ष्य की पूर्ति होनी है। यह कार्य तभी हो सकता है जब विद्यालयों का परिवेश आकर्षक हो एवं उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता के आधार पर आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चालू की गई है। इस योजनान्तर्गत

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न 37 वस्तुएं दी जायेंगी, ताकि सभी विद्यालयों के पास न्यूनतम शैक्षिक खेल-कूद आदि की सुविधायें उपलब्ध हो जाये और बच्चे आकृष्ट होकर अधिकाधिक मात्रा में नामांकन कराकर शिक्षण ग्रहण करें, ताकि सार्वजनीकरण का लाभ यथा शीघ्र प्राप्त हो सके ।

यह योजना वर्ष 1987–88 से लागू की गई है । प्रथम वर्ष में 277 विकास खण्ड के 18,924 विद्यालयों को आच्छादित किया गया । इस निमित्त भारत सरकार से 1,51,5,07 लाख रुपये सामग्री हेतु प्राप्त हुआ है ।

वर्ष 1988–89 में 372 विकास खण्डों के 26,633 प्राइमरी विद्यालयों को अनुदानित करने हेतु भारत सरकार से 1490.41 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हो चुका है जिसमें से प्रदेश सरकार ने 18.6657 लाख रुपया स्वीकृत किया है जिसे जनपद को वितरित कर दिया गया है ।

उक्त धनराशि में से 885.83 लाख रुपये व्यय हो चुका है जिससे सामग्री का क्रय कर लिया गया है । शेष धनराशि से भी सामग्री का क्रय यथा शीघ्र कर लिया जायगा । 1989–90 में 246 विकास खण्डों में स्थित 19,831 विद्यालयों को साधन सम्पन्न बनाने हेतु भारत सरकार से रु० 1573.78 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा योजनान्तर्गत 1,756 महिला अध्यापकों की मद की स्वीकृति भी भारत सरकार से प्राप्त हुई है अभी तक प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा

इस समय प्रदेश में कुल 15328 सीनियर बेसिक विद्यालय संचालित है । कक्षा 6–8 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की सम्मिलित संख्या 4965 हजार है और अलग–अलग क्रमशः 34,47,000 और 15,18,000 है । इसी प्रकार इनमें अध्यापन कार्य में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सम्मिलित संख्या 96,000 है ।

इस वर्ष 1991–92 में आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 33 तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों के खोले जाने की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गई है । पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के 105 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुयी है । वर्ष 1991–92 में मैदानी क्षेत्र में 158 तथा पर्वतीय 93 सीनियर बेसिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार हेतु मैदानी क्षेत्र के 278 विद्यालयों के निमित्त 13.90 लाख रु० तथा पर्वतीय क्षेत्र के 60 विद्यालयों हेतु 3,00 लाख रु० शासन से स्वीकृत किया गया ।

ऐसी ही विकासोन्मुखी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों के लिये मैदानी क्षेत्र के 308 विद्यालयों को 46,20,000 रुपये की स्वीकृति शासन ने प्रदान की है तथा पर्वतीय क्षेत्र के 200 विद्यालयों में साज-सज्जा एवं शिक्षण–सामग्री के क्रयार्थ 30 लाख रु० की स्वीकृति प्राप्त हो गई ।

इसके अतिरिक्त विज्ञान शिक्षा में सुधार योजनान्तर्गत गत वर्ष 1987–88 में प्रदेश के 2,400 जूनियर हाई स्कूलों को विज्ञान शिक्षा में सुधार हेतु 1200 विद्यालय की दर से विज्ञान किट देने हैं, वर्ष 1987–88 में 28.80 लाख रु० अनुदान की स्वीकृति शासन ने प्रदान की थी । वर्ष 1988–89 में 959 विद्यालयों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु 11.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा संचालित अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का योगदान सर्व-विदित है किन्तु आर्थिक संकट के युग में अब जनता में दान आदि देने की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है जिसके कारण इन विद्यालयों के प्रबन्धकों के पास अब आय का कोई ऐसा स्रोत नहीं रह गया है जिससे वे इन विद्यालयों का सुदृढ़ कर इनका विकास एवं उन्नयन कर सकें । अतः इन विद्यालयों को विभागीय अनुदान सूची पर लेकर इनमें कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षेत्तर कर्मचारियों को वेतन वितरण अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत वेतनादि भुगतान कराने के उद्देश्य से एक योजना संचालित है ।

वर्ष 1991–92 में मैदानी क्षेत्र के 300 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 9 अर्थात् 309 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया है इस हेतु मैदानी क्षेत्र में 3.00 लाख रुपया तथा पर्वतीय क्षेत्र में 0.90 लाख रु० की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है ।

पर्वतीय क्षेत्र के अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें भवन निर्माणार्थ अनुदान प्रदान करने हेतु एक योजना संचालित है । वर्ष 1991–92 में 10 विद्यालयों को भवन अनुदान स्वीकृत करने हेतु 9.50 लाख रु० का प्राविधान किया गया था । किन्तु शासन द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ।

आयोजनागत उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त आयोजनेत्तर पक्ष में जूनियर बेसिक तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये संचालित एकमात्र अशासकीय संस्था भारत अध्यापन मन्दिर (बी०टी० सी०) यूनिट, सेवापुरी, वाराणसी को उनमें कार्यरत शिक्षण कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत किया जाता है उक्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत करने हेतु मात्र 62,000 रु० का प्राविधान है । वर्ष 1991–92 में उक्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत करने हेतु 1.20 लाख रु० के प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है ।

विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

वर्तमान युग विज्ञान का युग है विज्ञान शिक्षा के प्रभावी योगदान हेतु विद्यालयों के विज्ञान के उपकरण होने अत्यन्त आवश्यक है । इस दृष्टिकोण से भारत सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों को विज्ञान किट देने की योजना बनाई। इस योजनान्तर्गत आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आच्छादित विकास खण्डों में स्थित बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों को इन्टीग्रेटेड विज्ञान किट देने का निर्णय लिया गया। शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त पू0 मा0 विद्यालयों को विज्ञान एवं काष्ठोपकरण अनुदान हेतु वर्ष 1991-92 में कुल 95,000 रुपये का प्राविधान किया गया परन्तु शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई ।

नगर क्षेत्र के विद्यालयों को आच्छादित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन को अगले वर्ष प्रेषित किया जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि योजना में आयोजनागत पक्ष से चलाया जाना चाहिये ।

आंशिक रूप से विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा

यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। प्रथम चरण में इस योजना को प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है, प्रदेश के 13 मण्डलीय मुख्यालय के जिले तथा कानपुर, सुल्तानपुर व बलिया कुल 15 जनपद में यह योजना चलाई जा रही है। प्रत्येक जिले में एक नगर क्षेत्र के ऐसे प्राइमरी विद्यालय को चुना गया है जिसमें संदर्भ कक्ष आदि बनवाने के लिये पर्याप्त जमीन हो वहां का अध्यापक उत्साही एवं कर्त्तव्यनिष्ठ हो तथा विद्यालय के सेवित क्षेत्र में उसकी अच्छी ख्याति हो। विद्यालय में जाने के लिये साधन उपलब्ध हो सके ।

विद्यालयों के चयन के पश्चात् बच्चों का सर्वेक्षण कराया गया तथा सर्वेक्षण प्रपत्र प्रत्येक छात्रों का भरवाया गया। सर्वेक्षण प्रपत्र के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन, चयन सम्पन्न कराया गया । चयनित बच्चों का प्रवेश चयनित विद्यालयों में कराकर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य अध्यापकों द्वारा समेकित रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था है ।

इस योजना में आंशिक रूप से विकलांग बच्चों को 200 रु0 प्रति वर्ष प्रति बच्चा वर्दी भत्ता, 400 रु0 पुस्तक स्टेशनरी भत्ता, 50 रु0 माहवार प्रति बच्चा यातायात भत्ता, गम्भीर रूप से शरीर के निचले हिस्से के विकलांग को 75 रु0 प्रति माह प्रति बच्चा रक्षण भत्ता तथा 2,000 रु0 तक का विकलांगता निवारण संबंधी उपकरण, जो डाक्टर व मनोवैज्ञानिक द्वारा संस्तुत किया गया हो, पांच वर्ष में एक बार दिया जायेगा।

इसमें निम्नलिखित चार प्रकार के आंशिक विकलांग बच्चे होंगे :

(1) आंशिक मूक-बधिर 30 से 45 तक श्रवणहीन, हकलाना, तुतलाना, रुक कर या धीरे-धीरे बोलने वाला।
(2) आंशिक दृष्टियुक्त 20-200, 70-200 के मध्य ।
(3) अस्थि दोषयुक्त (शारीरिक विकलांग)।
(4) मानसिक विकलांग।

उक्त के अतिरिक्त बहु विधि उपर्युक्त में से आंशिक विकलांग।

शासन द्वारा वर्ष 1987-88 में इस योजना में 9,55,400 रु0 स्वीकृत किया गया है। प्राप्त अनुदान में 4,50,000 रु0 संदर्भ कक्ष निर्माण हेतु 30,000 रु0 संदर्भ कक्ष प्रति विद्यालय की दर से आवंटित कर दिया गया तथा अनुमोदित नक्शा भेज दिया गया है। भवन निर्माण लगभग सभी जनपदों में हो चुका है। 1,20,000 रु0 प्रति विद्यालय की दर से 30,000 संदर्भ कक्ष में उपकरण आदि क्रय के लिये आवंटित किया गया है। सामानों की सूची तथा कहां से प्राप्त हो सकता है, का स्रोत बताया जा चुका है। आंशिक रूप से विकलांग उपलब्ध बच्चों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विकलांग निर्दिष्ट उपकरणों आदि का क्रय करना है। इसमें मनोवैज्ञानिक तथा डाक्टर का परामर्श भी लिया जा सकता है ।

प्रत्येक वर्ष 10 बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जानी है। चूंकि वर्ष 1988-89 में बच्चों का चयन नहीं हो पाया था। अतः इसी वर्ष 20 बच्चों का चयन प्रति जनपद में किया गया, चयन के आधार पर प्रवेश दिलाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये छठीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में वर्ष 1979-80 से अनौपचारिक शिक्षा योजना, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के पूरक के रूप में प्रारम्भ की गई, इस योजना के अन्तर्गत 9-14 वय वर्ग के ऐसे बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है जो आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं अथवा किन्हीं परिस्थितियों के कारण प्राइमरी अथवा मिडिल स्तर की शिक्षा पूरी किये बिना ही बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिये विवश हो गये हैं, ऐसे बालक-बालिका शिक्षा से सदैव वंचित न रह जायें, अतः उन्हें उनके स्थान एवं समय की सुविधानुसार शिक्षा देने की व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत की गयी है ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन योजना के प्रारम्भ में मूलतः बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित अथवा मान्यताप्राप्त प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में रखे गये हैं। इसके साथ ही पंचायत घरों सामुदायिक केन्द्रों, पूजा-स्थलों, निजी आवासों अथवा अन्य किसी भवन में भी बालक-बालिकाओं को सुविधानुसार संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अंशकालिक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। अनुदेशकों की नियुक्ति के लिये एक मापदन्ड निर्धारित है जिसके अन्तर्गत स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया ह । नियुक्ति का वरीयता क्रम निम्नवत् है :

1--बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार युवती/महिला ।

2--शिक्षित बेरोजगार युवती/महिला ।

3--निष्ठावान, स्वस्थ एवं कुशल अवकाशप्राप्त शिक्षिका, तथा

4--उपर्युक्त वरीयता-क्रम में स्थानीय युवती/महिला के उपलब्ध न होने पर स्थानीय पुरुष अभ्यर्थी का चयन उपरोक्त वरीयता क्रम में किया जायगा ।

उपर्युक्त वरीयता क्रम में अनुदेशकों के चयन हेतु प्रत्येक जनपद में चयन समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी रखे गये हैं :

(1) परियोजना अधिकारी (अनौ० शिक्षा) --पदेन अध्यक्ष ।

(2) संबंधित क्षेत्र के न्याय पंचायतों के दो सरपंच--सदस्य परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड के प्रभारी, प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक ।

(3) संबंधित विकास खन्ड प्रभारी-अर्थात सदस्य ।

वरिष्ठतम प्रत्युप विद्यालय निरीक्षक--

कार्यक्रम के सुचारु संचालन की दृष्टि से प्रत्येक परियोजना में पांच-पांच स्वैच्छिक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है । इन पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षिकाओं द्वारा अपनी परियोजना के 20-20 केन्द्रों के निरीक्षण तथा मूल्यांकन का कार्य किया जाता है । इसके साथ ही इनके द्वारा बाल गणना, स्थान चयन आदि का भी कार्य सम्पादित किया जाता है । इनके चयन के लिये निम्नांकित चयन समिति गठित की गई है:

1--जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी	..	अध्यक्ष
2--परियोजना अधिकारी	..	सदस्य-सचिव
3--जिला हरिजन कल्याण अधिकारी	..	सदस्य
4--क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति (एक प्रधान)	..	सदस्य
5--क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	..	सदस्य

स्वैच्छिक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति के लिये निम्नांकित व्यक्तियों के मध्य से इसी वरीयता-क्रम में चयन के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं :

1--अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुदेशक ।

2--बी० टी० सी० बेरोजगार व्यक्ति ।

3--अवकाशप्राप्त सैनिक तथा राजकीय सेवक ।

4--अवकाशप्राप्त अध्यापक/प्रधान अध्यापक ।

5--समाजसेवी व्यक्ति ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी स्तर की शिक्षा 2 वर्ष में पूरी करने की योजना बनाई गयी है। इस शिक्षा के लिये ज्ञानदीप भाग 1 व भाग 2 नामक पाठ्य-पुस्तकों की रचना की गयी है। इन पुस्तकों में भाषा गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषय, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ पर्यावरण, जनसंख्या, बालिकी तथा अल्प बचत आदि विषयों पर भी पाठों का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक शिक्षक संदर्शिका, पोस्टर्स, फोल्डर तथा वर्णमाला चार्ट आदि सहायक सामग्रियों के रूप में केन्द्रों को उपलब्ध कराई जाती है ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित छात्रों को निशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तिकायें, स्लेट, पेंसिल आदि दी जाती हैं । केन्द्र का संचालन करने के लिये प्रत्येक केन्द्र को टाट-पट्टी, चार कुर्सी, फोल्डिंग एक, उपस्थिति रजिस्टर दो, स्टाक रजिस्टर दो, शिक्षक डायरी दो, पटरी दो, चाक दो, डाट पेन दो, ताला एक, मानचित्र (प्रकृति एवं राजनीतिक) उत्तर प्रदेश, भारत तथा दुनिया प्रत्येक एक चाक का डिब्बा, एक तथा डस्टर एक दिया जाता है ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले अनुदेशकों को दो फेरे में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है । केन्द्र के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रथम प्रशिक्षण 10 दिनों का तथा बाद में प्रतिमाह एक दिन का तथा पुनः 10 दिनों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार वर्ष में 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के मन्डल स्तर, जनपद स्तर तथा विकास खन्ड स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। इसके अन्तर्गत मन्डल स्तरपर विशेष कार्याधिकारी तथा उनके स्टाफ की नियुक्ति की गयी है । जिले स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा का कार्य जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है । विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड के लिये एक-एक परियोजना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ।

भारत सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को अब संशोधित रूप में संचालित करने का आदेश दिया गया है जिसके लिये निदेशालय, जिला तथा परियोजना स्तर पर निम्नांकित व्यवस्था की गई है :

शिक्षा निदेशालय हेतु	..	1—अपर शिक्षा निदेशक 2—उप शिक्षा निदेशक 3—लिपिकीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
राज्य शिक्षा संस्थान में पाठ्य पुस्तक-पाठ्यक्रम निर्माण तथा अन्य कार्यों हेतु	..	1—वरिष्ठ परामर्शी एक 2—परामर्शी चार 3—लिपिक एक
मण्डल स्तर हेतु	..	1—विशेष कार्याधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा 2—लिपिकीय चपरासी
जिला स्तर हेतु	..	1—जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी 2—वरिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक, चपरासी
परियोजना स्तर हेतु	..	1—परियोजना अधिकारी 2—सेवा लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व चपरासी

उपर्युक्त व्यवस्था प्रदेश के लिये स्वीकृत कुल 60,320 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की 596 परियोजनाओं में निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप उनके नियमन, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण को प्रभावी बनाने के लिये किया गया है । प्रत्येक परियोजना में शिक्षा केन्द्रों की संख्या 100 से लेकर 105 तक है ।

केन्द्र सरकार द्वारा मिश्रित केन्द्रों 50:50 के आधार पर तथा बालिका केन्द्र को 90:90 के आधार पर सहायता दी जाती है । वर्ष 1989-90 में केन्द्र सरकार द्वारा 30,160 मिश्रित तथा 30,160 बालिका केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु वर्ष 1991-92 के बजट में निम्नलिखित धनराशि रखी गई है :

क्षेत्र		राज्यांश	केन्द्रांश	योग
				(हजार में)
मैदानी क्षेत्र		93510	177131	270641
	योग ..	93510	177131	270641

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 1991-92 में राज्य आकस्मिकता निधि से निम्नांकित धनराशि की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है ।

क्षेत्र		राज्यांश	केन्द्रांश	योग
पर्वतीय क्षेत्र		7129	13369	20498000
	योग ..	7129	13369	20498000

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, जो निम्न प्रकार से है :

1—छात्रों का मूल्यांकन,

2—केन्द्रों का मूल्यांकन, तथा

3—कार्यक्रम का मूल्यांकन ।

छात्रों की प्रगति के निरन्तर मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। छात्रों द्वारा निर्धारित अवधि की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अनौपचारिक विद्यालयों के छात्रों के साथ सम्मिलित परीक्षा में बैठाये जाने की व्यवस्था है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के समुचित अनुश्रवण की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिमाह केन्द्र स्तर की सूचना जिला स्तर पर, जिला स्तर की सूचना मन्डल स्तर पर तथा मन्डल स्तर से निदेशालय को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराई जाती है तथा निदेशालय द्वारा प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाता है। इसमें प्रत्येक जनपद में संचालित केन्द्रों की संख्या, छात्रों की वर्षवार संख्या तथा प्रतिमाह हुए व्ययों को केन्द्रों को आपूर्ति की गयी सामग्रियों के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की सूचना प्राप्त की जाती है और प्रतिमाह राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है तथा जनपदों को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं।

नामांकन

अनौपचारिक शिक्षा के प्रत्येक केन्द्र पर 25 प्रवेश स्थान रखे गये हैं। इसी के अनुसार केन्द्रों में प्रविष्ट छात्रों की सूचनायें प्रतिमाह प्राप्त की जाती हैं :

छात्रों के नामांकन का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :

	1982–83	1983–84	1984–85	1985–86	19886–87	1987–88	1988–89	1989–90	1990 91 (दिसम्बर तक)
प्राइमरी स्तर––									
बालक	241	297	390	393	370	409	263	369	536
बालिका	130	170	252	236	354	370	590	495	720
योग ..	371	467	642	529	724	779	858	864	1256
मिडिल स्तर––									
बालक	49	60	59	38	48	25	..	..	..
बालिका	16	21	24	18	31	15	..	..	..
योग ..	65	81	83	56	79	40	..	..	..

बालाहार/विशेष पौष्टाहार योजना

संतुलित आहार शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक दक्षता के लिये आवश्यक होता है। मलिन बस्तियों में जहां पौष्टिक भोजन का निरन्तर अभाव रहता है वहां गर्भवती माताओं एवं उनके गर्भस्थ शिशुओं के लिये माताओं को तथा अल्प आयु के बच्चों को पोषक आहार की आवश्यकता होती है। गर्भवती माताओं एवं बच्चों को पौष्टिक आहार न मिलने के कारण उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास की गति कम हो जाती है। अतः शिक्षा विभाग द्वारा पौष्टिक आहार वितरण संबंधी दो योजनायें चलायी जा रही हैं। प्रथम पौष्टाहार योजना जो नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों के गर्भवती माताओं एवं 6 वय वर्ष तक के बच्चों के लिये संचालित है तथा दूसरी बालाहार योजना जो 6–11 वर्ष के स्कूल जाने वाले प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिये संचालित है।

2––योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों को पौष्टिक आहार की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना है, जिससे बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं की उनकी दैनिक आवश्यकता की प्रोटीन तथा कैलोरी का राजकीय संसाधनों से संवर्धन किया जा सके।

उत्तर प्रदेश की गणना आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में होती है जहां की 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती है। प्रदेश की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है जो पूरे राष्ट्र की जनसंख्या का 15 प्रतिशत है। प्रदेश में लगभग 140 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आर्थिक पिछड़पन के कारण शिशुओं, गर्भवती/धात्री माताओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों का एक बड़ा वर्ग कुपोषण का शिकार है। कुपोषण से मन्द बुद्धि बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका सीधा प्रभाव शिक्षा व्यवस्था विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर पड़ता है। अतः यह उचित एवं आवश्यक है कि शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दृष्टि से शिशुओं एवं बच्चों को पोषक आहार प्रदान करने में विभाग को यथासंभव योगदान करें। इस हेतु पौष्टाहार/बालाहार योजना के वृहद् स्तर पर चलाने की आवश्यकता है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण ही इसे सीमित स्तर पर चलाया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप वर्ष 1990–91 में बालाहार योजना के अन्तर्गत 1.15 लाख बच्चों के लाभार्थ प्रदेश के 8 जनपदों इटावा, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, बदायूं तथा रामपुर में कुल 20 ब्लाकों में

योजना ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से आयोजनेतर पक्ष में चलायी जा रही है। यह योजना प्रदेश में साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में ही कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 50 पैसे प्रतिदिन की दर से पौष्टाहार उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। विशेष पौष्टाहार योजना प्रदेश के 15 जनपदों में चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, आयोजनागत पक्ष में तथा नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर में आयोजनेतर पक्ष से नगर की मलिन बस्तियों के 6 वर्ष तक की आयु के शिशुओं एवं गर्भवती/धात्री माताओं के लाभार्थ संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 40,400 लाभार्थी हैं। इसमें 6 वर्ष तक के शिशुओं के लिये 52 पैसे तथा धात्री माताओं के लिये 80 पैसे प्रति लाभार्थी की दर से पौष्टाहार देने का प्राविधान है।

वर्ष 1991-92 (रुपया लाखों में)

योजना का नाम	आयोजनागत स्वीकृत धनराशि	भौतिक लक्ष्य	आयोजनेतर स्वीकृत धनराशि	भौतिक लक्ष्य
1—मध्याह्न आहार योजना	..	..	143.57	1.15
2—विशेष पौष्टाहार योजना	5.00	0.837	66.64	0.367

अध्याय 3

माध्यमिक शिक्षा/पत्राचार शिक्षा

प्रदेश में वर्ष 1991–92 में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 6060 है। इन विद्यालयों की कक्षा 9–12 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की सम्मिलित संख्या 32,35,000, कक्षा 9–10 एवं 11–12 में अलग-अलग क्रमशः 20,70,000 तथा 11,65,000 है। छात्र एवं छात्राओं की अलग-अलग संख्या क्रमशः 22,08,000 एवं 67,300 है। इसमें अध्यापन कार्य हेतु कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की कुल संख्या 98,000 है।

1––गैर सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना––

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 1985–86 में अनुदान सूची पर लिये गये मैदानी क्षेत्र के 32 विद्यालयों को वर्ष 1989–90 में 125 लाख का आवर्तक अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत किया गया है। संसाधनों के अभाव में वर्ष 1986–87 तथा वर्ष 1989–90 तक मैदानी क्षेत्र का कोई भी विद्यालय अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका।

वर्ष 1984–85 से वर्ष 1987–88 तक अनुदान सूची पर लिये गये पर्वतीय क्षेत्र के 43 विद्यालयों को वर्ष 1988–89 में आवर्तक अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने तथा 5 और नये विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने हेतु वर्ष 1988–89 के आयोजनागत आय-व्ययक में 76,00 लाख रु0 का प्राविधान स्वीकृत है। वर्ष 1989–90 में उक्त योजनागत सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत करने हेतु वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 123.24 लाख रु0 की स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्ष 1990–91 में उक्त योजनान्तर्गत सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत करने हेतु मैदानी क्षेत्र के 200 विद्यालयो तथा पर्वतीय क्षेत्र के 23 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया।

वर्ष 1991–92 में मैदानी क्षेत्र के लिये 744.00 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिये 13.20 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। वर्ष 1991–92 में केवल 5 विद्यालय पर्वतीय क्षेत्र में अनुदान सूची पर लेने का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रतीक्षित है।

2––सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त छात्र संख्या वृद्धि पर सैनिटरी सुविधा कक्षा-कक्ष निर्माणार्थ तथा साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था हेतु अनावर्तक अनुदान––

उक्त परियोजनान्तर्गत वर्ष 1988–89 में मैदानी क्षेत्र के 58 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 3 अर्थात् कुल 61 विद्यालयों को अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माणार्थ तथा मैदानी क्षेत्र के 62 एवं पर्वतीय क्षेत्र के 4 अर्थात् कुल 66 विद्यालयों को साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण अनुदान स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 1989–90 में मैदानी क्षेत्र के 53 विद्यालयों को कक्षा-कक्ष के निर्माणार्थ तथा 104 विद्यालयों की साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण अनुदान स्वीकृत करने हेतु 23.02 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इसी प्रकार वर्ष 1989–90 में पर्वतीय क्षेत्र के 3 विद्यालयों को कक्षा-कक्ष के निर्माणार्थ तथा 4 विद्यालयों का साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण अनुदान प्रदान करने हेतु 80,100 रु0 स्वीकृत किये गये।

वर्ष 1990–91 (आठवीं योजना) में मैदानी क्षेत्र के 59 विद्यालयों को कक्षा-कक्ष के निर्माणार्थ तथा 157 विद्यालयों को साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण अनुदान प्रदान करने के लिये 14.99 लाख रु0 स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 1990–91 में पर्वतीय क्षेत्र के 4 विद्यालयों को कक्षा-कक्ष के निर्माणार्थ तथा 4 विद्यालयों को साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु 1.15 लाख रु0 स्वीकृत किये गये।

वर्ष 1991–92 में भी योजना संचालित रहेगी और 750 विद्यालयों को अनुदानित करने हेतु 33.48 लाख रु0 का मैदानी क्षेत्र में तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1.22 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। मैदानी क्षेत्र में 33.48 लाख रु0 का प्राविधान भी किया गया है। स्वीकृति शासन स्तर पर प्रतीक्षित है।

3––सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के सम्वर्द्धन हेतु अनुदान––

प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत अनुदान प्रदान करने हेतु वर्ष 1987–88 में 13.45 लाख रु0 133 विद्यालयों हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

वर्ष 1989–90 में विद्यालयों को पुस्तकालय संवर्द्धन अनुदान प्रदान करने हेतु 15.25 लाख रु0, पर्वतीय क्षेत्र हेतु 0.50 लाख रु0 की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1989–90 में यह योजना शासन स्तर पर व्यवहृत की गई है।

वर्ष 1990–91 में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालय संवर्द्धन अनुदान प्रदान करने हेतु मैदानी क्षेत्र में 19.80 लाख रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1.90 लाख रुपये का प्राविधान था। इसके विपरीत मैदानी क्षेत्र में 11.54 लाख रुपया तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1.85 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

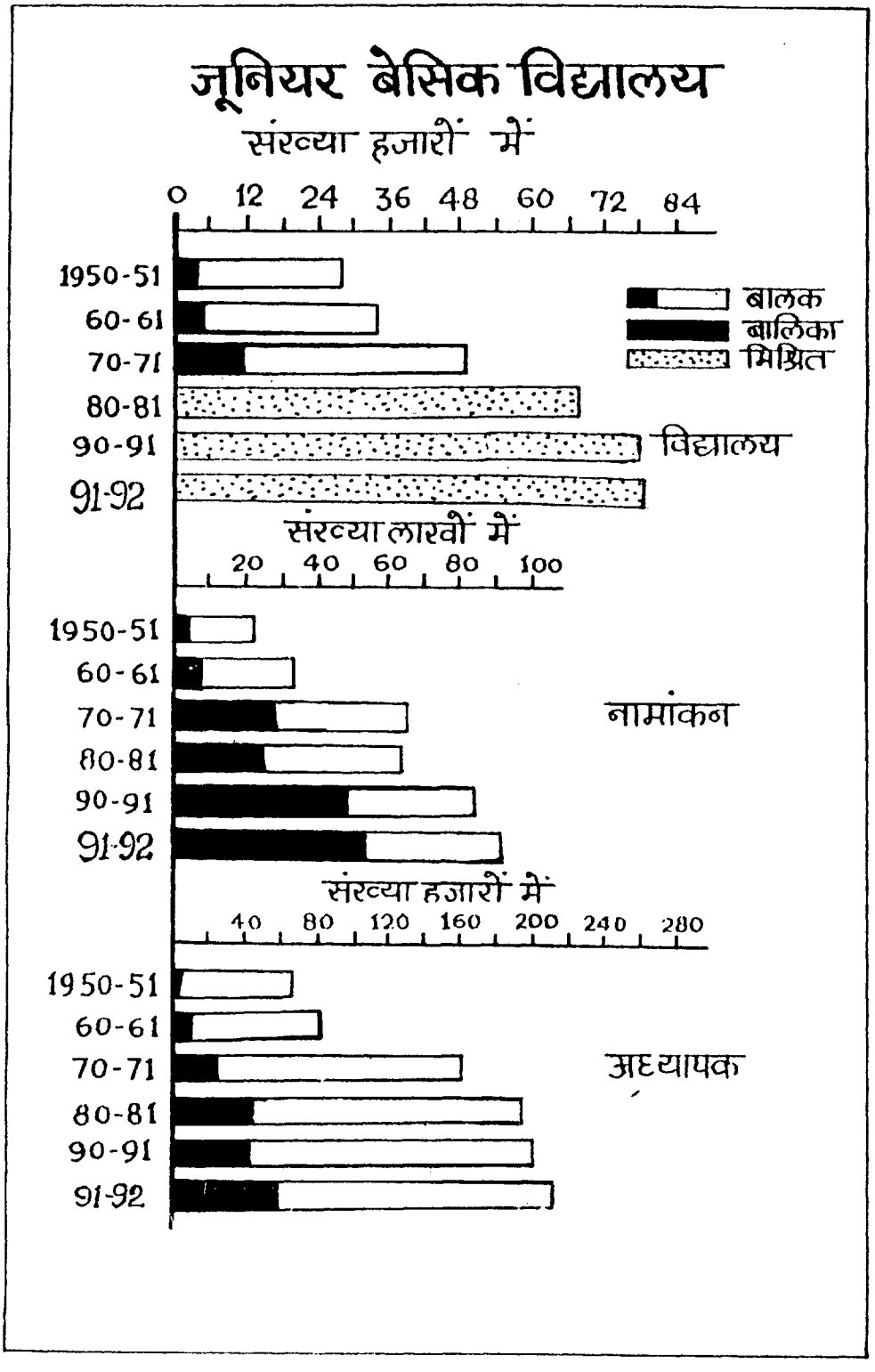
जूनियर बेसिक विद्यालय
संख्या हजारों में
0 12 24 36 48 60 72 84
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
91-92
बालक
बालिका
मिश्रित
विद्यालय
संख्या लाखों में
20 40 60 80 100
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
91-92
नामांकन
संख्या हजारों में
40 80 120 160 200 240 280
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
91-92
अध्यापक

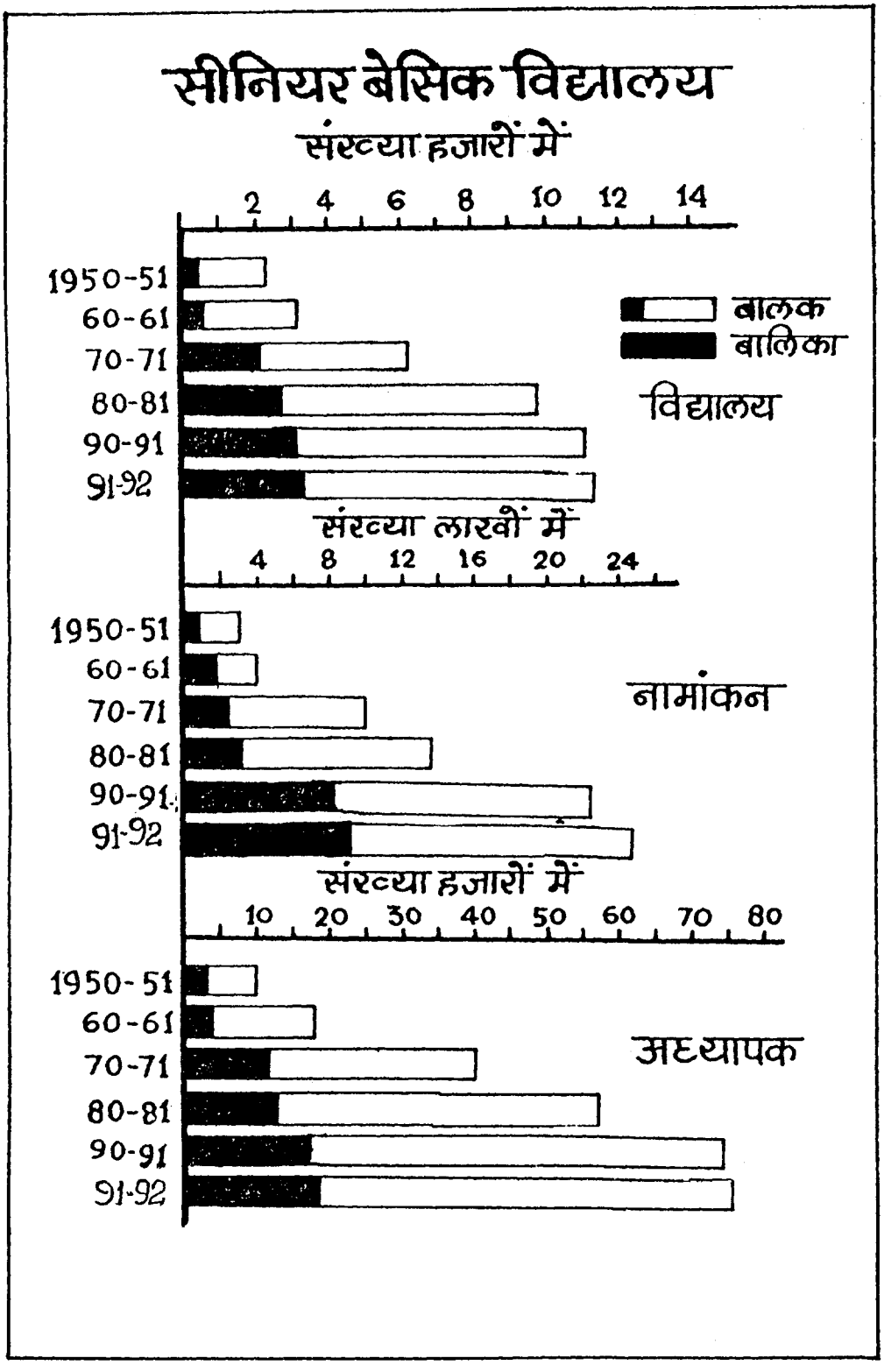
सीनियर बेसिक विद्यालय
संख्या हजारों में
2 4 6 8 10 12 14
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
91-92
बालक
बालिका
विद्यालय
संख्या लाखों में
4 8 12 16 20 24
नामांकन
संख्या हजारों में
10 20 30 40 50 60 70 80
अध्यापक

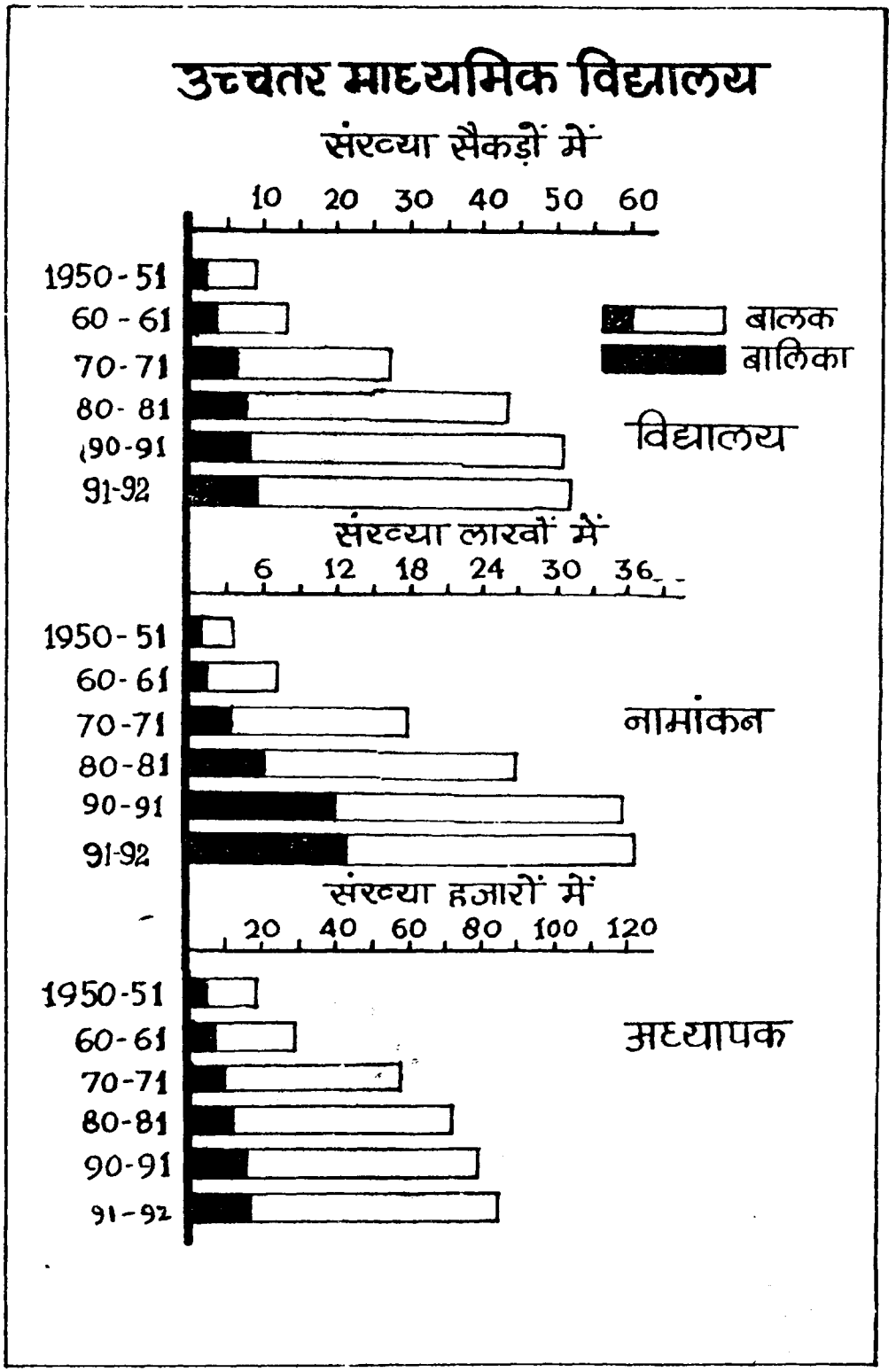
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
संख्या सैकड़ों में
10 20 30 40 50 60
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
91-92
बालक
बालिका
विद्यालय
संख्या लाखों में
6 12 18 24 30 36
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
91-92
नामांकन
संख्या हजारों में
20 40 60 80 100 120
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
91-92
अध्यापक

वर्ष 1991–92 में 100 बालक विद्यालय एवं 100 बालिका विद्यालयों हेतु रुपया 10 हजार प्रति विद्यालय की दर से मैदानी क्षेत्र में 14.09 लाख रुपये का प्राविधान है। पर्वतीय क्षेत्र में 1.00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

4—सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को, जिनमें हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, विज्ञान–1 की मान्यता प्राप्त करने हेतु विज्ञान उपकरणों की व्यवस्था हेतु अनुदान—

प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर सामान्य विज्ञान का शिक्षण अनिवार्य करने के सिद्धांत को शासन ने स्वीकार कर लिया है किन्तु आर्थिक संसाधनों के अभाव में एकाएक समस्त विद्यालयों की अनिवार्य विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना सम्भव न होने के कारण अभी मात्र सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को जिनमें हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, विज्ञान–1 विषय की मान्यता प्राप्त करने हेतु विज्ञान उपकरणों की व्यवस्था के लिये अनावर्तक अनुदान प्राप्त करने का उत्तरदायित्व शासन ने अपने ऊपर ले लिया है। वर्ष 1981–82 से वर्ष 1987–88 तक ऐसे लगभग 1300 सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की विज्ञान उपकरणों की व्यवस्था हेतु अनावर्तक विज्ञान अनुदान प्रदान किया जा चुका है।

उक्त परियोजना अन्तर्गत वर्ष 1989–90 में मैदानी क्षेत्र के 109 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 7 अर्थात् कुल 116 विद्यालयों को उक्त अनुदान स्वीकृत किया गया था। वर्ष 1988–89 में मैदानी क्षेत्र के 87 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 20 अर्थात् कुल 107 विद्यालयों को विज्ञान अनुदान स्वीकृत करने हेतु मैदानी क्षेत्र में 8.00 लाख रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1.85 लाख रु0 का प्राविधान है।

वर्ष 1990–91 में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के 115 विद्यालयों के लिये योजनान्तर्गत रु0 10.35 लाख स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 1991–92 के लिये पर्वतीय क्षेत्र में 50 विद्यालयों हेतु रु0 4.60 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है।

5—ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिये अनुदान—

प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नही है जिसके कारण उस क्षेत्र की बालिकायें भी बालकों के ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, किन्तु निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों के पास आय का कोई स्रोत न होने के कारण वे इन बालिकाओं को सुविधा हेतु प्रसाधन कक्ष एवं कामन रूम को अलग से व्यवस्था करने में असमर्थ हैं जिसके कारण इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जो बालिकाओं को शिक्षा की प्रगति के हित में नहीं है। अतः इन विद्यालयों में अध्ययन कर रही बालिकाओं को प्रसाधन कक्ष तथा कामन रूम का विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु इन विद्यालयों का उक्त व्यवस्था करने हेतु ही यह परियोजना संचालित की गई है।

उक्त योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 65 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 4 अर्थात् कुल 69 बालक विद्यालयों को क्रमशः 10.56 लाख रु0 एवं 1.00 लाख रु0 अर्थात् कुल 11.56 लाख रुपये का अनुदान वर्ष 1987–88 में स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 1989–90 में मैदानी क्षेत्र के 84 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 4 अर्थात् कुल 88 विद्यालयों को उक्त अनुदान प्रदान करने हेतु क्रमशः 16.41 लाख रु0 एवं 1.00 लाख रु0 अर्थात् कुल 17.41 लाख रुपये का प्राविधान है।

वर्ष 1990–91 में मैदानी क्षेत्र के 49 विद्यालयों तथा पर्वतीय क्षेत्र के 4 विद्यालयों अर्थात् कुल 53 विद्यालयों को उक्त अनुदान प्रदान करने हेतु 29.40 लाख रुपया की धनराशि प्राविधानित की गई। केवल मैदानी क्षेत्र में अनुदान स्वीकृत किया गया, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं।

वर्ष 1991–92 में 71 विद्यालयों को रु0 60 हजार प्रति विद्यालय की दर से रु0 35.61 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है तथा पर्वतीय क्षेत्र के एक विद्यालय को रु0 3.60 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। मैदानी क्षेत्र की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, पर्वतीय क्षेत्र की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रतीक्षित है।

6—सहायताप्राप्त उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान—

ऐसे सहायताप्राप्त उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्मुखी विकास एवं उन्नयन हेतु जिनका प्रशासन अच्छा है एवं परीक्षाफल भी उत्तम रहता है एवं गत तीन वर्षो का अलग-अलग परीक्षाफल 80 प्रतिशत से कम नही रहा है प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने हेतु उक्त परियोजना संचालित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष मैदानी क्षेत्र के 3 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 1 अर्थात् कुल 4 विद्यालयों को 1.00 लाख रु0 प्रति विद्यालय की दर से प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 1987–88 में मैदानी क्षेत्र के 3 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 4 विद्यालयों को 1.00 लाख रु0 प्रति विद्यालय की दर से कुल 4.00 लाख रुपये का प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 1989–90 में मैदानी क्षेत्र के 4 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 1 अर्थात् कुल 5 विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने हेतु मैदानी क्षेत्र में 4.00 लाख रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1.00 लाख रु0 अर्थात् 5.00 लाख रुपये स्वीकृत किया गया।

वर्ष 1990–91 में मैदानी क्षेत्र के 4 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 2 अर्थात् कुल 6 विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने हेतु मैदानी क्षेत्र में 4.00 लाख रु0 स्वीकृत हुये किन्तु पर्वतीय क्षेत्र में 2.00 लाख रु0 की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 1991–92 में मैदानी क्षेत्र के चार विद्यालयों को रु0 एक लाख प्रति विद्यालय की दर से रु0 4 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्र के एक विद्यालय के लिये रु0 2 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है । पर्वतीय की स्वीकृति प्राप्त हो गयी, मैदान का शासन स्तर पर प्रतीक्षित है ।

7––पिछड़े क्षेत्रों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिये शिक्षा विस्तार एवं अनुदान––

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के कुछ अंचलों में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । अतः शासन ने यह निर्णय ले रखा है कि ऐसे क्षेत्रों में अवस्थित अशासकीय बालिका सीनियर बेसिक स्कूलों को शत-प्रतिशत अनुदान के आधार पर इस योग्य बनाया जाय कि वे हाई स्कूल की मान्यताप्राप्त करने की सारी शर्तों की पूर्ति कर सके, जिससे उन्हें तत्काल हाई स्कूल की मान्यता प्रदान कर उक्त क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा का विस्तार, विकास एवं उन्नयन किया जा सके । उक्त अनुदान प्रदान करते समय उन क्षेत्रों में अवस्थित अशासकीय बालिका सीनियर बेसिक स्कूलों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जो क्षेत्र कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित हैं अथवा जहाँ की बालिकाओं की साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश की बालिकाओं की साक्षरता के औसत प्रतिशत से कम है या उस क्षेत्र में 7 किलोमीटर की परिधि में कोई बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अवस्थित नहीं है ।

उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों को 1.14 लाख रु0 प्रति विद्यालय की दर से भवन निर्माणार्थ तथा साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण, विज्ञान उपकरण, पठन-पाठन की सामग्री एवं पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिये अनावर्तक अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

योजनान्तर्गत वर्ष 1986–87 में 7 विद्यालयों को प्रश्नगत अनुदान प्रदान करने हेतु 6.84 लाख रु0 तथा वर्ष 1987–88 में भी 6 विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत करने हेतु 6.84 लाख रु0 का प्राविधान था, किन्तु कतिपय कारणों से इन विद्यालयों को उक्त दोनों वर्षों में कोई अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया ।

8––अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विभिन्न मदों पर विकास कार्यों हेतु अनावर्तक अनुदान––

प्रदेश के 157 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनके रुके हुये विकास कार्यों तथा भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, काष्ठोपकरण एवं साज-सज्जा आदि की व्यवस्था हेतु शिक्षा मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन तथा इसके लिये वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से कुल 78,78,963.00 रु0 का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

वर्ष 1988–89, 1989–90 एवं 1990–91 में क्रमशः 100.00 लाख, 175.00 लाख एवं 100.00 लाख रुपया स्वीकृत कर शिक्षा विभाग के पी0एल0ए0 में जमा किया गया, जिससे वर्ष 1988–89 में 242, 1989–90 में 211 एवं 1990–91 में 176 विद्यालयों को धन उपलब्ध करा दिया गया है ।

9––मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को छात्र प्रवेश के दबाव को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1988–89 में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कराये जाने पर उन्हें 10,000 रु0 प्रति कक्ष की दर से अनावर्तक अनुदान––

माध्यमिक शिक्षा की बढ़ती हुयी माँग के फलस्वरूप उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्र संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है किन्तु इन विद्यालयों के प्रबन्धकों के पास आय के कोई स्रोत न होने के कारण से बढ़ते हुये छात्रों की पढ़ायी की व्यवस्था करने के लिये अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने में असमर्थ है, जिसके कारण बच्चों के अभिभावकों को इन विद्यालयों में अपने बच्चों के प्रवेश कराने में अत्यधिक कठिनाइयां हो रही हैं । अतः शासन ने वर्ष 1988–89 में निर्णय लिया कि जो मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जून, 1988 तक अपने निजी स्रोतों से कक्षा 6, 9 एवं 11 में एक-एक अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करा लेंगे उन्हें 10,000 रु0 प्रति कक्षा की दर से अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाय । इस धनराशि को बढ़ाकर 20,000 रु0 प्रति कक्षा-कक्ष करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

वर्ष 1988–89 में उक्त योजनान्तर्गत 646 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण कराये जाने हेतु 64.65 लाख रु0 की स्वीकृति प्रदान की गई ।

वर्ष 1990–91 में इस योजना के अन्तर्गत 10 लाख रु0 की धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा की गई है ।

वर्ष 1991–92 में मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु 10.00 लाख रु0 परिव्यय प्रस्तावित है । बजट प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत अनुदान किसी विद्यालय को नहीं स्वीकृत किया गया ।

10––सहायता प्राप्त बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनमें अध्ययनरत बालिकाओं को शौचालय एवं कामन रूम आदि की व्यवस्था हेतु अनावर्तक अनुदान––

प्रदेश में बालिकाओं की कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा के कारण वर्ष 1985 में शुल्कोय से हुयी क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से 183.8 लाख रु0 क्षति पूर्ति अनुदान प्राप्त हुआ था जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 277 हाई स्कूलों को 20,000 रु0 प्रति विद्यालय की दर से तथा 474 इण्टर कालेजों को 25,000 रु0 प्रति विद्यालय की दर से शौचालय तथा कामन रूम का निर्माण कराने हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है जिसका प्रस्ताव शासन को शीघ्र प्रस्तुत किया जा रहा है ।

उक्त आयोजनागत परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रदान किये जा रहे अनावर्तक अनुदानों के अतिरिक्त आयोजनागत मद में भी निम्नांकित संस्थाओं को प्रति वर्ष अनावर्तक अनुदान भी स्वीकृत किया जाता है :––

1--निम्नांकित सहायता प्राप्त एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय विभागीय अनुदान सूची पर हैं जिन्हें प्रति वर्ष आवर्तक अनुरक्षण तथा महंगाई स्वीकृत किया जाता है :--

(1) के0पी0 एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद ।

(2) डी0ए0वी0 एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर ।

(3) किशोरी रमण एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा ।

(4) क्रिश्चियन एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ ।

2--निम्नांकित शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय भी विभागीय अनुदान सूची पर हैं जिन्हें प्रति वर्ष आवर्तक अनुरक्षण तथा महंगाई अनुदान स्वीकृत किया जाता है :--

(1) क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ ।

(2) श्री गांधी स्मारक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, समोधपुर, जौनपुर ।

आंशिक रूप से विकलांग छात्रों की समेकित शिक्षा--

यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से वर्ष 1985-86 से माध्यमिक विद्यालयों में लागू की गयी जिसके अन्तर्गत 6 सी0टी0 ग्रेड के तथा 4 एल0टी0 ग्रेड के सहायक अध्यापकों के पद सृजन के साथ-साथ अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण, आकस्मिक व्यय, छात्रों हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु 99,000 रु0 की स्वीकृति प्रदान की गयी की ।

वर्ष 1985-86 में उक्त योजनान्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ तथा इलाहाबाद को कक्ष की व्यवस्था, ट्रेलर, आंशिक दृष्टि सहायक उपकरण तथा आकस्मिक व्यय हेतु 34,000 रु0 तथा वर्ष 1986-87 में अध्यापकों के प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता, विकलांग बच्चों के लिये पुस्तकें व स्टेशनरी तथा वाचक भत्ता के निमित्त 29,000 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसका उपभोग इन विद्यालयों द्वारा कर लिया गया ।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक 57 छात्र लाभान्वित हुये हैं । भारत सरकार से इस योजना हेतु 128 लाख रु0 प्राप्त हुए हैं । यह योजना प्रदेश के 15 जनपदों, जिनमें वर्ष 1988-89 में बेसिक स्तर पर यह योजना संचालित है, में माध्यमिक स्तर पर एक-एक इण्टर कालेज में योजना के संचालन पर विचार किया जा रहा है ।

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के आंशिक रूप से निम्नलिखित प्रकार के विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था प्रस्तावित है :--

(क) आंशिक बधिर (श्रवण दुर्बल 30 से 45 डी तक श्रवणहीन) ।

(ख) आंशिक दृष्टियुक्त/क्षीण दृष्टि वाले 20/200, 70/200 के मध्य ।

(ग) अस्थि दोषयुक्त (शारीरिक विकलांग) ।

(घ) मानसिक विकलांग (मन्दबुद्धि बालक, जिनकी बुद्धिलब्धि 70-90 या 50-70 हो) ।

विकलांग बच्चों के चयन हेतु सम्बन्धित जनपदों में नगर क्षेत्र के विद्यालयों के छात्रों का सर्वेक्षण कराकर मूल्यांकन एवं चयन समिति द्वारा 20 छात्रों का चयन किया जायेगा ।

आंग्ल भारतीय विद्यालय--

वर्तमान समय में प्रदेश में 120 (जिसमें 32 एंग्लो-इंडियन स्कूल भी सम्मिलित हैं) ऐसी संस्थायें हैं जो काउंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त हैं और 123 ऐसी संस्थायें हैं जो सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त हैं । इसके अतिरिक्त 32 ऐसी संस्थायें हैं जिनको कक्षा 8 तथा कक्षा 5 तक उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्राप्त है । इस प्रकार इनकी कुल संख्या 275 है । स्वतंत्रता के पूर्व प्रदेश में 32 आंग्ल-भारतीय विद्यालय संचालित थे ।

निम्न विद्यालय विभागीय अनुदान सूची पर हैं जिन्हें प्रति वर्ष 2 हजार रु0 प्रति विद्यालय आवर्तक अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है । वर्ष 1991-92 में इस हेतु 10 हजार रु0 का प्राविधान आयोजनेतर पक्ष में किया गया है :--

(1) लामार्टिनियर कालेज, लखनऊ ।

(2) लोरेटो कान्वेन्ट हाई स्कूल, लखनऊ ।

(3) सेन्ट एगनिज लोरेटो हाई स्कूल, लखनऊ ।

(4) रेलवे प्राइमरी (इंगलिश मीडियम) स्कूल, टूण्डला, आगरा ।

(5) रेलवे प्राइमरी (इंगलिश मीडियम) स्कूल, मुगलसराय, वाराणसी ।

प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये कार्यान्वित, विधि योजनाओं के अन्तर्गत विभाग में हुए विभिन्न शैक्षणिक विकास कार्यों की भी रूप-रेखा निम्नवत् है:--

1--राजकीय सीनियर बेसिक विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन तथा नये राजकीय विद्यालय खोलने की योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 में पर्वतीय क्षेत्र में 8 विद्यालयों का लक्ष्य के प्रति 133 विद्यालय तथा मैदानी क्षेत्र में 9 विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त हुई ।

2--वर्ष 1989-90 में मैदानी क्षेत्र की 18 तहसीलों में 18 राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने का लक्ष्य था, जिसमें 18 राजकीय कन्या हाई स्कूल तथा क्षेत्रीय जनता की मांग के अनुसार 9 विद्यालय कुल 27 राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है ।

3--राजकीय हाई स्कूल का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण नामक योजनानुसार वर्ष 1989-90 में पर्वतीय क्षेत्र में आठ विद्यालय का लक्ष्य था जिसमें 58 विद्यालय तथा मैदानी क्षेत्र में 5 विद्यालय इण्टर स्तर पर उच्चीकृत की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है ।

4--पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्र के रा0उ0मा0 वि0 में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नवीन विषयों का समावेश तथा पद-सृजन नामक योजना में क्षेत्रीय जनता के मांग के अनुसार पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये थे जिसमें अभी तक मैदानी क्षेत्र में 23 पद तथा पर्वतीय क्षेत्र में 3 पद की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है ।

5--इस वर्ष 1989-90 में अशासकीय स्थायी मान्यता प्राप्त सी0 बे0 स्कूलों का प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण नामक योजना में 5 विद्यालय की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है ।

6--पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत अशासकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण नामक योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 में एक विद्यालय के लक्ष्य के प्रति 19 विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त हुई है ।

7--पर्वतीय क्षेत्र में रा0 उ0 मा0 वि0 में विज्ञान अध्ययन की सुविधा है । वर्ष 1989-90 में 8 विद्यालयों के लक्ष्य थे । क्षेत्रीय जनता की मांग के अनुसार शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

1989-90 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :--

पाठ्यक्रम विनियम तथा सामान्य

1--वर्ष 1989 की परिषदीय परीक्षाओं में निम्नलिखित विषयों के पाठ्यक्रमों में तथा अंक विभाजन में आंशिक संशोधन किये गये जिसके अनुरूप परीक्षा सम्पादित की गई तथा वर्ष 1990 की परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रमों में किये गये आंशिक संशोधनों के अनुसार परीक्षा हो रही है :--

वर्ष	हाई स्कूल परीक्षा	इण्टरमीडिएट परीक्षा
1989	1--विज्ञान-2	1--उर्दू
	2--नैतिक, शारीरिक समाजोपयोगी एवं उत्पादक कार्य	2--इतिहास
	3--सामान्य अभियंत्रण के तत्व	3--गणित
		4--आशुलिपिक (वाणिज्य वर्ग-2)
1990	1--पाली	1--पंजाबी (गुरुमुखी)
	2--पंजाबी	2--समाजशास्त्र
	3--अरबी	3--भू-विज्ञान
	4--गृह विज्ञान	4--भूगोल
	5--भूगोल	

वर्ष 1991 की परीक्षा हेतु हाई स्कूल परीक्षा के लिये निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रमों में इतिहास तथा संगीत (गायन) विषय के पाठ्यक्रमों में आंशिक संशोधन किये गये तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये निर्धारित नागरिकशास्त्र विषय 4 के पाठ्यक्रम में भी आंशिक संशोधन किये गये हैं ।

2--वर्ष 1990 की परीक्षायें 6 मार्च, 1990 से आयोजित की गईं । हाई स्कूल की परीक्षा 30 मार्च को तथा इण्टर की परीक्षा 2 अप्रैल, 1990 को समाप्त हो गयी । इस प्रकार हाई स्कूल परीक्षा 18 दिन तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा 20 दिन में सम्पादित की गयी ।

3--व्यावसायिक शिक्षा को एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये वर्ष 1991 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से परिषद् विनियमों में एक नवीन अध्याय चौदह (क) जोड़ा गया है । केन्द्र पुरोनिर्धारित इण्टरमीडिएट व्यावसायिक परीक्षा हेतु पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है इसमें 23 व्यावसायिक ट्रेड्स निर्धारित किये गये हैं ।

4—शैक्षिक सत्र 1989–90 से शिक्षा सत्र एक जुलाई से 30 जून तक किया गया ।

5—वर्ष 1991 में विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था में लगभग 25 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा मात्र एक माह में सम्पादित कर 52 दिनों की अल्पावधि में इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल दिनांक मई, 1991 को घोषित किया गया जो कि पिछले दशकों में एक उल्लेखनीय सफलता है । हाई स्कूल परीक्षाफल जून, 1991 को घोषित किया गया ।

6—परीक्षाफल की प्रमाणिकता एवं वैधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त उत्तर-पुस्तकों की तुलनात्मक सन्निरीक्षा का कार्य वर्ष 1989–90 का परीक्षाफल घोषणा से पूर्व मूल्यांकन केन्द्र पर ही करा लिया गया तथा परीक्षाफल घोषणा उपरान्त सशुल्क सन्निरीक्षा के परिणाम को भी शीघ्र घोषित करने की व्यवस्था कर दी गई ।

वर्ष 1991 में अधिकांश परीक्षाफल पूर्ण कर घोषित किया गया जो प्रमुख उपलब्धि है ।

7—परिषद् तथा इसकी समितियों की बैठकों में समय-समय पर परीक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारित किये गये तथा पाठ्यक्रमों में उचित सुधार किये जाने के फलस्वरूप परिषदीय परीक्षाओं के परीक्षाफल पर अनुकूल प्रभाव हुआ है ।

8—विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र परीक्षाफल घोषणा के तुरन्त बाद उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई ।

9—परिषदीय परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति को कम करने के उद्देश्य से इसे संज्ञेय अपराध घोषित करने की कार्यवाही की गयी है ।

10—परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी असामान्य स्थिति के उत्पन्न होने की आशंका की स्थिति में परीक्षा को सुव्यवस्थित एवं सफल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु विनियमों में यह प्राविधान किया गया कि जिला विद्यालय निरीक्षकों, अवकाशप्राप्त प्रधानों, अध्यापकों अथवा राज्य कर्मचारियों, अभिभावक, अध्यापक एसोसियेशन के सदस्यों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों आदि की सूची पूर्व में ही तैयार कर लें तथा आवश्यकता पड़ने पर इनका सहयोग प्राप्त करें ।

11—हाई स्कूल परीक्षा में अनिवार्य विषय विज्ञान–दो लेने वाले परीक्षार्थियों को वैकल्पिक विषय के रूप में जीव विज्ञान तथा सामान्य अभियंत्रण के तत्व विषय लेना अनिवार्य था । अब विज्ञान–दो लेने वाले वैकल्पिक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई विषय उपहृत कर सकते हैं :—

1—जीव विज्ञान
2—सामान्य अभियंत्रण के तत्व
3—चित्रकला
4—संस्कृत
5—उर्दू
6—अरबी
7—फारसी ।

यदि इन्हें अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया है ।

पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य

माध्यमिक शिक्षा परिषद् में पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन इकाई की स्थापना वर्ष 1975 में की गयी थी । तब से यह इकाई निरन्तर इस बात का प्रयास कर रही है कि राष्ट्र में विभिन्न प्रदेशों की अपेक्षा अपने प्रदेश के पाठ्यक्रम किसी प्रकार से समुन्नत किये जायं, परीक्षा में सुधार योजनान्तर्गत प्रश्न-पत्रों के नये प्रारूप निर्धारित किये जायं, परीक्षाफलों में सुधार की दिशा में कौन से प्रयास किये जायं ?

(क) सामान्य शिक्षा

1—पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य—

1–1—एकीकृत पाठ्यक्रमों का निर्माण—

प्रदेश में इस समय विज्ञान–एक तथा विज्ञान–दो के दो पृथक्-पृथक् पाठ्यक्रम प्रचलित हैं । इसी प्रकार गणित के भी गणित–एक तथा गणित–दो पृथक्-पृथक् पाठ्यक्रम प्रचलित हैं । इन दो-दो पाठ्यक्रमों के स्थान पर राष्ट्रीय संकल्पना के अनुरूप एकीकृत एक-एक पाठ्यक्रमों का निर्माण कर विषय समितियों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

1–2—पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन—

हाई स्कूल स्तरीय सी० बी० एस० ई० की पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों का माध्यमिक शिक्षा परिषद् की पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों से तुलनात्मक अध्ययन किया गया । अध्ययनोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सी० बी० एस० ई० की भांति उत्तर प्रदेश में भी गणित तथा विज्ञान के एकीकृत एक-एक पाठ्यक्रम चलाये जाने चाहिये ।

2--परीक्षा में सुधार सम्बन्धी कार्य--

परीक्षा लेने के लिये प्रश्न-पत्र महत्वपूर्ण यंत्र होते हैं। अतः परीक्षा में सुधार हेतु प्रश्न-पत्रों में सुधार आवश्यक होते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुये विषय-विशेषज्ञों, प्रश्न-पत्र निर्माताओं/परिमार्जकों को पुनः बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 26 से 30 मार्च, 1990 तक मेरठ में आयोजित किया गया जिसमें नये प्रकार के प्रश्न-पत्रों की अपेक्षित डिजाइन, ब्लू प्रिंट, उद्देश्य मूलक प्रश्न, प्रश्नवार विश्लेषण एवं अंक योजना पर व्यापक रूप से विवेचना की गयी।

3--परीक्षा में सुधार सम्बन्धी कार्य--

परीक्षाफल में सुधार योजनान्तर्गत छात्रों को प्रतिदर्श प्रश्नोत्तरों को उपलब्ध करने हेतु प्रदेश के प्रथम दस स्थान प्राप्त छात्रों के उत्तर पुस्तिकाओं को निकलवा कर उनमें उत्कृष्ट उत्तरों को छांट कर प्रतिभा-प्रसून नामक पुस्तिका में मुद्रित कराकर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को इस आशय से उपलब्ध कराई जाती है कि अध्यापकगण छात्रों को इस प्रकार के उत्तरों के लेखन के लिये छात्रों को प्रेरित करें। यह पुस्तिका वर्ष 1980 से निर्मित कराकर प्रदेश के सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 1988 की "प्रतिभा-प्रसून" मुद्रणाधीन है तथा वर्ष 1989 की "प्रतिभा-प्रसून" निर्माणाधीन है।

3-2--स्केलिंग ग्रेडिंग--

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षाफलों की घोषणा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में की जाती है। इस सन्दर्भ में यह कहा जाता है कि 59 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को द्वितीय श्रेणी तथा 60 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र को मात्र एक अंक के अन्तर के कारण प्रथम श्रेणी में घोषित करना बहुत उचित नहीं है। इसलिये अंक के अन्तर से श्रेणी घोषित कर ग्यारह बिन्दुओं वाला सांख्यिकीय ग्रेड्स अथवा परसेन्टाइल पर आधारित सी बिन्दु वाला अक्षर ग्रेड के अनुसार परीक्षा-फल घोषित करना चाहिये।

इसी सन्दर्भ में कतिपय विशेषज्ञों का यह भी मत है कि परीक्षाफल सम्पूर्ण योग के आधार पर घोषित न कर विषयवार घोषित किया जाना चाहिये क्योंकि एक विषय के अंक दूसरे विषय के उतने ही अंक के तुल्य नहीं कहे जा सकते। अतः परीक्षाफल घोषणा के पूर्व विषयवार अंकों की स्केलिंग भी की जानी चाहिये।

ग्रेडिंग तथा स्केलिंग की उपर्युक्त संकल्पना को व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु चित्रकूट में दिनांक 16 तथा 17 मार्च, 1990 को एन0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यगोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें एन0सी0ई0आर0टी0 के विषय विशेषज्ञों ने समुचित मार्ग दर्शन किया।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा

1--राज्य पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा--

राज्य पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत वाणिज्य वर्ग के अन्तर्गत 8 ट्रेड्स साहित्य वर्ग के अन्तर्गत गृह विज्ञान आधारित 4 ट्रेड्स तथा कृषि आधारित 8 ट्रेड्स कुल मिलाकर 20 ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का निर्माण कराकर प्रथम चरण में वर्ष 1985 से वाणिज्य वर्ग में, द्वितीय चरण में वर्ष 1986 से साहित्यिक वर्ग में तथा तृतीय चरण में कृषि के अन्तर्गत वर्ष 1987 से अब तक कुल मिलाकर इन पाठ्यक्रमों को प्रदेश के 440 विद्यालयों में लागू किया जा चुका है।

राज्य पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत चल रहे ट्रेड्स का कक्षा-शिक्षण वर्तमान स्टाफ तथा अतिथि व्याख्याता द्वारा कराया जा रहा है और इनके परीक्षा परिणाम संतोषजनक पाये गये।

2--केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा--

राज्य पुरोनिधानित योजना के उपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार राष्ट्रीय संकल्पना के अनुरूप 70 प्रतिशत भार वाली पाठ्यचर्या के अनुसार 3 ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों को तैयार कराकर प्रथम चरण में वर्ष 1989-90 से प्रदेश के 200 विद्यालयों में लागू किया गया है।

उपर्युक्त योजनान्तर्गत एक-एक विद्यालय को 3 अथवा 4 ट्रेड्स आवंटित किये गये तदनुसार भवन निर्माण हेतु तथा उपकरणों के क्रय हेतु शासन द्वारा अनुदान किया गया, कक्षा शिक्षण हेतु अभी वर्तमान स्टाफ तथा अतिथि व्याख्याता द्वारा कार्य चलाया जा रहा है किन्तु भविष्य में पूर्णकालिक अध्यापकों तथा परिचारकों के दिये जाने का प्रस्ताव है।

अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु सम्बन्ध व्यक्तियों की कार्यशाला तथा तकनीकी संस्थाओं से सम्बन्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिभंगी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस प्रकार कुल 636 अध्यापकों में से लगभग 300 अध्यापकों का प्रशिक्षण पूरा किया गया। प्रशिक्षण के समय अध्यापकों को विस्तृत पाठ्यक्रमों की रूप-रेखा के रूप में दिग्दर्शिकाएं तैयार कर उपलब्ध करायी गईं।

पाठ्यक्रमों पर आधारित शिक्षकों के लिये शिक्षक निर्देशिकाएं तैयार कराकर उपलब्ध कराये जाने की संकल्पना की गई जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 4 शिक्षक निर्देशिकाओं का निर्माण कराकर चक्रमुद्रित रूप से विद्यालयों को प्रेषित कराया जा रहा है। साथ ही साथ बाजार में उपलब्ध विभिन्न ट्रेड्स पर आधारित पुस्तकों में से पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकों का चयन कर सभी 31 ट्रेड्स की सन्दर्भ पुस्तकों की सूची तैयार कर विद्यालयों को सम्बन्धित ट्रेड की सूची उपलब्ध कराई गई।

(ग) अन्य कार्य

1--राष्ट्रीय-स्तर पर छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के तत्वावधान में 21 जनवरी, 1990 को प्रदेश के 425 केन्द्रों पर स्कलिस्टिक एचीवमेन्ट टेस्ट की परीक्षायें सुचारु रूप से सम्पादित कराई गयीं जिसमें कक्षा 10 तथा 12 के छात्रों ने भाग लिया। इन परीक्षा हेतु प्रश्न बुकलेट्स एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 से प्राप्त कर सम्पूर्ण प्रदेश के केन्द्रों को प्रेषित किया गया, उनसे परीक्षार्थियों के बायोडेटा--कम--एटेन्डेन्स शीट प्राप्त कर संकलित कर पुनः एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।

2--व्यावसायिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न आख्याएं तथा स्थिति आख्याओं को तैयार कराकर विभाग एवं शासन को भेजा गया।

3--क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, इलाहाबाद द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु विद्यालयों में छात्रों को उपलब्ध प्रोत्साहन सहायता से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित करने से सम्बन्धित सर्वेक्षण प्रश्नावली विद्यालयों को प्रेषित करने के लिये प्रदेश के 200 माध्यमिक विद्यालयों के चयन में सहयोग एवं प्रश्नावली प्रेषण।

पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीयकरण का कार्य--

वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय पुस्तकों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई। सभी 42 राष्ट्रीय पुस्तकों की समीक्षा का कार्य सम्पन्न हो चुका है। पुस्तकों में विद्यमान विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का निराकरण किया जा चुका है तथा संशोधित पुस्तकें नये आवंटियों को उपलब्ध करायी जा रही हैं। व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेडों के पुस्तकों के निर्माण कराने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है।

अध्याय 4

उच्च शिक्षा

सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास को गतिशील बनाने की दिशा में प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। स्वतंत्रता के पूर्व प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय तथा 16 महाविद्यालय संचालित थे। स्वतंत्रता उपरान्त, प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीव्रता से चतुर्मुखी विकास हुआ जिसके फलस्वरूप, सम्प्रति प्रदेश में डा० भीमराव राम्जी अम्बेदकर विश्वविद्यालय, लखनऊ सहित कुल 21 विश्वविद्यालय, 05 डीम्ड विश्वविद्यालय एवं 431 महाविद्यालय हैं। महिला महाविद्यालयों की संख्या 93 है जब कि राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या क्रमशः 55 व 376 है।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर विशेष बल देने के वास्ते, राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा परामर्शदात्री समिति" के गठन का निर्णय लिया गया है जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के नियमन एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शिक्षकों की प्रतिभा का सम्पूर्ण उपयोग, नवोन्मेष एवं उनके ज्ञान के क्षितिज की व्यापक आधार देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से पांच विश्वविद्यालयों में एकेडेमिक स्टाफ कालेज स्थापित हैं।

प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों के कार्यों का तत्परता से निस्तारण करने एवं प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु प्रत्येक मण्डल में एक क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता है। सम्प्रति लखनऊ, गोरखपुर व कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश में स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। शिक्षण सत्र 1991–92 में उदय प्रताप कालेज, वाराणसी को स्वायत्तशासी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

स्नातक स्तर पर शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु तथा राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के मूल ढांचे में एकरूपता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के परम्परागत शिक्षा प्रदान कर रहे सभी विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों को अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, पदों, फर्नीचर, प्रयोगशाला, उपकरण आदि आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये यथासम्भव स्वीकृतियां दी गयी हैं।

शैक्षिक सत्रों को नियमित करने की दृष्टि से सभी विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में शैक्षिक कैलेण्डर की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार 31 अगस्त तक प्रवेश दिये जाने हैं, 30 अप्रैल तक परीक्षायें सम्पन्न करायी जानी हैं तथा 15 जून तक परीक्षाफल घोषित किया जाना है।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं का प्रवेश श्रेष्ठता के आधार पर सुनिश्चित करने के लिये प्रवेश परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सम्प्रति राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत इनके भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 1991–92 में मैदानी क्षेत्र के 9 तथा उत्तरांचल के एक राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराने की योजना है।

राज्य सरकार द्वारा छात्र कल्याण हेतु दस करोड़ रुपये से छात्र कल्याण निधि कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष से विविध शैक्षिक स्तर के आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों को एकमुश्त सहायता प्रदान की जा रही है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खोला जा चुका है और अब तक उसके 24 सम्पर्क केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं जहां प्रदेश के ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं।

प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व परिष्कार के लिये तथा उनमें सेवा की भावना जागृत करने के लिये रोवर्स/रेंजर्स दलों के गठन पर बल दिया जा रहा है। छात्रों में सामान्य एवं संसदीय ज्ञान की वृद्धि के लिये क्विज प्रतियोगिता का संचालन निदेशालय स्तर से किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महाविद्यालयों में इकोरेस्टोरेशन क्लब की स्थापना पर निदेशालय स्तर से बल दिया जा रहा है।

उच्च शिक्षा से संबंधित छात्रवृत्ति/छात्र वेतन के आंकड़े वर्ष 1991–92 आयोजनेतर/आयोजनागत निम्नलिखित हैं:—

(क) आयोजनेतर—

आयोजनेतर व्ययक वर्ष 1991–92 में इन्टर स्तर/स्नातक पर 2454 नवीन छात्रवृत्तियां तथा विगत वर्षों की स्वीकृत छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण तथा शिक्षा संहिता के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों, इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली के शोध छात्रों की छात्रवृत्ति/छात्र वेतन के निमित्त 72.79 लाख धनराशि स्वीकृत करने का प्राविधान है। इन छात्रवृत्तियों तथा धनराशि के अन्तर्गत मुख्य छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नवत् है :—

1--प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सन्तान की योग्यता छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातक स्तर के छात्रों को रु0 75 तथा स्नातकोत्तर स्तर व शोध कार्य करने वाले छात्रों को रु0 100 प्रति माह छात्रवृत्ति तथा छात्रावासियों को 110 एवं 125 रु0 प्रतिमाह छात्र वृत्ति देने हेतु 2.13 लाख रु0 का प्रावधान है। छात्रों से प्रगति आख्या प्राप्त होने पर उनका नवीनीकरण किया जाता है।

2--राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत हाई स्कूल श्रेष्ठता सूची के आधार पर प्राप्त छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण, स्नातक कक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिये छात्रवृत्ति 90 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासी छात्रों के लिये 140 प्रति माह स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति 60 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासी छात्रों के लिये 100 रु0 प्रतिमाह तथा द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिये छात्रवृत्ति 90 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासी छात्रों के लिये 140 रु0 प्रति माह एवं व्यावसायिक कोर्स में 120 रु0 छात्रवृत्ति तथा छात्रावासी छात्रों के लिये 300 रु0 प्रति माह की दर से नवीनीकरण किया जाता है। इसी दर से इन्टरमीडिएट की श्रेष्ठता सूची के आधार पर छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है जो प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तक चलती है। इसी प्रकार स्नातक श्रेष्ठता सूची के आधार पर स्नातकोत्तर कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति 120 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासी छात्रों के लिये 300 रु0 प्रतिमाह छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है इस हेतु रु0 42.15 लाख का प्राविधान है।

3--प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को 300 छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने हेतु 60,000 रुपये का प्राविधान है तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों की मुफ्त शिक्षा हेतु 88,000 रु0 का बजट प्राविधान है।

4--इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में शोध कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के दो छात्र/छात्राओं को 300 रु0 प्रति माह की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु 29,000 रु0 का प्राविधान है। यह छात्रवृत्ति शोधरत छात्रों को 3 वर्ष तक देय होती है।

5--स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों तथा आश्रितों को डिग्री स्तर पर छात्रवृत्तियां एवं आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु तथा उस पर व्यय हेतु 3,88,000 रु0 का प्राविधान है।

6--पर्वतीय जिलों के सामान्य एवं प्राविधिक शिक्षा के ग्रहण करने हेतु छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता स्वीकृति करने हेतु वर्ष 1991-92 में 4 लाख रु0 का प्राविधान है।

7--पर्वतीय जिलों के असेवित क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु 8,34,000 रु0 का प्राविधान है।

8--लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विद्यालय में प्रवेश पाये विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने हेतु 4,000 रु0 का प्राविधान है।

(ख) आयोजनागत--

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु आयोजनागत बजट शीर्षक के वर्ष 1991-92 हेतु बजट प्राविधान 9.70 लाख रुपये का किया गया है।

अध्याय 5

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 मार्च, 1991 को 138, 760, 417 है, जिसमें 73,745, 994 पुरुष तथा 65,014, 423 महिलायें हैं। प्रदेश की जनसंख्या संपूर्ण देश की जनसंख्या का छठवां भाग है, जब कि क्षेत्रफल के आधार पर इसका देश में चौथा स्थान है।

शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 41.71 है। साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश का समस्त राज्यों में सताइसवां स्थान है। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 46,871,095 है। जिसमें से 0–6 वय वर्ग बच्चों को निरक्षर मानकर उन्हें साक्षर जनसंख्या से निकाल दिया गया है।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार 15–35 वय वर्ग के निरक्षरों की संख्या प्रदेश में 310 लाख है, जिन्हें कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ 2 अक्तूबर, 1978 को किया गया। वर्ष 1978–79 तैयारी का वर्ष रहा एवं दिसम्बर, 1979 से प्रौढ शिक्षा केन्द्रों का संचालन विधिवत् आरम्भ हुआ। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया गया, जिसमें वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षरों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। कार्यात्मक साक्षरता से तात्पर्य है (1) साक्षरता और गणित में आत्मनिर्भर होना, (2) अपनी गिरी हुई हालत और कारणों की जानकारी पाना और संगठित होकर अपनी दशा को सुधारने की कोशिश करना, (3) अपनी आर्थिक स्थिति और गिरी हुई हालत को सुधारने के सुधारों हेतु नए हुनर सीखना, (4) राष्ट्रीय एकता पर्यावरण से बचाव, महिलाओं और पुरुषों में समानता, छोटे परिवार के आदर्श को समझना, मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों की पहचान, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम निम्नवत् संचालित किया जा रहा है।

कार्यक्रम की प्रगति

केन्द्रीय कार्यक्रम––

वर्ष 1979–80 के अन्तिम त्रैमास में प्रदेश के 32 जनपदों के चुने हुए 64 विकास खण्डों में भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से तीन-तीन सौ केन्द्रों वाली 32 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं (आर0 एफ0 एल0 पी0) प्रारम्भ की गई। भारत सरकार द्वारा संचालित यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त 63 जनपदों में 63 परियोजनाओं के माध्यम से संचालित किया गया। वर्ष 1991–92 में भारत सरकार ने केन्द्रीय कार्यक्रम की इन परियोजनाओं द्वारा केन्द्र संचालित न करने के आदेश दिये हैं तथा इन समस्त परियोजनाओं को पुनर्गठित करने हेतु नयी रणनीति तैयार की है, जिसके आधार पर समस्त परियोजनायें क्षेत्र आधारित, समयबद्ध, लागत सापेक्ष तथा परिणामोन्मुखी होनी चाहिये तथा प्रत्येक परियोजना का आकार 3300 केन्द्रों के स्थान पर 100 केन्द्रों का होना चाहिये। इस आधार पर प्रदेश को 100–100 केन्द्रों की 23 4 परियोजनायें भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी। गाइड लाइन के आधार पर बनाकर प्रेषित कर दी गयी है। भारत सरकार से स्वीकृति मिलने पर इन्हें संचालित किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजनाकाल 1980–85 में 58441 केन्द्रों का संचालन किया गया, इन पर 17.02 लाख प्रौढ प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90 में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 94,500 प्रौढ शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। इन केन्द्रों के अन्तर्गत 28.64 लाख प्रौढ प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 में 18,900 केन्द्रों के माध्यम से 11.17 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। वर्ष 1990–91 में प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की अवधि आई0 पी0 सी0 एल0 के आधार पर 6–6 माह कर दी गयी है। इस प्रकार वर्ष 1990–91 में प्रौढ शिक्षा के दो सत्र आयोजित किये गये (प्रथम सत्र 1 अप्रैल, 1990 से 29 सितम्बर, 1990 तक) तथा द्वितीय सत्र 1 अक्तूबर, 1990 से 31 मार्च, 1991 तक।

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में केन्द्रों का संचालन भारत सरकार के आदेशानुसार स्थगित है।

राज्य कार्यक्रम––

भारत सरकार के कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन हेतु राज्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में 300–300 केन्द्रों की 3 तथा 100 केन्द्रों की एक परियोजना वर्ष 1980–81 से तथा 100–100 केन्द्रों की 10 परियोजनाओं का शुभारम्भ वर्ष 1981–82 से प्रदेश के 14 जनपदों के चुने हुए 17 विकास खण्डों में किया गया। कालान्तर में 100 केन्द्रों की परियोजना को 300 केन्द्रों की परियोजनाओं में परिवर्तित किया गया। वर्तमान समय में प्रदेश में 300 केन्द्रों की 61 परियोजनाएं राज्य सरकार की सहायता से संचालित की जा रही हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980–81 तक राज्य सरकार के द्वारा 11,946 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये जिनके माध्यम से 3.55 लाख प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1985–90 तक उपरोक्त कार्यक्रम के माध्यम से 38,900 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से 11.78 लाख प्रौढ़ों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1990–91 में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 17,100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से 7.89 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1991–92 में राज्य कार्यक्रम की 61 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, लेकिन 4 परियोजनायें जो पर्वतीय क्षेत्र के लिये स्वीकृत की गयी हैं, उनमें कार्यक्रम का संचालन अभी नहीं किया जा सका है, शेष 57 परियोजनाओं में 17,100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आई0पी0सी0एल0 के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 एवम् 1991-92 में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के दो सत्र संचालित किये गये।

वर्ष 1991–92 में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम सत्र (अप्रैल, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 तक) 4.83 लाख प्रतिभागियों को एवं द्वितीय सत्र 1 अक्तूबर, 1991 से संचालित किया, जिसके अन्तर्गत माह नवम्बर, 1991 समाप्ति तक 3.32 लाख व्यक्तियों को, कुल 8.15 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

अशासकीय अभिकरण––

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अशासकीय अभिकरणों जैसे स्वैच्छिक संगठन, नेहरू युवक केन्द्रों, यू0पी0सी0 द्वारा भी कार्यक्रम का संचालन किया गया है। वर्ष 1980–85 छठी पंचवर्षीय योजना में इन अभिकरणों द्वारा 9,698 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये और इन केन्द्रों के माध्यम से 2.79 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90 की अवधि में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 26,621 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 5.11 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1990–91 में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.91 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 1991–92 के उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत 0.25 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यक्रम के लिये अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा नयी नीति के आधार पर इन्हें अनुदान देने हेतु व्यापक परिवर्तन कर दिये हैं। उपरोक्त नये आधार पर अभी वांछित संख्या में स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान नहीं मिला है, जिससे इनके अन्तर्गत प्रगति अत्यन्त कम है। वर्तमान समय में 25 जनपदों के नेहरू युवक केन्द्रों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है। अभी तक इनके द्वारा कार्यक्रम का संचालन नहीं किया गया है। यू0जी0सी0 द्वारा प्रदेश के 16 महाविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा कार्य-क्रम के संचालन के लिये अनुदान स्वीकृत किया है।

कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति––

वर्ष 1980–81 से वर्ष 1991–92 के माह नवम्बर, 1991 तक शासकीय एवं अशासकीय प्रयासों द्वारा प्रदेश में हुयी प्रगति निम्नवत् है :

(पंजीकृत प्रतिभागी लाखों में)

वर्ष	संचालित केन्द्र	पुरुष	महिला	योग	अनुसूचित जाति	अनु0 जन-जाति
1	2	3	4	5	6	7
1980–81	11,888	2.16	1.06	3.22	0.83	0.08
1981–82	12,777	2.28	1.34	3.62	1.19	0.06
1982–83	12,782	2.29	1.44	3.73	1.26	0.06
1983–84	19,302	3.52	2.23	5.75	2.00	0.07
1984–85	23,336	2.79	4.25	7.04	2.54	0.08
1985–86	25,984	2.58	5.19	7.77	2.75	0.09
1986–87	30,654	3.31	6.15	9.46	3.36	0.11
1987–88	32,493	4.37	5.46	9.83	3.87	0.13
1988–89	35,848	2.06	8.67	10.17	3.91	0.07
1989–90	35,042	3.37	7.17	10,54	3.59	0.06
1990–91	66,944	8.02	11.95	19.97	6.90	0.11
1991–92	30,154	3.65	4.75	8.40	2.98	0.02
योग ..	3,37,204	40.40	59.66	100.96	35.18	0.94

जन साक्षारता कार्यक्रम (एम0 पी0 एफ0 एल0)—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि अपने पास-पड़ोस के एक निरक्षर प्रौढ़ को साक्षरता किट की सहायता से साक्षर बनाये । इसको "एक पढ़ाये एक" कार्यक्रम की संज्ञा दी गई है । वर्तमान समय में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जेल प्रशासन, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय के एन0एस0एस0 के छात्र एवं स्वयं-सेवी संस्थाओं को शामिल किया गया है । वर्ष 1990–91 में 464 माध्यमिक विद्यालयों में 38 जेलों में उपरोक्त कार्यक्रम संचालित किया गया । इसी प्रकार 52 महाविद्यालयों तथा 28 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम संचालित किया गया ।

वर्तमान समय वर्ष 1991–92 में उपरोक्त कार्यक्रम का विस्तार किया गया है । जिसके अन्तर्गत अधिक से अधिक माध्यमिक विद्यालयों, जेल, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम—

प्रदेश में केरल प्रदेश के जनपद एर्नाकुलम को शत-प्रतिशत साक्षर घोषित होने के उपरान्त प्रेरणा स्वरूप जनपद फतेहपुर, सोनभद्र को सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम हेतु चयनित किया गया है । उपरोक्त जनपदों में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । जनपद सोनभद्र में उपरोक्त कार्य स्वयंसेवी संगठन को सौंपा गया है । इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा जनपद मिर्जापुर को सम्पूर्ण साक्षरता के अन्तर्गत चुना गया है । तथा इस हेतु 13 परि-योजनाओं को जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में संचालित किया जा रहा है । भारत सरकार द्वारा मात्र प्रदेश के अल्मोड़ा, चमोली, मेरठ जनपद को भी सम्पूर्ण साक्षरता के अन्तर्गत चुना गया है । उपरोक्त जनपदों की कार्ययोजनायें भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है । उपरोक्त जनपदों में सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम अभियान पद्धति से संचालित किया जायेगा, जिस पर लगभग 65 से 75 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय होने का अनुमान है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 12 जनपदों क्रमशः (1) झांसी, (2) आगरा, (3) गाजियाबाद, (4) बिजनौर, (5) मुरादाबाद, (6) बरेली, (7) कानपुर नगर, (8) लखनऊ, (9) गाजीपुर, (10) आजमगढ़ (11) मऊ, (12) देहरादून सम्पूर्ण साक्षरता हेतु चयनित किया गया है, इनमें से 4 जनपदों में वर्ष 1992–93 में सम्पूर्ण साक्षारता का कार्यक्रम संचालित करने हेतु योजना तैयार की जा रही है ।

सबके लिये शिक्षा—

सबके लिये शिक्षा के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद (1) वाराणसी, (2) सीतापुर, (3) बांदा, (4) सहारनपुर, (5) गोरखपुर, (6) इलाहाबाद, (7) नैनीताल, (8) पौड़ी-गढ़वाल, (9) अलीगढ़, (10) इटावा को चयनित किया गया है । उपरोक्त जनपदों में सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम अगले 5 वर्षों में विश्व बैंक की सहायता से संचालित किया जायेगा । इसी प्रकार इसके लिये 10 बेंक डिस्ट्रिक क्रमशः (1) रामपुर, (2) पीलीभीत, (3) एटा, (4) बाराबंकी, (5) बहराइच, (6) सुल्तानपुर, (7) हरदोई, (8) बलिया, (9) देवरिया, (10) टिहरी-गढ़वाल को चयनित किया गया है ।

सतत शिक्षा कार्यक्रम—

नवसाक्षरों की साक्षरता एवं कौशल को सतत एवं निरन्तर बनाये रखने के उद्देश्य से सतत शिक्षा की व्यवस्था की गई है । जिससे नवसाक्षर अपनी शिक्षा को आग जारी रख सकें तथा कालान्तर में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें ।

जन शिक्षण निलयम—

सतत शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर या 5,000 आबादी वाले क्षेत्र में एक जनशिक्षण निलयम की स्थापना की गई है । यह निलयम सतत शिक्षा के स्थायी केन्द्र हैं, जिन्हें संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है । जनशिक्षण निलयम के लाभार्थी हैं (1) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा हुये नवसाक्षर, (2) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित नवसाक्षर, (3) एक पढ़ाये एक योजना द्वारा हुये नवसाक्षर, (4) प्राइमरी शिक्षा से उत्तीर्ण बालक/बालिकायें, (5) ग्राम के अन्य उत्साही व्यक्ति ।

जन शिक्षण निलयम का प्रभारी प्रेरक होता है जो स्थानीय होता है । जन शिक्षण निलयम की गतिविधियां हैं :— (1) साक्षरता और गणित की दक्षता बढ़ाने हेतु सायंकालीन कक्षा आयोजित करना, (2) वाचनालय, (3) पुस्तकालय, (4) लघु प्रशिक्षण के सत्रों का आयोजन, (5) चर्चा मण्डल, (6) मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, (7) खेल-कूद एवं साहसिक कार्य-कलाप, (8) सूचना खिड़की, (9) संचार केन्द्र/नवसाक्षरों को सेतु साहित्य के द्वारा कक्षा पांच उत्तीर्ण करने की सुविधा दी गई है ।

एक प्रौढ़ शिक्षा परियोजना में कुल 37 जनशिक्षण निलयम खोले जाने की व्यवस्था है । भारत सरकार के संसाधनों से वर्तमान में 1,608 जनशिक्षण निलयम तथा राज्य सरकार के संसाधनों से 2,257 जनशिक्षण निलयम संचालित किये जा रहे हैं ।

रेडियो आधारित साक्षरता कार्यक्रम—

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद मिर्जापुर, अलीगढ़ एवं आगरा को इस हेतु चयनित किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के प्रभारी अनुदेशक को टू-इन-वन देकर जनपद से सम्बन्धित रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित पाठों को प्रसारित किया जाता है, जिससे उपरोक्त माध्यम से केन्द्रों पर शिक्षण कार्य किया जा सके ।

प्रौढ़ शिक्षा साहित्य--

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों हेतु पठन-पाठन एवं शिक्षण सामग्री प्रतिभागियों को निःशुल्क दी जाती है। वे इसका निर्माण राज्य संदर्भ केन्द्र साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा किया जाता है। सम्प्रति राज्य में विभिन्न क्षेत्रों हेतु 7 प्रवेशिकाएं स्थानीय बोलियों में बनाई गई हैं यथा ब्रज भारती ब्रज क्षेत्र के लिये, कुमाउनी प्रवेशिका कुमायू क्षेत्र के लिये, आदि भारती, सोनभद्र आदिवासी क्षेत्र के लिये, गढ़ प्रवेशिका गढ़वाल क्षेत्र के लिये, बुन्देल भारती--बुन्देलखण्ड के लिये, नई किरन--मध्य उत्तर प्रदेश के लिये, पूर्वांचल प्रवेशिका--पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये।

भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की संकल्पनानुसार आई0 पी0 सी0 एल0 (इम्प्रूव्ड पेस एण्ड कन्टेन्ट आफ लर्निंग योजना) अनुसार प्रवेशिकाओं को तीन भागों में तैयार किया गया है। इन प्रवेशिकाओं में लिखित अभ्यास, मूल्यांकन के लिये जांच-पत्र तथा सत्रान्त पर प्रमाण-पत्र की भी व्यवस्था की गई है।

साक्षरता कार्यक्रम में टेक्नालाजी प्रयोग--

राज्य के दो जनपदों को टेक्नालाजी प्रयोग के अन्तर्गत चुना गया है। यह जनपद हैं :--

(1) अलीगढ़--यहां अधिकांश प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों तथा जन-शिक्षण निलयम तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर सौर ऊर्जा पैक उपलब्ध कराये गये हैं, जिनसे प्रकाश व्यवस्था तथा टू-इन-वन के लिये ऊर्जा मिलती है।

जनपद में स्थित इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एवं टेक्नालाजी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा विवेक दर्पण कार्यक्रम के लिये टी0 वी0 तथा वीडियो सेट प्रदान किये गये हैं।

(2) मिर्जापुर--प्रत्येक जन-शिक्षण निलयम पर "सौर ऊर्जा पैक" उपलब्ध कराये गये हैं, जिनसे प्रकाश तथा टू-इन-वन के लिये ऊर्जा मिलती है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण--

प्रदेश में राज्य सरकार के संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्र की 26 परियोजनाओं में 10-10 महिला केन्द्रों को चुनकर उनमें सिलाई, बुनाई, दोने-पत्ते बनाना एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से 9 जनपदों में मिर्जापुर, पिथौरागढ़, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, नैनीताल, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, सोनभद्र में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

अध्याय 6

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश

राज्य में शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु शोध अध्ययन प्रशिक्षण और प्रकाशन द्वारा शिक्षा संस्थाओं, शिक्षकों, शैक्षिक आयोजकों एवं प्रशासकों के मार्ग-निर्देशन के उद्देश्य से वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश की स्थापना की गयी। परिषद् के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, सदस्य सचिव के अतिरिक्त छः अन्य सदस्य भी होते हैं। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 9 है।

परिषद् के अतिरिक्त निम्नलिखित विभाग कार्यरत हैं :--

(1) प्रशासनिक विभाग तथा मुख्यालय।
(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और अनौपचारिक शिक्षा एकक।
(3) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग।
(4) अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग।
(5) मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग।
(6) विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग।
(7) श्रव्य-दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग।
(8) मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग।
(9) शैक्षिक तकनीकी विभाग।
(10) पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन विभाग।
(11) शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन विभाग।
(12) पाठ्यक्रम शोध और मूल्यांकन विभाग।
(13) व्यवसायपरक शिक्षा विभाग।
(14) विज्ञान किट निर्माण शाला।
(15) प्रशिक्षण विभाग (जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान)।

उद्देश्य--

परिषद् से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने की अपेक्षा की जाती है:--

शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिये शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना और उनमें समन्वय।

उच्चस्तरीय सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षणों की व्यवस्था।

शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण के क्षेत्र में विद्यालय विस्तार सेवा में संलग्न संस्थाओं को परामर्श।

उन्नत शैक्षिक विधियों और कार्यक्रमों से विद्यालयों तथा आयोजकों को अवगत कराना।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं/अभिकरणों से सहकार और सहयोग।

विद्यालय स्तरीय शिक्षा सम्बन्धी नवचिन्तन, अभिनव प्रवृत्तियों और सूचनाओं का संग्रह, समीक्षा और प्रसार।

राज्य प्रशासन तथा अन्य संगठनों का विद्यालय स्तरीय शिक्षा के स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में परामर्श।

पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षण सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन।

परिषद् के विभिन्न विभागों द्वारा उपरिलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्पादित कार्यों को मुख्यतः निम्नलिखित चार वर्गों में बांटा जा सकता है :

क--प्रशिक्षण

ख--शोध/अध्ययन/परियोजनायें।

ग---कार्यशालायें/गोष्ठियां ।

घ---प्रकाशन

इन वर्गों के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :—

(क) प्रशिक्षण

1---प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

वर्ष 1991-92 के वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समाहित किये गये नवीन सम्बोधों को शिक्षकों तक प्रभावशाली ढंग से प्रेषित करने के निमित्त निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं:--

1---पत्राचार अनुभाग द्वारा सम्प्रति प्रदेश के बेसिक परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1836 अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापक/अध्यापिकाओं को विभिन्न 57 राजकीय दीक्षा विद्यालयों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सम्पर्क केन्द्रों में पत्राचार प्रणाली के माध्यम से बी० टी० सी० का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा संपर्क केन्द्रों पर उपस्थित होकर उनके शिक्षण अभ्यास का निरीक्षण करने और अपेक्षित सामयिक सुझाव देने का दायित्व भी वहन किया जाता है ।

2---विश्व बैंक पोषित प्रोप्रोजेक्ट एक्टीविटी के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नित नवीन परिवर्तनों से अवगत कराने तथा शिक्षा प्रक्रिया में अभिनव प्रयोग कर शिक्षार्थियों में अन्तर्निहित प्रतिभा को प्रस्फुटित कर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयोगार्थ बलिया जनपद के दो विकास खण्डों रसड़ा तथा नागा में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के 724 अध्यापकों को निर्धारित आवश्यकतापरक बिन्दुओं पर समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है ।

3---पूर्व प्राथमिक शिक्षा व बालिकाओं की शिक्षा में सहभागिता प्रो-प्रोजेक्ट एक्टिविटी के अधीन बलिया जनपद के सियर विकास खण्ड के सभी गावों के 6 वय वर्ग के बच्चों के विकास के लिये शैक्षिक क्रियाकलाप आयोजित किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापकों एवं अन्य अभिकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

4---जनसंख्या शिक्षा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गयी प्रगति के लाभ को जन-जन तक पहुंचाने के लिये निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित किये गये:--

(क) प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण।

(ख) माध्यमिक स्तर के प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण ।

(ग) प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक प्रशिक्षण हेतु "डायट" के शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

(घ) माध्यमिक स्तर के शिक्षक/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ।

(ङ) जनपद मुख्यालय के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण ।

(च) जनपद मुख्यालय के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण ।

(छ) सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकायों के अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श।

अनौपचारिक शिक्षा एकक (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग)

5---वर्ष 1991-92 में जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण 22 अगस्त से 27 अगस्त, 1991 तक पूर्ण किया गया ।

2---हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (वाराणसी)

भाषा शिक्षण के बदलते आयाम से प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को परिचित कराने हेतु संस्थान द्वारा इस वर्ष 1991-92 में निम्नलिखित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:—

6---सुल्तानपुर जनपद के 22 विकास खण्डों में प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक स्तर के हिन्दी शिक्षक/शिक्षिकाओं का त्रिदिवसीय भाषा शिक्षण स्तरोन्नयन प्रशिक्षण सात चक्रों में पूरा किया गया, जिसमें कुल 2357 अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

7---राजकीय दीक्षा विद्यालयों के हिन्दी शिक्षक/शिक्षिकाओं के चतुर्दिवसीय हिन्दी शिक्षण स्तरोन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दो चक्रों में संचालन किया गया ।

8---वाराणसी जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के हिन्दी शिक्षक/शिक्षिकाओं का चतुर्दिवसीय हिन्दी शिक्षण स्तरोन्नयन प्रशिक्षण किया गया ।

9--हिन्दी शिक्षण के प्रभावी विश्लेषण हेतु माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण संगोष्ठी बरेली तथा आगरा मण्डल में आयोजित की गयी है ।

3--अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग (इलाहाबाद)

10--डिप्लोमा इन द टीचिंग आफ इंगलिश (57वाँ एवं 58वाँ कोर्स) प्रदेश के अंग्रेजी अध्यापकों हेतु चार मासीय डिप्लोमा कोर्स दो फेरों में आयोजित किये गये । प्रशिक्षणार्थियों को अंग्रेजी शिक्षण के विविध पक्षों जैसे--भाषा विज्ञान, व्याकरण फोनेटिक्स तथा शिक्षण विधियों आदि की विस्तृत जानकारी दी गयी । उन्हें कक्षा/शिक्षण का भी अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण के अन्त में उनकी लिखित, प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा ली गयी ।

11--इस शैक्षिक सत्र (91-92) में चार जनपदों में छः दिवसीय लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । ये जनपद थे--बाँदा, बुलन्दशहर, रामपुर और बाराबंकी/संस्थान के विशेषज्ञों ने इन जनपदों के अंग्रेजी अध्यापकों को भाषा शिक्षण की नवीनतम विधाओं से परिचित कराया तथा उनकी कक्षा शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं का निवारण किया ।

12--संस्थान द्वारा इस सत्र में तीन वाचन प्रवीणता कोर्स चलाये गये । प्रत्येक कोर्स 50 कार्य दिवस का था । कोर्स में विभिन्न प्रशासनिक परीक्षाओं में बैठने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन कोर्सेज में लेक्चरेट्स लैंग्वेज, गेम्स, कोनेटिक्स, वार्तालाप आदि विधाओं का प्रयोग किया गया ।

4--मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग (इलाहाबाद)

13--(क) सेवा पूर्व प्रशिक्षण--

इस संस्थान में एल0टी0 सामान्य स्नातकोत्तर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एकवर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है । संस्थान में 80 छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें 40 विज्ञान तथा 40 कला संकाय के छात्राध्यापक होते हैं । वर्ष 1991-92 में कुल 75 छात्राध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इन्हें माइक्रोटीचिंग द्वारा विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास तथा उपचारात्मक शिक्षण निर्देशन और परामर्श शैक्षिक मूल्यांकन तथा क्रियात्मक अनुसंधान एवं शैक्षिक प्रबन्ध में विशेष दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था है ।

(ख) सेवा कालीन प्रशिक्षण--

14--लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती से चयनित प्रदेशीय शिक्षा सेवा (कनिष्ठ) वेतनक्रम के अधिकारियों को एल0टी0 (सामान्य) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त दैनिक प्रशासकीय कार्यों में दक्षता तथा विभागीय नियमों की जानकारी प्रदान की गयी ।

15--प्रोन्नति के फलस्वरूप नियुक्त राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के अकादमिक एवं विकासात्मक अभिनवीकरण हेतु दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

5--विज्ञान और गणित विभाग (इलाहाबाद)

16--केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत जिला विज्ञान संदर्भ केन्द्रों के संदर्भदाताओं तथा हाई स्कूल के जनपद--इटावा, जौनपुर, वाराणसी, बलिया, बस्ती, गोण्डा और फैजाबाद के गणित, जीव विज्ञान के 650 अध्यापकों को क्रियाकलाप पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया ।

17--केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट स्तर के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषय के संदर्भ केन्द्रों, राजकीय इण्टर कालेज, बरेली तथा राजकीय इण्टर कालेज देहरादून में 100 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया । इसमें पौड़ी, मेरठ, आगरा तथा बरेली मण्डल के प्रवक्ता सम्मिलित हुये ।

18--सारनाथ, फरीदपुर, लखनऊ, बीसलपुर, उन्नाव, आगरा के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्रों पर जूनियर हाई स्कूल के 300 गणित अध्यापक/अध्यापिकाओं को गणित की नई विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया ।

19--डायट/दीक्षा विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों को विज्ञान किट के उपयोग के माध्यम से विज्ञान शिक्षण करने के लिये संदर्भदाता के रूप में प्रशिक्षित किया गया ।

6--श्रव्य-दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग (इलाहाबाद)

20--वर्ष 1991-92 में डायट के 17 तकनीकी शिक्षकों को संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया गया ।

21--दो चरणों में इलाहाबाद मण्डल में इलाहाबाद, फतेहपुर तथा प्रतापगढ़ जनपदों के 60 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । उन्हें प्रक्षेपित/अप्रक्षेपित उपादानों के निर्माण की विधि तथा कक्षा शिक्षण में उनके उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया ।

7—मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग (इलाहाबाद)

क—सेवा पूर्व प्रशिक्षण

22—इस विभाग द्वारा "डिप्लोमा इन गाइडेन्स सायकलोजी" विषयक एक सत्र (10 माह) की अवधि का प्रशिक्षण सम्पादित किया जा रहा है। इस स्नातकोत्तर डिप्लोमा का प्रमुख उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को निर्देशन, मनोविज्ञान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष में दक्षता प्रदान करना है। इस पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता 15 है।

ख—सेवाकालीन प्रशिक्षण

23—मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के इण्टरमीडिएट स्तरीय प्रवक्ताओं को मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र विषय की आधुनिक प्रवृत्तियों से अवगत कराने के उद्देश्य से द्विसाप्ताहिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षाधिकारियों को मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग के क्रियाकलापों से अवगत कराने हेतु एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

25—मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों के सहकर्मियों तथा विद्यालय मनोवैज्ञानिकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण किया गया।

ग—परामर्श और विशेषज्ञ सेवा

26—व्यवसायों के चयन में छात्र/छात्राओं को परामर्श देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 12,000 से अधिक लोगों को निर्देशन प्रदान किया गया।

27—विभिन्न विभागों द्वारा मांगी गयी विशेषज्ञ सेवा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी। स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के 290 तथा उ0प्र0 सैनिक स्कूल के 110 छात्र/छात्राओं पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रशासित किये गये। रिजर्व पुलिस और पी0ए0सी0 के ड्राइवर्स के 1000 अभ्यर्थियों पर सामूहिक और वैयक्तिक परीक्षण प्रशासित किये गये। एल0टी0 प्रवेश और पुलिस इन्सपेक्टर तथा कान्सटेबिल के चुनाव विषयक साक्षात्कार में भी विभाग के सदस्यों ने सहभाग किया।

8—शैक्षिक तकनीकी विभाग (राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान), लखनऊ

28—गोरखपुर तथा देवरिया जनपद के 8 अध्यापकों का फंड बैंक भेजने सम्बन्धी प्रशिक्षण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर में आयोजित किया गया।

29—बरेली मण्डल के 6 अध्यापकों का फंड बैंक भेजने सम्बन्धी प्रशिक्षण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदपुर, बरेली में आयोजित किया गया।

9—व्यवसायपरक शिक्षा विभाग (लखनऊ)

30—प्रदेश के 40 जनपदों में व्यावसायिक सर्वेक्षण कार्य का अनुश्रवण करने हेतु दो संस्थाओं—राजकीय सी0पी0आई0, इलाहाबाद तथा राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी को नोडल केन्द्र बनाया गया। उक्त जनपदों के 40 जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा 80 सहायक सर्वेक्षण अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण विभाग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

1—जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

	तिथियां	अवधि	प्रतिभागी
31—प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण—			
(1)	11-1-91 से 20-1-91	10 दिवसीय	51
(2)	14-2-91 से 23-2-91	10 दिवसीय	55
		योग ..	106
32—प्रौढ़ शिक्षा प्रेरक का प्रशिक्षण—			
(1)	4-3-91 से 13-3-91	10 दिवसीय	37
		योग ..	37
33—प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक प्रशिक्षण—			
(1)	20-3-91 से 29-3-91	10 दिवसीय	50
		योग ..	50

2--जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव

34--प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण--	तिथियां	अवधि	प्रतिभागी
(1)	10-1-91 से 19-1-91	10 दिवसीय	58
(2)	1-3-91 से 22-3-91	10 दिवसीय	57
		योग ..	115

35--प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक प्रशिक्षण--			
(1)	24-11-90 से 28-11-90 तक	5 दिवसीय	50
		योग ..	50
		महायोग ..	165

3--जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदपुर, बरेली

36--प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण--			
(1)	जनवरी, 1991	10 दिवसीय	50
(2)	फरवरी, 1991	10 दिवसीय	50
		योग ..	100

37--प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक प्रशिक्षण--			
(1)	8-10-90 से 13-10-90 तक	6 दिवसीय	108
		योग ..	108
		महायोग ..	208

4--जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, बीसलपुर, पीलीभीत

38--प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण--			
(1)	7-1-91 से 21-1-91 तक	15 दिवसीय	47
(2)	14-2-91 से 23-2-91 तक	10 दिवसीय	64
(3)	15-3-91 से 24-3-91 तक	10 दिवसीय	50
		योग ..	161

39--प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक प्रशिक्षण--			
(1)	17-9-90 से 22-9-90 तक	6 दिवसीय	126
(2)	23-9-90 से 28-9-90 तक	6 दिवसीय	56
(3)	8-10-90 से 13-10-90 तक	6 दिवसीय	125
(4)	18-12-90 से 22-12-90 तक	5 दिवसीय	86
(5)	26-12-90 से 30-12-90 तक	5 दिवसीय	61
(6)	1-1-91 से 5-1-91 तक	5 दिवसीय	12
		योग ..	466
		महायोग ..	627

5—जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, सारनाथ (वाराणसी)

40—प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण—	तिथियां	अवधि	प्रतिभागी
(1)	4-3-91 से 13-3-91 तक	10 दिवसीय	50
(2)	14-3-91 से 23-3-91 तक	10 दिवसीय	50
		योग ..	100

6—जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, आगरा

41—प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण—			
(1)	7-1-91 से 16-1-91 तक	10 दिवसीय	47
(2)	9-3-91 से 18-3-91 तक	10 दिवसीय	63
(3)	19-3-91 से 28-3-91 तक	10 दिवसीय	57
		योग ..	167

42—प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण—			
(1)	10-9-90 से 25-9-90	10 दिवसीय	51
(2)	19-11-90 से 24-11-90	6 दिवसीय	101
(3)	26-11-90 से 30-11-90	5 दिवसीय	103
(4)	3-12-90 से 7-12-90	5 दिवसीय	61
(5)	7-1-91 से 16-1-91	10 दिवसीय	77
(6)	15-2-91 से 24-2-91	10 दिवसीय	71
(7)	7-3-91 से 16-3-91	10 दिवसीय	65
(8)	6-3-91 से 18-3-91	10 दिवसीय	63
(9)	18-3-91 से 27-3-91	10 दिवसीय	65
(10)	19-3-91 से 28-3-91	10 दिवसीय	57
		योग ..	714
		कुल प्रशिक्षण प्राप्त ..	2174
		महायोग ..	881

[ख] शोध अध्ययन तथा परियोजनाएं

1—प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, इलाहाबाद—

प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा स्तरोन्नयन हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित शोध/अध्ययन कार्य पूरे किये गये :

1—बालिका विद्यालयों का बालिकाओं के नामांकन, ठहराव तथा सम्प्राप्ति पर प्रभाव ।

2—विद्यालयों में महिला शिक्षिका की उपलब्धता का बालिकाओं के नामांकन, ठहराव तथा सम्प्राप्ति पर प्रभाव ।

3—बच्चों को नामांकन संख्या धारण तथा सम्प्राप्ति में शिशु-सदन एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का प्रभाव ।

4—औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों एवं अनौपचारिक केन्द्रों से उत्तीर्ण बच्चों की सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन ।

5—अनौ० शिक्षा केन्द्र में शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त औपचारिक विद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों की प्रगति का अध्ययन ।

6—अच्छे शिक्षक/प्रशिक्षक में अपेक्षित आवश्यक कौशलों का अध्ययन, शिक्षक प्रशिक्षक की क्षमताओं का वर्तमान स्तर और उनकी प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताएं ।

7—प्राथमिक विद्यालयों, अनौ० शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की पाठ्यक्रम एवं अधिगम सामग्रियों की भिन्नता का अध्ययन ।

8—प्राथमिक विद्यालयों अनौ० शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की विद्यालयीय क्रिया-कलापों के दिवसों की संख्या/शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यतीत घण्टों की संख्या का प्रतिभागी के रूप में प्रेक्षण विधि द्वारा अध्ययन ।

9—अनु० जाति/अनु० जन-जातियों के विभिन्न वय वर्ग के बालक/बालिकाओं के स्कूल के बाहर के क्रिया-कलापों का अध्ययन तथा कृषि श्रमिक के रूप में आर्थिक कार्यों का अलग से अपना समय व्यतीत करने वाले बच्चों के स्कूल जाने से प्राप्त सुअवसरों का मूल्यांकन ।

10—विद्यालय जाने वाली बालिकाओं अनु० जाति/अनु० जन-जाति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सामाजिक/आर्थिक अवरोधों का एक अध्ययन ।

11—विद्यालयों में छात्रों की उपलब्धियों की तुलना ।

12—ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के ज्ञात वंचित समूह के बालक/बालिकाओं का बीच में स्कूल छोड़ देने का अलग-अलग प्रतिशत एवं कारण ।

13—सामान्य सुलभ सुविधाओं के अभावों में एक ही वर्ग एवं स्तर के बालक/बालिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन, जो अध्ययनरत हैं और जो अध्ययन से विरत हैं ।

14—उच्च तथा निम्न उपलब्धियों वाले विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं, उपलब्धियों में भिन्नता का कारण ।

15—पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों में समाहित करने हेतु स्थानीय पर्यावरण के सन्दर्भ में स्थानीय आवश्यकताओं, तत्वों एवं सामाजिक जीवन के अवसरों की पहचान करना ।

16—एन० सी० ई० आर० टी०/एस० सी० ई० आर० टी० तथा दवे समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर का औपचारिक एवं अनौ० शिक्षण केन्द्रों के विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों के औसत अधिगम स्तर से तुलनात्मक अध्ययन ।

17—सेवा पूर्व प्रशिक्षण का अध्यापकों की कार्यप्रणाली पर प्रभाव ।

18—सेवारत पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्यापकों की कार्य प्रणाली पर प्रभाव ।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं—

19—यू० एन० एफ० पी० ए० द्वारा सहायित जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम ।

20—यूनीसेफ सहायता प्राप्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना ।

21—यूनीसेफ सहायता प्राप्त क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना ।

22—विश्व बैंक पोषित प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ।

क—सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण ।

ख—क्षेत्रीय आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम सुधार योजना ।

ग—कामगर बच्चों की समस्याओं और उनके लिये व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम की संरचना ।

घ—पूर्व प्राथमिक शिक्षा व बालिकाओं की शिक्षा में सहभागिता ।

अनौपचारिक शिक्षा एकक—

23—अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर बालिकाओं की शिक्षा एवं उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना तथा निराकरण के उपाय ।

24—स्वैच्छिक संस्थाओं का अनौपचारिक शिक्षा में योगदान एक अध्ययन ।

2—भारतीय भाषा विभाग—

25—इण्टरमीडिएट कक्षाओं में विराम चिन्हों के प्रयोग में छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों का अध्ययन ।

26—अहिन्दी भाषी प्रान्तों में द्वितीय भाषा के रूप में निर्धारित हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दावली का अध्ययन ।

27—प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों में सुलेख के प्रति बढ़ती हुयी उदासीनता के कारणों का अध्ययन ।

28—विकलांग छात्र/छात्राओं की समस्याओं और उनका निदान ।

29—छात्रों की हिन्दी सम्बन्धी सामान्य भूलों का अध्ययन (माध्यमिक स्तर पर) ।

30—प्रारम्भिक स्तर (कक्षा 3 से 8 तक) के छात्रों की सृजनात्मक प्रतिभा का अध्ययन ।

31—प्राथमिक छात्रों को अधिगम पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन ।

32—पूर्व माध्यमिक स्तर के छात्रों में वचन की अभिरुचि का अध्ययन ।

3—विदेशी भाषा विभाग—

33—ग्रामीण क्षेत्रों से जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धियों का अध्ययन ।

34—प्रशिक्षण पूर्व एवं प्रशिक्षणोपरान्त डिप्लोमा प्रतिभागियों में बलाघात के प्रयोग का अध्ययन ।

परियोजना--

35—माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्रों हेतु उपयोगी मुहावरों एवं वाक्यांशों का कोश ।

36—माध्यमिक स्तर पर एडीशनल क्लासिज का शिक्षण ।

4—मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग--

37—माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में उल्लिखित प्रशासन योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन एवं प्रभाव ।

38—माध्यमिक शिक्षा में जन-सहयोग की स्थिति एवं सम्भावनायें ।

39—माध्यमिक शिक्षा में संस्थाओं के प्रधानों के वर्तमान अधिकार एवं कर्तव्य तथा उन्हें प्रभावशाली बनाने का सुझाव ।

40—उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सतत, व्यापक मूल्यांकन का सर्वेक्षण ।

41—माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के प्रवेश की प्रतिधारण की स्थिति का सर्वेक्षण ।

42—विद्यालय पलायनकारी छात्रों का अध्ययन ।

43—माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणेत्तर गुणों के विकास के लिये किये गये विभिन्न कार्यक्रमों का सर्वेक्षण ।

44—प्रदेश के अल्प संख्यक माध्यमिक विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था प्रतिधारण क्षमता तथा गुणवत्ता का अध्ययन ।

45—प्रदेश में विकलांगों की शिक्षा की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण ।

46—माध्यमिक स्तर के पैनल निरीक्षण की प्रभावोत्पादकता एवं प्रयुक्त किये जाने वाले प्रपत्रों का मूल्यांकन तथा निर्धारण ।

47—प्रतिभा सम्पन्न बालकों के विकास के लिये अभिवृद्धि कार्यक्रम ।

48—उच्च प्राथमिक स्तर पर मन्दगति से सीखने वाले तथा अल्पार्जक बच्चों के लिये हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान, में उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था ।

5—विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग--

49—हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान/गणित विषयों में स्वकेन्द्रीय परीक्षा प्रणाली के कारण परीक्षाफल पर पड़े प्रभाव का अध्ययन ।

50—राज्य विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कृत छात्रों के पारिवारिक, सामाजिक स्थिति के साथ-साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके द्वारा चयनित व्यवसाय का अध्ययन ।

51—संस्थान द्वारा प्रशिक्षित जूनियर हाई स्कूल गणित अध्यापिकाओं के गणित शिक्षण में गुणवत्ता का अध्ययन ।

52—चयनित मण्डल में स्थापित जूनियर हाई स्कूलों में विद्यमान गणित शिक्षण की सुविधाओं और वहाँ पर कार्यरत विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अध्ययन ।

53—हाई स्कूल तथा इण्टर स्तर पर विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु निर्धारित विज्ञान शुल्क की उपयुक्तता की समीक्षा ।

54—आदिवासी क्षेत्रों में अध्ययनरत आदिवासी छात्रों तथा सामान्य छात्रों के विज्ञान एवं गणित विषयों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन ।

55—माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित के प्रश्न-पत्रों तथा प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों की प्रवेश परीक्षा हेतु इन विषयों के (डिफीकल्टी वैल्यू) की दृष्टि में तुलनात्मक अध्ययन ।

56—शैक्षिक दूरदर्शन के विज्ञान विषयों के कार्यक्रमों की विषयवस्तु के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से मूल्यांकन ।

परियोजना---

57—प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा के लिये साहित्य का निर्माण ।

6—मनोविज्ञान और निदेशन विभाग—

58—प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी (टेस्टिंग एण्ड मेजरमेन्ट) ।

59—विद्यालय की बेसिक कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति अन्य जाति के शिक्षकों व बच्चों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार का अध्ययन ।

60—प्राइमरी विद्यालयों में विशेष रूप से कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार का अध्ययन ।

61—शिक्षकों के अनुसार प्राइमरी विद्यालयों में सुचारु रूप से कार्य करने में शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान का अध्ययन ।

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7280
Date 26.11.92

62--प्राइमरी विद्यालयों में अलाभ ग्रस्त बालकों की समस्याओं का अध्ययन ।

63--माता/पिता/अभिभावकों के अनुसार वर्तमान समय में प्राइमरी विद्यालयों की परिस्थितियों का अध्ययन ।

64--प्राइमरी विद्यालयों के बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति का अध्ययन ।

65--निष्पादन परीक्षण माला का मानकीकरण ।

66--अशाब्दिक मानविकी योग्यता परीक्षा, 1990 का मानकीकरण ।

67--सामूहिक निर्देशन के अन्तर्गत अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा धारा के लिये नव-निर्मित परीक्षण माला का मानकीकरण ।

7--शैक्षिक तकनीकी विभाग--

68--निर्मित शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों की फील्ड टेस्टिंग ।

69--शोध परियोजनाओं के निर्माण विषयक प्रशिक्षण ।

8--शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन विभाग--

70--राज्य के विभिन्न स्तर के शिक्षक संघों की शैक्षिक उन्नयन में भूमिका ।

71--माध्यमिक विद्यालयों में वीक्षण कार्यक्रमों की प्रभावात्मकता का अध्ययन ।

72--प्राथमिक विद्यालयों पर निरीक्षण के प्रभाव का अध्ययन ।

73--माध्यमिक स्तरीय संस्थाओं में सामुदायिक सहयोग का सर्वेक्षण ।

74--अनौपचारिक शिक्षा की वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था की प्रभावकारिता का अध्ययन ।

9--पाठ्यक्रम शोध और मूल्यांकन विभाग--

75--प्रारम्भिक शिक्षा के मूल्यांकन का वर्तमान स्वरूप ।

ग--कार्यशालाएं/गोष्ठियां

1--प्रारम्भिक शिक्षा विभाग--

1--अनौपचारिक शिक्षा के प्रयोग हेतु 10 केन्द्रों के लिये अनुदेशकों के प्रशिक्षण सामग्री का विकास।

2--अनौपचारिक शिक्षा की वर्तमान विषय वस्तु में जनसंख्या शिक्षा के सम्बोधों के यथा स्थान समाहित किये जाने वाले बिन्दुओं की पहचान तथा उनका विकास ।

3--अनौपचारिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु का विश्लेषण ।

4--अनौपचारिक शिक्षा में सम्पूरक विषय वस्तु सामग्री जैसे चार्ट, पोस्ट इत्यादि का निर्माण ।

5--अनौपचारिक शिक्षा हेतु कामिक्स, चित्र कहानियां, कविता आदि की संपूरक अद्यतन सामग्री का निर्माण ।

6--अनौपचारिक शिक्षा हेतु कठपुतली, प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटकों आदि के लिये आलेख तैयार करना ।

7--जनसंख्या शिक्षा से संबंधित मूल्यों और विश्वासों पर विचार गोष्ठी ।

8--राष्ट्रीय योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली एवं यूनेस्को के सहयोग से पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित बहुउद्देशीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

9--अध्यापक अवकाश शिविर आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्र पुरस्कृत अध्यापकों ने भाग लिया और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया ।

2--हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग--

10--राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक उन्नयन में सहायक हिन्दी की बोलियों के लोक गीतों का चयन ।

3--अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग--

11--प्रिपेयरिंग फोनेटिक वाकेबुलरी लिस्ट फार हाई स्कूल टीचर्स विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

12--प्लेस आफ ग्रामर इन द टीचिंग आफ इंगलिश ऐट द सेकेन्डरी लेवल विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया ।

4--मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग--

शिक्षा के आयामों में परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षण अधिगम में अनेक प्रवृत्तियां उभर कर सामने आयी हैं । अतः प्रशिक्षण का वर्तमान परिवेश में अधिक प्रभावी बनाने हेतु विचार गोष्ठी एवं कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं । वर्ष 1991-92 में संस्थान द्वारा निम्नांकित कार्यशालायें आयोजित की गयीं :--

13--सीधी भर्ती के अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण ।

14--एल0 टी0 समन्वित पाठ्यक्रम का विकास ।

15--शिक्षक शिक्षा में सत्रीय कार्य के मानकों का मूल्यांकन एवं निर्धारण ।

45--मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी--

बदलते शिक्षा आयामों के फलस्वरूप शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु मण्डलीय स्तर पर शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी का आयोजन कर शिक्षाधिकारियों, प्रधानाचार्यों व अन्य संबंधित विशेषज्ञों के मध्य विचार-विमर्श उपरान्त निष्कर्ष निकाल कर शासन को प्रेषित किया जाता है । जिस पर कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा समुचित कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1991-92 में विभाग द्वारा निम्नांकित मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठियां आयोजित की गयी :

मण्डल	विषय
16--कानपुर	माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन ।
17--मुरादाबाद	माध्यमिक स्तर पर नारी शिक्षा क्षैक्षिक कार्यक्रम--कठिनाइयां तथा निवारण।
18--लखनऊ	विद्यालयीय प्रबन्ध समस्याएं तथा निराकरण ।
19--आगरा	मूल्यांकन और परीक्षा ।

5--विज्ञान और गणित विभाग--

20--इण्टरमीडिएट के विज्ञान विषय के प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये कामेट योजनान्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सन्दर्भ साहित्य का निर्माण विषयक कार्यशाला आयोजित की गई ।

21--गणित विषय के परीक्षाफल पर आधारित चयनित विद्यालयों के उत्तम तथा न्यूनतम परीक्षाफल वाले हाई स्कूल अध्यापकों की उपलब्धि एवं अध्यापन संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई ।

22--"जीवन की उत्पत्ति" विषय पर राज्य विज्ञान संगोष्ठी दिनांक 28 अगस्त, 1991 को राजकीय इण्टर कालेज, झांसी में आयोजित की गई ।

23--"2001 में विज्ञान " विषयक राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी इस वर्ष राजकीय इण्टर कालेज, नजीबाबाद में आयोजित की गई । जिसमें माध्यमिक स्तर के 500 तथा प्रशिक्षण विद्यालयों के 300 उदीयमान छात्र वैज्ञानिक ने अपने वैज्ञानिक/क्रियाकारी माडल एवं चार्ट आदि प्रस्तुत किये ।

24--संस्थान के कम्प्यूटर संदर्भ केन्द्र में 21 विद्यालयों के अध्यापकों को कम्प्यूटर के संचालन, कार्यक्रम तैयार करने तथा शैक्षिक उपयोग का 21 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया ।

6--श्रव्य-दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग--

25--चलचित्र कार्यक्रम मूल्यांकन प्रपत्र का विकास संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 32 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया ।

26--"नवज्योति पत्रिका का अनौपचारिक साहित्य के रूप में प्रकाशन" संबंधी विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें 42 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया ।

27--प्राइमरी स्कूल स्तरीय श्रव्य-दृश्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की निर्माण संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

28--जन-जागरण कार्यक्रम संबंधी संगोष्ठी जनपद बरेली व शाहजहांपुर में आयोजित की गई ।

7--मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग--

29--विश्व बैंक परियोजना "सबके लिये प्राथमिक शिक्षा" के अधीन योजना पूर्व क्रियायें--मूल्यांकन एवं मापन के अन्तर्गत दिनांक 21 सितम्बर, से 25 सितम्बर, 1991 तक पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

30--वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के नये मानक की आवश्यकता संबंधी तीन दिवसीय विचार गोष्ठी दिनांक 26 से 28 सितम्बर, 1991 को सम्पन्न हुई ।

31--राष्ट्रीय प्रतिभा खोज साक्षात्कार पूर्व प्रशिक्षण कार्यशाला के दो फेरे जुलाई में सम्पन्न हुए ।

32--शिक्षाशास्त्र और मनोविज्ञान के सेवारत प्रवक्ताओं की प्रशिक्षण कार्यशाला 9 से 21 सितम्बर 1991 तक सम्पन्न हुयी ।

33--राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिये मानसिक योग्यता परीक्षण निर्माण कार्यशाला 8 जनवरी से 10 जनवरी, 1992 में सम्पन्न हुयी ।

34--राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम स्तरीय परीक्षा, 1992 के पूर्व जनपद स्तर पर तीन द्विवसीय मार्गदर्शन प्रशिक्षण नवम्बर, 1991 में आयोजित हुआ ।

8--शैक्षिक तकनीकी विभाग--

35--माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्याओं को शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा तथा विभिन्न स्तरों पर इसके उपयोग से परिचित कराने हेतु दो तीन दिवसीय गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

प्रथम गोष्ठी बरेली मण्डल में एवं द्वितीय लखनऊ मण्डल में आयोजित की गयी जिसमें क्रमशः 193 और 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

9--व्यवसायपरक शिक्षा विभाग--

36--व्यावसायिक शिक्षा की प्रचलित मूल्यांकन विधा तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री राजनाथ सिंह, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा श्री अमरनाथ यादव के अतिरिक्त एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 और उद्यमिता विकास संस्थान के विशेषज्ञ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, संस्थाओं के प्रधानों एवं ट्रेड विशेषज्ञों ने भाग लिया।

घ--प्रकाशन

1--प्रारंभिक शिक्षा विभाग--

1--षटमासिक पत्रिका चेतना।

2--बी0 टी0 सी0 पत्राधारित प्रशिक्षण से संबंधित पाठ।

3--प्रतिभा की किरण।

4--उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी तुलनात्मक एवं प्रगति दर्शक।

2--हिन्दी तथा भारतीय भाषा विभाग--

5--वाणी त्रैमासिक पत्रिका के चार अंक (61, 62, 63, 64)

6--हिन्दी भाषी छात्रों के लिये हिन्दीतर भारतीय भाषाओं की राष्ट्रीय एकता विषयक कविताओं का हिन्दी भावान्तर सहित नागरी लिपि में प्रकाशन।

3--अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा विभाग--

7--ब्रजेनिंग टीचर्स रिपर्टवायर आफ टेक्निक्स टू इने बुक लर्नस टू कम्यूनिकेट इफेक्टिवली।

8--इंगलिश फार वोकेशनल परपजेज।

4--श्रव्य-दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग--

9--नव ज्योति 4 अंक।

10--देश-विदेश की लोक कथायें।

11--एकलव्य।

12--मानस की राम कथा (भाग 2) प्रेरक प्रसंग।

13--दीप की लौ।

5--मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग--

14--आपका बालक (त्रैमासिक) चार अंक।

15--व्यावसायिक सूचना (त्रैमासिक) चार अंक।

16--उत्कर्ष।

17--उलझन।

18--बलाघात।

19--वर्ष 1991-92 में निर्मित 49 शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम निम्नवत् हैं--

1--चलो विद्यालय की ओर

2--अक्षर ज्ञान माला, भाग 5

3--हमारी धरती

4--चिट्ठी की कहानी

5--मांटरी प्रणाली

6--पन्ना धाय

7--सच्चाई का उपहार

8--रानी सारन्धा
9--मेरी झोपड़ी
10--सत्य की विजय
11--देखे अक्ल तुम्हारी
12--एकता में अनेकता
13--पेशवा बाजी राव प्रथम
14--अन्न का चमत्कार
15--कहां गई चिट्ठी
16--प्रेरणा
17--मोती जैसे दांत
18--लोकतंत्र बनाम राजतंत्र
19--सम्राट हर्ष वर्द्धन
20--पढ़े और खेले, भाग--3
21--अक्षांश और देशान्तर रेखायें
22--गोस्वामी तुलसीदास
23--तन्दुरुस्ती हजार नियामत
24--स्वच्छ घर
25--विज्ञान के छोटे-छोटे प्रयोग
26--रक्त
27--चिड़ियों की चोंच
28--अनोखी सीख
29--सन्तुलित आहार
30--खट्टे मीठे फल
31--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य
32--स्वास्थ्य एवं पोषण
33--कहां गये सब
34--गुण
35--चांद बीबी
36--रजिया सुल्तान
37--ऐकिक नियम
38--जटलु परिवर्तन
39--जल पम्प
40--भाव नृत्य
41--पृथ्वीराज चौहान
42--व्यायाम से पूर्व सावधानियां
43--विज्ञान(बहु उद्देशीय पम्प)
44--विज्ञान किट(घनत्व आयतन)
45--गुड़िया
46--रेखाओं से चित्र बनायें
47--रद्दी कागज से सामान बनाना
48--मटरू का अस्पताल
49--हवा का एक झोंका

6--प्रकाशन विभाग--

निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण का कार्य कराया गया--
20--ज्ञान भारती 1,2,3,4,5

21--बाल अंक गणित 2,3,4,5

22--हमारी दुनियां हमारा समाज, भाग 3,4,5

23--विज्ञान आओ करके सीखे, भाग 3,4,5

24--नैतिक शिक्षा, भाग-5

25--नवभारती, भाग 1,2,3

26--संस्कृत सुबोध, भाग 1,2,3

27--बेसिक इंगलिश रीडर 1,2,3

28--अंक गणित 1,2,3

29--बीज गणित, रेखा गणित 1,2,3

30--प्रारम्भिक विज्ञान 1,2,3

31--हमारा इतिहास नागरिक जीवन 1,2,3

32--भारत की महान विभूतियां, भाग-1

33--हमारे पूर्वज भाग, 2,3

34--कृषि विज्ञान भाग 1,2,3

35--हमारा भू-मंडल 1,2,3

36--नैतिक शिक्षा 7,8

37--सामान्य अंग्रेजी

38--सामान्य हिन्दी

39--स्काउट गाइड शिक्षा

40--21 उर्दू माध्यम की 33 पुस्तकें ।

7--परिषद् मुख्यालय

42--दोअरी शिक्षा की समाप्ति

43--परिदृश्य

44--एक दशक

45--आचार्य राम मूर्ति समिति द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा आख्या की सिफारिशों के उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन ।

46--न्यूनतम अधिगम स्तर

47--चिन्तन प्रथम पुष्प

48--चिन्तन द्वितीय पुष्प

अन्य महत्वपूर्ण कार्य--

1--पाठ्य पुस्तक लेखन-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में संशोधित पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 1 से 8 तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना की समयबद्ध योजना के अनुसार वर्ष 1991 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार कक्षा 5 की तीन और कक्षा 7 की छः पाठ्यपुस्तकों की रचना का कार्य विभिन्न विभागों के संयोजकत्व में कराया गया :

कक्षा--5

1--हमारी दुनिया हमारा समाज, भाग-3

2--ज्ञान भारती, भाग-5

3--विज्ञान आओ करके सीखें, भाग-3

कक्षा--7

4--नवभारती, भाग-2

5--बीजगणित तथा रेखा गणित, भाग-2

6--बेसिक इंगलिश रीडर, भाग-2

7--संस्कृत सुबोध, भाग-2

8--हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, भाग-2

9—भारत की महान विभूतियां भाग–2

2—पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का युगानुकूलन—

राज्य में प्रचलित राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की युगानुकलता के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया गया। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल के अतिरिक्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, पुस्तक लेखक मण्डल के सदस्यों एवं विषय विशेषज्ञों ने इस गोष्ठी में सहभाग किया।

3—आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति की आख्या की सिफारिशों पर प्रतिवेदन—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु गठित आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति की सिफारिशों के प्रदेश में कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श हेतु निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा समीक्षा आख्या की सिफारिशों पर सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है।

4—शिक्षा संहिता को अद्यतन करना—

विभागीय नियम संग्रह शिक्षा संहिता का अब तक किये गये संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में अद्यतन करने हेतु निदेशक परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। समिति द्वारा संहिता के संशोधन का कार्य किया जा रहा है।

5—राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा—

परिषद् के मनोविज्ञान और निर्देशन निभाग द्वारा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का संचालन किया जाता है। आख्यागत वर्ष में मुख्य परीक्षा के आधार पर 182 छात्र साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये हैं।

6—साक्षरता कार्यक्रम—

श्रव्य दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा जनपद फतेहपुर में संचालित समग्र साक्षरता कार्यक्रम अभियान हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने और जनसामान्यकता को अभिप्रेरित करने की दृष्टि से 72 गावों में अभियान चलाया गया जिससे लगभग 60,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

इसी विभाग द्वारा जनपद इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, पीलीभीत, कानपुर, सोनभद्र में अनौपचारिक उक्त साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया।

7—विज्ञान किट निर्माणशाला विज्ञान—

जर्मन गणराज्य की सहायता से विकास किटों के निर्माण हेतु इलाहाबाद में विज्ञान किट निर्माशाला स्थापित की गयी है। निर्माणशाला में 2.50 करोड़ रुपये के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं तथा शासन द्वारा 19 अस्थायी पदों का सृजन भी किया जा चुका है। सम्प्रति निर्माणशाला द्वारा 485 विज्ञान किटों का निर्माण किया गया है तथा 2,500 विज्ञान किटों हेतु विभिन्न आइटमों की तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

8—जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना—

प्रारम्भिक स्तर तक की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय चरण के 40 जनपदों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना भारत सरकार का शत प्रतिशत सहायता से की जा चुकी है शेष 23 जनपदों में भी संस्थानों की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है। क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन हेतु परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है तथा कार्यों का अनुश्रवण मेंटर के रूप में शासन एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। प्रथम चरण के 20 संस्थानों में से 6 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 5 का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण के 20 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त की स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि 8 जनपदों हरदोई, हरिद्वार, देहरादून, रायबरेली, बांदा, सोनभद्र, अलीगढ़ मैनपुरी में भवन निर्माण हेतु प्रदान कर दी गई है। प्रथम तथा द्वितीय चरण के कुल 40 संस्थानों के पदों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है जिसमें से 86 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। शेष पदों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। संप्रति कार्यरत 8 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्राथमिक शिक्षकों तथा अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है तथा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रगति का विवरण निम्नवत है :—

9—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्थापना एवं प्रगति—

भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से प्रदेश के सभी जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है।

प्रथम चरण

(1987–88)

भारत सरकार के पत्रांक एफ–20/87 टी0 ई0 (डेस्क), मार्च 23, 1980 द्वारा निम्नांकित 20 जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उत्तर प्रदेश शासन की राजाज्ञा सं0 259/15 (13)/89–1499 (46)/87, दिनांक मार्च 28, 1989 द्वारा स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है ।

(1) लखनऊ (2) उन्नाव (3) बरेली (4) पीलीभीत (5) झांसी (6) हमीरपुर (7) बहराइच (8) वाराणसी (9) बलिया (10) आगरा (11) मथुरा, (12) मुरादाबाद (13) इलाहाबाद (14) इटावा (15) फैजाबाद (16) मेरठ (17) बुलन्दशहर (18) गोरखपुर (19) नैनीताल (20) पिथौरागढ़ ।

इनमें निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैं—

(क) भवन		(रुपये लाख में)
(1) भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि	..	727.11
(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि	..	227.11
(3) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नांकित 11 जनपदों में दी गई धनराशि	..	363.52

1—लखनऊ, 2—उन्नाव, 3—बरेली, 4—पीलीभीत, 5—झांसी, 6—हमीरपुर, 7—बहराइच, 8—वाराणसी, 9—बलिया, 10–आगरा, 11—मथुरा ।

(4) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नांकित 7 जनपदों में दी गई धनराशि	..	206.29

1—इलहाबाद, 2—फैजाबाद, 3—मुरादाबाद, 4—बुलन्दशहर, 5—गोरखपुर, 6—नैनीताल, 7—पिथौरागढ़ ।

नोट—शेष 2 जनपद मेरठ तथा इटावा के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासन के विचाराधीन है ।

(ख) उपकरण		(रुपये लाख में)
(1) भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि	..	200.00
(2) भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त में स्वीकृत धनराशि [राजाज्ञा एफ–2–20/87–टी0 ई0(डेस्क), मार्च 23, 1988] ।	..	172.94
(3) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि [राजाज्ञा सं0 1147/15(13)/88—1499(46)/87–टी0 सी0, दिनांक 29 नवम्बर, 1988[।		172.94
(4) उपभोग की गयी धनराशि	..	97.97
(5) धनराशि जिनके आदेश निर्गत कर दिये गये हैं	..	34.00
(6) शेष धनराशि	..	40.97

द्वितीय चरण

(1988–89)

इसके अन्तर्गत भारत सरकार के राजाज्ञा सं0 एफ-2–20/87 टी0 ई0 (डेस्क), दिनांक 30 मार्च, 1989 द्वारा निम्न 20 जनपदों में "डायट" की स्थापना की गयी है :

(1) फतेहपुर (2) कानपुर नगर (3) फर्रुखाबाद (4) शाहजहांपुर (5) ललितपुर (6) रामपुर (7) मुजफ्फरनगर (8) सोनभद्र (9) अलीगढ़ (10) अल्मोड़ा (11) हरदोई (12) बाराबंकी (13) जौनपुर (14) गाजियाबाद (15) बदायूं (16) देहरादून (17) रायबरेली (18) बांदा (19) मैनपुरी (20) हरिद्वार ।

इनमें निम्न प्रकार स्वीकृतियां की गयी हैं—

(क) भवन :		रुपये लाख में
(क) भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि	..	841.10
(2) प्रथम किस्त में अवमुक्त की गयी धनराशि	..	169.87
(3) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 जनपदों हेतु अवमुक्त की गई धनराशि	..	77.66

1—हरदोई, 2–हरिद्वार, 3—देहरादून, 4—रायबरेली, 5—बांदा, 6—सोनभद्र, 7—अलीगढ़, 8—मैनपुरी, ।

(ख) उपकरण—

(क) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	..	134.00
(2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत	..	134.00

(3) उपभोग की गई धनराशि .. 62.49

(4) शेष धनराशि .. 71.51

(ग) नियुक्ति

(1) राजाज्ञा संख्या 1736/15(13)/90-1499 (55)/90, दिनांक 18 सितम्बर, 1990 द्वारा पद सृजित हो गये हैं, तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(2) 2 जनपद हरदोई तथा रायबरेली के संस्थानों में प्राचार्य कार्यरत ।

तृतीय चरण

(1989-90)

भारत सरकार के पत्रांक एफ-2-20/87-टी0 ई0, दिनांक 20 जनवरी, 1992 द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित 22 जनपदों में संस्थानों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। निदेशक परिषद् के पत्रांक राशे/13654-55/91-92, दिनांक 3 फरवरी, 1992 द्वारा उक्त जनपदो में भवन निर्माणार्थ आगणन निर्माण हेतु प्रमुख अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अनुरोध किया जा चुका है ।

1--गाजीपुर, 2--उत्तरकाशी, 3--सीतापुर, 4--प्रतापगढ़, 5--सुल्तानपुर, 6--सिद्धार्थनगर, 7--जालौन, 8--सहारनपुर, 9--बिजनौर, 10--टिहरी, 11--गोन्डा, 12--बस्ती, 13--कानपुर देहात, 14--देवरिया, 15--एटा, 16--पौड़ी, 17--आजमगढ़, 18--मिर्जापुर, 19--मऊ, 20--चमोली, 21--लखीमपुर खीरी, 22--फिरोजाबाद ।

भारत सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में भवन निर्माण हेतु 676.00 लाख रु0 तथा उपकरण/सामग्रियों के क्रयार्थ 154.44 लाख रु0 की स्वीकृति प्रदान की है ।

अध्याय 7

अध्यापक प्रशिक्षण

प्राथमिक स्तर

1—शिशु शिक्षा संस्थाओं के लिये प्रशिक्षित अध्यापिकायें सुलभ कराने हेतु दो राजकीय तथा तीन अराजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय चल रहे हैं । इनमें दो वर्षीय सी0टी0 (नर्सरी) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 154 महिलाओं को प्रशिक्षित करने हेतु प्रवेश स्थान निर्धारित हैं ।

2—प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक-अध्यापिका सुलभ कराने हेतु राजकीय दीक्षा विद्यालयों के पुनर्गठन के पश्चात् 65 राजकीय दीक्षा विद्यालय पुरुष के हैं जिनमें 4 (चार) राजकीय दीक्षा विद्यालय, उर्दू इकाई के रूप में हैं तथा महिलाओं के 51 दीक्षा विद्यालय एवं 5 बी0टी0सी0 चल रहे हैं ।

1988–89 में पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापिकाओं की कमी तथा पर्वतीय मण्डलों के जनपदों की मांग को देखते हुये बी0टी0 सी0प्रशिक्षण विद्यालयों में पुरुष तथा महिला विद्यालयों की प्रवेश संख्या में निम्नलिखित संशोधन कर दिया गया है–

जनपद	पुरुष	महिला
नैनीताल	20	40
अल्मोड़ा	40	60
पिथौरागढ़	40	60
चमोली	40	60
पौड़ी	50	60
टिहरी	40	60
उत्तरकाशी	20	40
देहरादून	20	30
योग ..	270	410

उक्त के अतिरिक्त शेष मैदानी क्षेत्र के जनपदों के पुरुष दीक्षा विद्यालयों में 20 अभ्यर्थियों को तथा महिला दीक्षा विद्यालयों में 30 व इकाईयों में 15 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने का प्राविधान है । इस हिसाब से 1,250 पुरुष, 1,870 महिला प्रति वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ।

3—वर्ष 1978 से बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति को सेवा शर्तों के लागू होने के फलस्वरूप 30 जून, 1978 तक मान्यता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों/प्राइमरी स्कूलों में पूर्व से कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं के विनियमितीकरण हेतु जो अध्यापक/अध्यापिकायें 30 जून, 1978 तक 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा कर चुके हैं उन्हें शासनादेशों के अनुसार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान कर देने की व्यवस्था की गई है ।

सहायता प्राप्त कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/कन्या इण्टर कालेजों के सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण से मुक्ति—

(1) 30 अप्रैल, 1987 को जिन अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की सेवा 10 वर्ष अथवा 10 वर्षों से अधिक हो चुकी है उन्हें उसी तिथि से प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षित वेतनमान दिया जायेगा ।

(2) 30 अप्रैल, 1987 को जिन अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की सेवा 5 वर्ष या 5 वर्ष से ऊपर परन्तु 10 वर्ष से कम है उनके लिये कार्यरत अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा की व्यवस्था की गई है । परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को प्रशिक्षण में छूट दी गई है । इस परीक्षा में कक्षा 8 के स्तर की हिन्दी, गणित, सोशल स्टडीज एवं विज्ञान के चार प्रश्न-पत्र होंगे तथा कक्षा शिक्षा प्रायोगिक परीक्षा भी ली जायेगी । उक्त परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी से शासन द्वारा परीक्षा के समय निर्धारित किया जाने वाला परीक्षा-शुल्क लिया जायेगा ।

(3) 30 अप्रैल, 1987 को जिन अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की सेवा 5 वर्ष से कम हो उनके लिये पत्राचारित प्रणाली द्वारा दो वर्षों का प्रशिक्षण दिया जाय जिसके लिये प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से शासन द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर से प्रति वर्ष परीक्षा शुल्क लिया जायेगा और उक्त प्रशिक्षणार्थियों को बी०टी०सी० प्रमाण-पत्र दे दिया जायेगा।

(4) अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली द्वारा बी० टी०सी० प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में एक पत्राचार प्रणाली केन्द्र स्थापित है जो पत्राचार प्रणाली द्वारा बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कार्य तथा अनुभव पर आधारित कार्यरत अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित की गई है। बी०टी०सी० प्रशिक्षण से छूट देने का कार्य सम्बन्धित सम्भागीय उप-निदेशकों तथा बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं द्वारा किया जा रहा है।

(5) गृह विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षण सम्बन्धी अध्यापक/अध्यापिकाओं को सी०टी०/सी०पी०एड० स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु निम्नलिखित संस्थायें चल रही हैं—

संस्थायें	पुरुष	महिला	योग
1—राजकीय गृह विज्ञान बी०टी० कालेज	..	1	1
2—राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	1	1	2
3—सहायता प्राप्त शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	2	..	2

माध्यमिक स्तर

(क) माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश के पाँच महाविद्यालय हैं। इनमें से 2 महिलाओं के तथा 3 पुरुषों के राजकीय महाविद्यालय हैं। पाँच राजकीय तथा सात अशासकीय एल०टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता निम्नवत् है—

1—राजकीय केन्द्रीय अध्यापक संस्थान, इलाहाबाद	80
2—राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	80
3—राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	30
4—राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी (50 पुरुष, 50 महिला)	100
5—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ (70 विज्ञान, 70 रच०, 15 कृषि)	155
6—के०पी० प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	100
7—किशोरी रमण ट्रेनिंग कालेज, मथुरा	80
8—डी०ए०वी० ट्रेनिंग कालेज, कानपुर	100
9—सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी	100
10—दिग्विजय नाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर (60 एल०टी० सामान्य, 60 एल०टी० कृषि)	120
11—किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती	80
12—क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ (80, 20 अंग्रेजी माध्यम)	100
13—सिटी मान्टेसरी अंग्रेजी माध्यम महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	40

क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ में निर्धारित कुल स्थान का 15 प्रतिशत क्रिश्चियन अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित है। इस प्रकार एल०टी० स्तर के प्रशिक्षण हेतु 1,165 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में प्रवेश अर्हता में वर्ष 1982-83 से विशेष शिथिलता प्रदान की गयी है, जिसके अनुसार बी०ए० में एक विषय गृह विज्ञान में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रशिक्षण हेतु अर्ह है।

(6) उपर्युक्त संस्थाओं के अतिरिक्त मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में डिप्लोमा इन गाइडेन्स साइकोलाजी प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसके अनुसार 15 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि अगस्त से अगले वर्ष की माह मई तक है तथा प्रवेशार्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम०ए० मनोविज्ञान अथवा एम० एड० में द्वितीय श्रेणी है। शिक्षा विभाग के राजकीय कर्मचारियों को यह भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा रखी गई है।

(7) प्रदेश में विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं के कार्य-कलापों में समन्वय एवं एक सूत्रता बनाये रखने की आवश्यकता को समझते हुये कतिपय अन्य राज्यों की भांति इस प्रदेश में भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की गई है जो इन संस्थाओं को दीर्घकालीन नियोजित कार्यक्रम की प्रणाली और उपलब्धियों को नव चेतना प्रदान करेगी।

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु एल0 टी0/सी0 टी0 स्तर पर डी0 पी0 एड0/सी0 पी0 एड0 प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित संस्थाओं में उपलब्ध है :—

क्रमांक	प्रशिक्षण महाविद्यालयों का नाम	पाठ्यक्रम	निर्धारित संख्या
1	2	3	4
1	राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	1—डी0 पी0 एड0	50
		2—सी0 पी0 एड0	50
2	राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	1—डी0 पी0 एड0	25
		2—सी0 पी0 एड0	25
3	श्री गांधी स्मारक शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, समोधपुर, जौनपुर	1—सी0 पी0 एड0	50
4	क्रिश्चियन कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन, लखनऊ	1—डी0 पी0 एड0	30
		2—सी0 पी0 एड0	6

क्रिश्चियन कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन, लखनऊ में निर्धारित कुल संख्या के 15 प्रतिशत स्थान क्रिश्चियन अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित हैं ।

आवासीय विद्यालयों में मनोवैज्ञानिक सेवा की व्यवस्था

13—एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर प्रदेश के बालकों में मेधावी छात्रों का चयन करके उन्हें आवासीय शिक्षा की सुविधा कराने की योजना चल रही है । यह छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करते हैं । अतएव उनके समक्ष समायोजन सम्बन्धी अनेक समस्यायें उत्पन्न होती हैं । उन समस्याओं तथा उनके मनोवैज्ञानिक परीक्षण को प्रतिदिन की प्राप्त परीक्षा अंकों को देखने तथा उनसे विद्यालयों को अवगत कराने हेतु आवासीय विद्यालय स्कूल कौन्सिल की नियुक्ति की गई है । इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा में स्थापित आवासीय विद्यालय में स्कूल कौन्सिल नियुक्ति के आदेश प्रयोगात्मक आधार पर निर्गत कर दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा

14—वर्ष 1984-85 में केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटर साक्षरता का कार्यक्रम लागू किया गया । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चुने हुये 28 विद्यालयों में से 15 माध्यमिक विद्यालयों के 38 अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का उक्त योजना के अन्तर्गत आई0 आई0 टी0, कानपुर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की तथा टी0 टी0 आई0, भोपाल में कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षित कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया । माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को, जिन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, नई दिल्ली द्वारा यात्रा-भत्ता दिया गया । प्रत्येक विद्यालय को इस योजना के अन्तर्गत दो-दो सेट कम्प्यूटर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये और इन सेटों पर आकस्मिक व्यय हेतु प्रत्येक विद्यालय हेतु 35.00 रुपये की धनराशि का भुगतान भी किया गया ।

वर्ष 1985-86 हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 30 माध्यमिक विद्यालयों तथा 29 केन्द्रीय विद्यालयों का चयन किया गया । प्रत्येक विद्यालय से विज्ञान, वाणिज्य तथा भूगोल के 3-3 अध्यापकों को इस योजना के अन्तर्गत चुना गया । रिसोर्स केन्द्रों के रूप में रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, आई0 आई0 टी0, कानपुर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद का चयन किया गया । इन केन्द्रों पर माध्यमिक विद्यालयों के 84 अध्यापकों/अध्यापिकाओं ने 17 जून, 1988 से 6 जुलाई, 1988 तक का प्रशिक्षण प्राप्त किया । इन अध्यापकों के अतिरिक्त प्रदेश के पांच विज्ञान प्रगति अधिकारियों ने भी कम्प्यूटर शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त किया । जो चयनित अध्यापक इस प्रशिक्षण से वंचित रह गये उनके लिये प्रशिक्षण का कार्यकाल अलग से नियोजित करने का विचार किया जा रहा है ।

वर्ष 1986-87 हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया था । प्रत्येक विद्यालय से विज्ञान, वाणिज्य तथा आर्ट्स के 3-3 अध्यापकों को इस योजना के अन्तर्गत चुना गया । रिसोर्स केन्द्र के रूप में रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की, बनारस विश्वविद्यालय, वाराणसी, आई0 आई0 टी0, कानपुर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद का चयन किया गया । इन केन्द्रों पर 135 अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया ।

वर्ष 1987–88 हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 65 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। प्रत्येक विद्यालय से (विज्ञान, वाणिज्य तथा आर्ट्स के) तीन-तीन अध्यापकों को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु चुना गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 6 सन्दर्भ केन्द्रों (रिसोर्स सेन्टर) रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, आई0 आई0 टी0, कानपुर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद तथा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर का चयन किया गया। इन केन्द्रों पर उक्त विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

वर्ष 1988–89 हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 38 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। प्रत्येक विद्यालयों से तीन–तीन अध्यापकों को इस योजना के अन्तर्गत चुना गया तथा सन्दर्भ केन्द्रों (रिसोर्स सेन्टरों) पर इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

वर्ष 1989–90 हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 27 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। चयनित विद्यालयों से तीन–तीन अध्यापकों को योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये 6 सन्दर्भ केन्द्रों (रिसोर्स सेन्टर्स) रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर, आई0 आई0 टी0, कानपुर का चयन किया गया है। वर्ष 1989–90 में इसके रख-रखाव हेतु 7.77 लाख रु0 की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 1990–91 में 35 विद्यालयों में कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराने हेतु 12.60 लाख रु0 का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया।

इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा का ज्ञान देने के अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कम्प्यूटर की आवश्यकता एवं महत्व से भी अवगत कराया गया।

वर्ष 1991–92 में अभी तक नये विद्यालयों में कम्प्यूटर सेट्स उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। शीघ्र व्यवस्था हो जाने की आशा है। इण्टर स्तर पर लघु कम्प्यूटर शिक्षा विषय के रूप में लागू करने का विचार किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उन विद्यालयों में कम से कम यह लघु कोर्स अगले वर्ष से तो लागू कर दिया जायेगा। प्रदेश में इस कार्यक्रम की ओर विद्यालय की जागरूकता बढ़ रही है।

नैतिक शिक्षा

15—गत वर्ष प्रदेश के विभिन्न स्तर के अध्यापकों के लिये नैतिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सन्दर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक दीक्षा विद्यालय के (पुरुष/महिला में से) दो अध्यापक/अध्यापिकाओं को 5 फेरे से शान्ति कुंज सप्त सरोवर, हरिद्वार में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार लगभग 2,500 अध्यापक/अध्यापिकाओं को सन्दर्भ व्यक्तियों के रूप में दिसम्बर, 1985 तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

इन अध्यापक/अध्यापिकाओं के साथ-साथ सम्बन्धित दीक्षा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं एवं मण्डल के समस्त सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

इस प्रशिक्षण में राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद का भी सहयोग प्राप्त किया गया। शासन ने इस प्रशिक्षण में होने वाले व्यय की व्यवस्था पृथक् से की है।

इस सन्दर्भ में प्रशिक्षित अध्यापक प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापक प्रशिक्षित करने की योजना के अन्तर्गत जनपद के राजकीय पुरुष/महिला दीक्षा विद्यालय प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से एक-एक अध्यापक के 50 अध्यापक प्रति फेरे की दर से पांच फेरे में प्रशिक्षित किये गये हैं।

नैतिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं, जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं को भी प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानों के स्काउटिंग शिविर आयोजित कर उन्हें नैतिक शिक्षा एवं विभागीय कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया गया। नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा "समूहगान" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गयी तथा इस पुस्तिका को प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में वितरित भी कर दिया गया है। सामुदायिक गायन कार्यक्रम को माध्यमिक विद्यालय में लागू करने के लिये सर्वप्रथम प्रदेश के समस्त जनपदों में तीन अध्यापकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के सौजन्य से संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षित संदर्भ अध्यापकों की सहायता से प्रत्येक जनपद में माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक अध्यापक को प्रशिक्षित किया गया। अब इन प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से सामुदायिक गायन कार्यक्रम को माध्यमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया है। "समूहगान" पुस्तिका में 20 राष्ट्रीय महत्व के गीतों को संकलित किया गया है। सामुदायिक गायन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता प्रतिस्थापित करना है।

अध्याय 8

दक्षिण भारतीय एवं अन्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की राज्य भाषाओं की शिक्षा

शिक्षा के माध्यम से उत्तर–दक्षिण की दूरी कम करने एवं भाषायी भेदभाव मिटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश में दक्षिण भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था प्रदेश के आठ राजकीय इण्टर कालेजों एवं एक गैर–सरकारी संस्था के माध्यम से कर रखी है । इस प्रकार की कक्षाओं का संचालन राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, झांसी, इलाहाबाद तथा वाराणसी में किया जाता है । इसके अतिरिक्त लखनऊ में मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी में तमिल एवं तेलुगु भाषाओं के उच्च अध्ययन की व्यवस्था की गयी है । इस प्रयोजन हेतु सोसाइटी को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान दिया जाता है । तमिल और तेलुगु भाषा में उच्च पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रत्येक को प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने के उपरान्त 250 रु0 तथा दूसरे वर्ष के अन्त में कोविद परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त 300 रु0 का पारितोषिक प्रदान किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के संचालनार्थ निम्न मदों पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है:–

आवर्तक व्यय

	मदें	धनराशि
		रु0
1	पाठ्य पुस्तकों तथा सहायक पुस्तकों हेतु प्रति छात्र अनुदान	30.00
2	प्रासंगिक व्यय––	
	"क" लखनऊ को छोड़कर शेष प्रत्येक केन्द्रों को प्रतिवर्ष	3000.00
	"ख" दक्षिण भारतीय भाषा विद्यालय, लखनऊ को प्रतिवर्ष	4000.00
3	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इण्डियन लैंग्वेजेज मैसूर में 20 छात्रों को वर्ष में केवल एक बार दो सप्ताह का प्रशिक्षण जिसमें एक पथ–प्रदर्शक अध्यापक भी जाता है व्यय हेतु प्रतिवर्ष	21000.00
4	प्रत्येक सम्बन्धित भाषा के अध्यापक को––	
	"क" स्नातक योग्यता रखने वाले को मासिक भत्ता (दस माह का)	350.00
	"ख" मैट्रीकुलेट योग्यता रखने वाले अध्यापक को मासिक भत्ता (दस माह का)	250.00
	"ग" प्रत्येक केन्द्र के प्रधानाचार्य को मासिक भत्ता (दस माह का)	150.00

छात्र/छात्राओं को दो सप्ताह के लिये सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इण्डियन लैंग्वेजेज, मैसूर में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । साथ ही उन्हें दक्षिण भारत की संस्कृति, रीति–रिवाजों, रहन-सहन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का भी अवसर सुलभ होता है । यह राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव जागृत करने में एक प्रभावकारी योजना है ।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987–88 से 1990–91 तक प्रतिवर्ष आयोजनेतर बजट में 2.00 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है किन्तु वर्ष 1991–92 में केवल 1.00 लाख रु0 का ही प्राविधान है । प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता से कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की कक्षायें भी जनवरी, 1970 से चल रही हैं। परीक्षार्थियों का 20वां बैच रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित 1990 की परीक्षा में सम्मिलित हुआ ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अहिन्दी क्षेत्रों की राज्य भाषाओं की अध्ययन-अध्यापन हेतु व्यवस्था के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1990 से 8 भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगला, गुजराती एवं मराठी भाषाओं के अध्ययन हेतु निम्नलिखित 8 जनपदों में 16 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 में अध्यापन प्रारम्भ किया गया है:–

क्रम-संख्या	जनपद	विद्यालय का नाम	चयनित भाषा
1	2	3	4
1	कानपुर	1––राजकीय इण्टर कालेज, कानपुर	उड़िया
		2––कानपुर विद्या मन्दिर कन्या इण्टर कालेज, स्वरूप नगर, कानपुर	मलयालम
2	आगरा	3––राजकीय इण्टर कालेज, आगरा	गुजराती
		4––श्रीमती वी0डी0जैन कन्या इण्टर कालेज, आगरा	गुजराती

1	2	3	4
3	वाराणसी	5—क्वींस इण्टर कालेज, वाराणसी	बंगला
		6—राजकीय बालिका इन्टर कालेज, वाराणसी	बंगला
4	झांसी	7—राजकीय इण्टर कालेज, झांसी	मराठी
		8—राजकीय बालिका इण्टर कालेज, झांसी	तमिल
5	गाजियाबाद	9—सेठ मुकुन्द लाल इण्टर कालेज, गाजियाबाद	बंगला
		10—रुकमणि कन्या इण्टर कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद	बंगला
6	लखनऊ	11—राजकीय जुबिली इण्टर कालेज, लखनऊ	तमिल
		12—राजकीय बालिका इण्टर कालेज, शाहमीना रोड, लखनऊ	कन्नड़
7	इलाहाबाद	13—राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद	मराठी
		14—जगत तारन गर्ल्स इण्टर कालेज, इलाहाबाद	कन्नड़
8	देहरादून	15—आशाराम वैदिक इण्टर कालेज, रविदास नगर, देहरादून	बंगला
		16—राजकीय बालिका इण्टर कालेज, देहरादून	तमिल

उपर्युक्त योजना के संचालन हेतु वर्ष 1990-91 में 3.96 लाख रु0 का अनुदान स्वीकृत किया । वर्ष 1991-92 के बजट में भी 3.96 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है ।

अध्याय 9

संस्कृत शिक्षा

1--स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विगत 43 वर्षों में प्रदेश की सामान्य शिक्षा के साथ प्राचीन शिक्षा (संस्कृत) के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर प्रत्याशित वृद्धि एवं प्रगति हुई है । वर्ष 1982--83 तक प्रदेश में मान्यता एवं सहायताप्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की कुल संख्या 1100 रही । यह संख्या वर्ष 1984--85 में बढ़कर 1220 हो गयी थी । प्रशासनिक अनियमितताओं आदि के कारण वर्ष 1985--86 में सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा 430 संस्कृत पाठशालाओं की मान्यता निरस्त करने एवं सम्बद्धता वापस लेने की स्थिति के कारण इन संस्कृत पाठशालाओं की वास्तविक संख्या में अभिवृद्धि के बजाय कमी आना स्वाभाविक हो गया, फलतः इस मान्यताप्राप्त सहायिक संस्कृत पाठशालाओं की संख्या 928 ही रह गई है ।

2--उत्तर प्रदेश में कुल 928 राज्यानुदानित संस्कृत पाठशालायें हैं, जो प्रथम श्रेणी (क वर्ग), द्वितीय श्रेणी (ख वर्ग), तृतीय श्रेणी (ग वर्ग) एवं चतुर्थ श्रेणी (घ वर्ग) इन चार श्रेणियों में शासन द्वारा विभक्त हैं, जिनका विवरण निम्नांकित है:-

1--प्रथम श्रेणी (क वर्ग)--152(एक सौ बावन) है ।
2--द्वितीय श्रेणी (ख वर्ग)--52(बावन) है ।
3--तृतीय श्रेणी(ग वर्ग)--07 (सात) है ।
4--चतुर्थ श्रेणी (घ वर्ग)--717(सात सौ सत्रह) है ।

कुल योगः-- 928 (नौ सौ अट्ठाइस) है ।

मण्डलवार विवरण निम्नवत् है:-

(1) मेरठ--51, (2) आगरा--57, (3) बरेली--32, (4) इलाहाबाद---100, (5) वाराणसी---218, (6) लखनऊ---48, (7) गोरखपुर---177, (8) फैजाबाद--130, (9) झांसी---55, (10) मुरादाबाद---5, (11) पौड़ी---36, (12) नैनीताल---10 ।

928 संस्कृत पाठशालाओं के प्रधान अध्यापक/अध्यापकों एवं अन्य स्वीकृत कर्मचारियों का वेतन आदि का भुगतान विधिवत् नियुक्त अध्यापकों का वेतन आदि का सम्पूर्ण व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश की संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन, मंहगाई भत्ता, नगर आवास भत्ता, बोनस, पुनरीक्षित वेतन, पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष पोषण अनुदान पुस्तक क्रय करने सम्बन्धी अनुदान तथा जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप घाटे की क्षतिपूर्ति के अनुदान आदि के मदों में विगत 5 वर्षों में निम्नांकित धनराशियां शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्रम-संख्या	वर्ष	स्वीकृति धनराशि
1	1986-87	6,58,85,000(छः करोड़ अट्ठावन लाख पच्चासी हजार)
2	1987-88	8,17,27,000(आठ करोड़ सत्रह लाख सत्ताइस हजार)
3	1988-89	8,39,66,000(आठ करोड़ उनतालिस लाख छाछठ हजार)
4	1989-90	12,27,55,000(बारह करोड़ सत्ताइस लाख पचपन हजार)
5	1990-91	13,17,29,000(तेरह करोड़ सत्रह लाख उनतीस हजार)

उक्त स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त नये वेतनमान के अवशेषों के रूप में 1 जनवरी, 1986 से वर्ष 89-90 तक निम्नांकित धनराशियां वर्ष 89-90 तथा 90-91 में स्वीकृत की गयी हैं:-

(क)	वर्ष 1989-90	3,61,00,000(तीन करोड़ एकसठ लाख मात्र)
(ख)	वर्ष 1990-91	3,00,00,000(तीन करोड़ मात्र)
	कुल योग ..	6,61,00,000(छः करोड़ एकसठ लाख मात्र)

संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान--

इस योजना के अन्तर्गत संस्कृत पाठशालाओं को भवन निर्माण, पुस्तकालय एवं साज-सज्जा हेतु क्रमशः 50, 10 एवं 5 हजार रु० की अधिकतम सहायता धनराशि एक संस्था को स्वीकृत की जाती है । वर्ष 86-87 में 2,85,500, वर्ष 87-88 में 1,76,700, 88-89 में 8,47,000, 89-90 में 5,47,000 तथा 90-91 में 2,99,000 की धनराशि स्वीकृत की गयी । वर्ष 91-92 में 8,75,000 की धनराशि का प्राविधान कराया गया है ।

राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के भवनों का निर्माण, विस्तार तथा विद्युतीकरण--

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 में राजकीय संस्कृत पाठशाला, ज्ञानपुर तथा चकिया (वाराणसी) के भवनों के निर्माण हेतु 3,32,000 रु० का परिव्यय रखा गया है ।

शासन ने शासनादेश संख्या 1994/18-17-86-57(2)-86, दिनांक 10 फरवरी, 1987 द्वारा इन संस्कृत पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के नियमित वेतन भुगतान का सम्पूर्ण व्यय भार अपने ऊपर ले लिया है और मार्च, 1987 से प्रत्येक जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रत्येक अध्यापक को उनके बैंक खाते में अन्तरण द्वारा नियमित मासिक वेतन भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी है, इस प्रकार प्रदेश के संस्कृत पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को वेतन भुगतान की व्यवस्था सुदृढ़कर दी गयी है और संस्कृत पाठशालाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु कई योजनायें भी प्रस्तावित हैं जिससे इन संस्थाओं का उत्तरोत्तर विकास हो सके ।

प्रदेश की संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों को भी अन्य सामान्य शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की भांति वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्रदान किये गये थे । राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त एवं संस्कृत शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की भांति अधिवर्षता आयु के उपरान्त दो वर्षों की सेवा विस्तरण प्रदान करने की सुविधा से लाभान्वित करने विषयक आदेश शासन द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं । वर्ष 1981-82 में 96 पण्डितों को अभीष्ट सहायता प्रदान की गयी ।

अध्याय 10

उर्दू, अरबी तथा फारसी की शिक्षा से संबंधित सूचना

प्रदेश में अरबी तथा फारसी मदरसों की कुल संख्या 389 है, जो विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 249 मदरसे सहायताप्राप्त हैं। विभाग द्वारा सहायताप्राप्त अरबी/फारसी मदरसों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

अनुरक्षण अनुदान, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं बोनस। इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक अनुदान, भवन, साज-सज्जा, पुस्तकालय अनुदान भी विभाग द्वारा इन मदरसों को दिये जाते हैं। विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सहायताप्राप्त एवं असहायताप्राप्त मदरसों को केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 1990–91 में प्रदेश के 12 अरबी, फारसी मदरसे अनुदान सूची पर लिये गये।

परीक्षाएं

विभाग द्वारा अरबी तथा फारसी की पांच परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। फारसी की दो परीक्षाएं मुन्शी तथा कामिल और अरबी की तीन परीक्षाएं–मौलवी, आलिम तथा फाजिल हैं। इन परीक्षाओं का कोर्स दो–दो वर्ष का है। इन परीक्षाओं के आयोजनार्थ एक बोर्ड बना हुआ है जो आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में सुधार तथा परीक्षकों की नियुक्ति करता है। अरबी तथा फारसी परीक्षाओं का गत 5 वर्षों का परीक्षाफल निम्नवत् है:—

वर्ष	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1987 ..	6651	4240	3275
1988 ..	8063	6273	4869
1989 ..	9852	6114	4405
1990 ..	10484	7062	5315
1991 ..	10449	7684	परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ

सहायताप्राप्त अरबी मदरसों के अतिरिक्त दो और भी मदरसे हैं। एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मिर्जापुर का ओरिएंटल सेक्शन तथा दूसरा राजकीय ओरिएंटल कालेज, रामपुर है।

निरीक्षक अरबी मदरसाज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अरबी तथा फारसी परीक्षाओं का रजिस्ट्रार तथा उर्दू माध्यम विद्यालयों के निरीक्षक भी हैं।

प्रदेश में उर्दू अल्प शिक्षा की प्रगति

उत्तर प्रदेश में उर्दू अल्पसंख्यकों की एक प्रमुख भाषा है। इस भाषा के बोलने वालों की संख्या प्रदेश की आबादी का एक अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अक्तूबर 1989 में उर्दू भाषा को राज्य स्तर पर द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया गया तथा शासन द्वारा एक स्वतंत्र उर्दू निदेशालय की स्थापना भी हो चुकी है।

प्रदेश में उर्दू भाषा को विकसित करने हेतु तीन उद्देश्य रखे गये हैं जो निम्नवत् हैं :—

1—मातृ भाषा के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराना।

2—शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उर्दू के पठन–पाठन की सुविधा उपलब्ध कराना।

3—राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक सामंजस्य को उत्साहित करना एवं बढ़ावा देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रदेश में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:—

प्राथमिक स्तर

1—ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में जहां एक कक्षा में न्यूनतम 10 छात्र अथवा पूरे विद्यालय में न्यूनतम 40 छात्र उर्दू पढ़ने वाले उपलब्ध हैं एक उर्दू अध्यापक की व्यवस्था की जाती है।

2—बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूलों में आगामी सत्र में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की जानकारी हेतु प्रत्येक परिषदीय प्राइमरी विद्यालय में अग्रिम छात्र पंजिका (एडवांस इन्स्टालमेन्ट रजिस्टर) के रखने व भरे जाने के स्थायी निदेश हैं। जिससे इस रजिस्टर में नये सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व अभिभावकगण उर्दू शिक्षण विषयक अपनी आवश्यकता का उल्लेख करें और मानक अनुसार उर्दू शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जा सके।

3—प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश प्रार्थना-पत्रों में मातृभाषा तथा जिस भाषा के माध्यम से छात्र पढ़ना चाहते हैं, इसकी सूचना एकत्र की जाती है। विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने हेतु समय सारिणी में पृथक् से घंटे की व्यवस्था भी की गई है।

4—शासन ने दिनांक 18 सितम्बर, 1990 को प्रदेश के प्रत्येक तहसील में दो मकतबों को अनुदान देने हेतु संकलित सूची मांगी है। सूची एकत्र करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 2201-75, दिनांक 4-10-90 द्वारा समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निदेश दिया जा चुका है।

5—शासन ने विभिन्न राजाज्ञाओं द्वारा वर्ष 1969-70 से अब तक बेसिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक/अध्यापिकाओं के 6082 पद सृजित किये। जिनमें से 1027 पद प्राथमिक वेतनक्रम में जूनियर हाई स्कूलों में दिए गये। इसके अतिरिक्त प्रदेश के परिषदीय सीनियर बेसिक विद्यालयों में उर्दू सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के 5,000 पद राजाज्ञा संख्या 7320क/15-584, दिनांक 15 अक्तूबर, 1984 द्वारा सृजित किये गये हैं जिनमें से 4320 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शेष पदों को विज्ञापित कर नियुक्ति हेतु इस कार्यालय से पत्र संख्या 1941-2016, दिनांक 7 सितम्बर, 1990 निर्गत किया जा चुका है। बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों की अनुपलब्धता के कारण कुछ अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ी थी। सम्प्रति 30 जून, 1989 तक नियुक्त 1796 अप्रशिक्षित (उर्दू अध्यापक/अध्यापिकाओं) को प्रदेश के 57 सम्पर्क केन्द्रों पर पत्राचार माध्यम से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा की गयी है जिसके लिए शासन द्वारा 4,92,000 की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत 364 गैर सरकारी तथा 202 परिषदीय ग्रामीण क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूलों एवं 62 नगर क्षेत्र के जू0 हा0 स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के अध्यापन के लिये अनुदान पूर्ववत् जारी है। प्रदेश के त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन में अर्द्धशासकीय पत्रांक संख्या 5161/15-7-1-158 (89) शिक्षा (7) अनुभाग विधान भवन, लखनऊ दिनांक 10 अगस्त, 87 के अनुसार निम्नवत् लागू है :—

(1) हिन्दी तथा अनिवार्य संस्कृत या सामान्य हिन्दी

(2) अंग्रेजी तथा

(3) संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगला, गुजराती, मराठी, असमी, उड़िया, कश्मीरी, तेलगू, मलयालम, तमिल, कन्नड़, सिन्धी में से कोई एक भाषा।

6—उर्दू भाषा में प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के चार स्थानों—लखनऊ, भवाना (मेरठ), आगरा तथा सकलडीहा (वाराणसी) में 4 उर्दू बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, जिनमें प्रत्येक में प्रति वर्ष 15-15 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

7—प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल स्तर की सभी 33 राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के उर्दू संस्करण उपलब्ध करा दिये गये हैं। छात्रों को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समय-समय पर शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं तथा परिणामी व्यवस्था की जाती है। उर्दू पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य हिन्दी की पुस्तकों के समान रखने हेतु "सब्सिडी" दी जाती है।

उर्दू माध्यम प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक सभी विषय उर्दू माध्यम से पढ़ाये जाते हैं तथा कक्षा 3 से हिन्दी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन से पूर्व जिला परिषदों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उर्दू माध्यम प्राइमरी स्कूल जिन्हें इस्लामिया स्कूल कहा जाता था उन्हीं को अब उर्दू माध्यम परिषदीय प्राइमरी विद्यालय कहा जाता है। प्राइवेट मान्यताप्राप्त मकतब भी उर्दू माध्यम प्राइमरी स्कूल ही हैं :—

प्राथमिक स्तर:—

1—उर्दू माध्यम परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों की संख्या	422
2—मान्यताप्राप्त मकतबों की संख्या	1151
योग	1573

3--अनुदानित मकतबों की संख्या	814
4--उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले विद्यालयों की संख्या	5581
5--उर्दू माध्यम विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की संख्या	4182
6--प्राथमिक स्तर पर उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या	5581
प्राथमिक स्तर पर उर्दू के कुल अध्यापकों की संख्या	9763
7--उर्दू माध्यम प्राथमिक विद्यालयों की छात्र संख्या	177901
8--उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या	158242
कुल छात्र संख्या	336143

जू0 हा0 स्कूल स्तर:--

1--उर्दू माध्यम परिषदीय जू0 ह0 स्कूल की संख्या	शून्य
2--उर्दू माध्यम प्राइवेट मान्यताप्राप्त जू0 हा0 स्कूलों की संख्या	18
3--उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले परिषदीय जू0 हा0 स्कूलों की संख्या	4453
4--उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले प्राइवेट मान्यताप्राप्त जू0 हा0 स्कूलों की संख्या	364
उर्दू पढ़ाने वाले जू0 हा0 स्कूलों की कुल संख्या	4835
5--उर्दू माध्यम जू0 स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या	73
6--उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले जू0 हा0 स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	4817
कुल अध्यापकों की संख्या ..	4890
7--उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या	2241
8--उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या	59972
कुल छात्र संख्या ..	62213

अध्यापकों के पद--

1--प्रदेश के परिषदीय जू0 बेसिक विद्यालयों हेतु अब तक सृजित उर्दू अध्यापकों के पदों की कुल संख्या	6082
2--सीनियर बेसिक विद्यालयों हेतु सृजित उर्दू अध्यापकों के पदों की कुल संख्या	5000
योग ..	11082

उच्चतर माध्यमिक स्तर

1--हाई स्कूल कक्षाओं के उर्दू पढ़ाई की सुविधा वाले विद्यालय--	
सरकारी	109
गैर सरकारी	830
2--इण्टर कक्षाओं में उर्दू की पढ़ाई वाले विद्यालय--	
सरकारी	38
गैर सरकारी	312

उच्च शिक्षा स्तर

1--प्रदेश के महाविद्यालयों में उर्दू विषय की उच्च शिक्षा के अध्ययन/अध्यापन को शासन द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मानक के अनुसार स्नातक स्तर पर यदि किसी विषय में 25 छात्र उपलब्ध होते हैं तभी उस सम्बन्धित महाविद्यालय में उस विषय को सम्बद्धता प्रदान की जाती है। किन्तु उर्दू विषय के लिये शिथिलता प्रदान कर न्यूनतम छात्र संख्या केवल 16 रखी गई है।

2---वर्तमान 69 महाविद्यालयों में उर्दू विषय पढ़ाया जाता है इनमें छात्र संख्या 4,165 है । इनमें 77 शिक्षक उर्दू का अध्यापन कर रहे हैं। इन विद्यालयों में से 11 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर भी उर्दू शिक्षा दी जाती है।

उर्दू शिक्षा की अन्य सुविधायें---

1---उर्दू प्रवीणता परीक्षा---

राजकीय, स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों के उर्दू सीखने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रतिवर्ष उर्दू की दो प्रवीणता परीक्षायें-जूनियर हाईस्कूल स्तर की तथा हाईस्कूल स्तर की रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित होती हैं। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के परीक्षार्थियों को 500 रुपये, द्वितीय श्रेणी के परीक्षार्थियों को 300 रुपये तथा तृतीय श्रेणी के परीक्षार्थियों को 100 रुपये पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं।

2---उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्र---

भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर गैर उर्दू जानकारी जूनियर तथा माध्यमिक स्तरों के लिये विभिन्न विषयों के अध्यापकों को उर्दू तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 10 माह का प्रशिक्षण आयोजित होता है । इस योजना के अन्तर्गत उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ में 1984 में खोला गया। यहां शिक्षण की अवधि में अध्यापकों को पूरा वेतन तथा 400 रुपये मासिक छात्रवृत्ति तथा मार्ग व्यय दिया जाता है और प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें प्रशिक्षित अध्यापकों को उर्दू भाषा का शिक्षण करने पर 70 रुपये प्रति माह का भुगतान भी केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, यदि वे अपने विद्यालय में कम से कम 10 छात्रों को उर्दू पढ़ाते हैं। सत्र 1990-91 में 36 प्रशिक्षार्थी इन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

3---प्रशासनिक व्यवस्था---

उर्दू भाषा के प्रचार एवं प्रसार तथा इसको विकसित करने हेतु एक पृथक् उर्दू निदेशालय की स्थापना अप्रैल, 1989 में की गई । वर्तमान में इस निदेशालय में निदेशक (उर्दू) तथा एक उप-शिक्षा निदेशक (उर्दू) का पद उपलब्ध है । मण्डलीय स्तर पर उपविद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम) का पद उपलब्ध है । जनपद स्तर पर उर्दू माध्यम के विद्यालयों की देख-भाल करने के लिये एक प्रति उप विद्यालय निरीक्षक निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था है ।

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी---

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी । अकादमी का मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा को उन्नत करना और साहित्य को लोकप्रिय बनाना है । अकादमी द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है---

1---पुस्तकों का प्रकाशन---

वर्ष 1972 से अब तक प्रति वर्ष विभिन्न विषयों पर पुस्तकें अकादमी द्वारा प्रकाशित होती हैं, जिनमें शैक्षिक एवं साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम, बाल साहित्य आदि से सम्बन्धित पुस्तकें भी हैं।

2---उर्दू जानने वाले छात्रों को छात्र वृत्तियां---

उर्दू अकादमी द्वारा प्रति वर्ष कक्षा 6 से एम0ए0 तक तथा पी0एच0डी0 के उर्दू छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती हैं । अब छात्रवृत्तियों की संख्या 2,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गयी है। वर्ष 1989-90 में 4,000 छात्रों को 10.69 लाख रुपये छात्रवृत्ति के वितरित किये ।

3---उर्दू साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता---

अकादमी उत्तर प्रदेश के ऐसे लेखकों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो स्वयं उन्हें प्रकाशित करने में असमर्थ होते हैं । वर्ष 1989-90 में 1.23 लाख रुपये की आर्थिक सहायता साहित्यकारों को दी गई है ।

4---पुस्तकालयों को अनुदान---

अकादमी द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों को उर्दू पुस्तक तथा समाचार-पत्र, पत्रिकायें क्रय करने हेतु प्रति वर्ष 2.20 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया जाता है ।

5--अकादमी द्वारा उर्दू लेखकों तथा कवियों को जीवन-यापन के लिये अथवा बीमारी आदि की दशा में आर्थिक सहायता भी दी जाती है । इस वर्ष 111 व्यक्तियों को 2,99,100 रुपया आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किये गये । अकादमी द्वारा उर्दू भाषा की शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार हेतु गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है । जिस पर गत वर्ष 5.11 लाख रुपये व्यय हुआ ।

6---गत वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकाशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 4,000 पृष्ठों तथा तीन खण्डों में "अलहिलाल" प्रकाशित की गई जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया ।

7--उर्दू भाषा का प्रसार-प्रचार---

उर्दू न जानने वालों को उर्दू सिखाने हेतु कोचिंग कक्षाओं को प्रारम्भ किया गया है । उर्दू किताब तथा उर्दू टाइप स्कूल अकादमी के प्रांगण में चलाया जाता है । अकादमी द्वारा राज्य स्तर पर तालीमी कान्फ्रेन्स का आयोजन भी किया जाता है ।

उर्दू अकादमी के नये भवन के निर्माण हेतु गत वर्ष 1 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये जिसमें से 35 लाख रुपये का भुगतान शासन द्वारा दिया जा चुका है, भवन निर्माणाधीन है ।

फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ---

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू भाषा के साहित्य एवं साहित्यकारों को बढ़ावा देने हेतु फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की स्थापना की गई । इस कमेटी द्वारा उर्दू साहित्यकारों को अपने साहित्य प्रकाशन हेतु सहायता दी जाती है । उर्दू साहित्य की उत्कृष्ट परियोजनाओं के लिये भी धन उपलब्ध कराया जाता है । उर्दू भाषा पर शोध करने वाले छात्रों को अपनी थीसिस प्रकाशित कराने हेतु सहायता दी जाती है । प्रति वर्ष इस संस्था को शासन द्वारा 13 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है ।

प्रदेश में अरबी तथा फारसी शिक्षा---

प्रदेश में अरबी तथा फारसी मदरसों की कुल संख्या 373 है जो विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं । इनमें से 242 मदरसे विभाग द्वारा अनुदानित है । इन मदरसों को अनुरक्षण अनुदान, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता भत्ता, बोनस तथा इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक अनुदान, भवन अनुदान, साज-सज्जा अनुदान एवं पुस्तकालय अनुदान भी विभाग द्वारा दिया जाता है । विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं सहायताप्राप्त मदरसों को केन्द्रीय अनुदान भी दिया जाता है । अरबी मदरसों के अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बैंक द्वारा वेतन देने की राजाज्ञा संख्या 92/15 (13)--190--37 (4)-90, दिनांक 12 जुलाई, 1990 निर्गत की जा चुकी है तदनुसार कार्यवाही हेतु अधिकारियों को निदेशालय से भी निर्देश दिये जा चुके हैं ।

परीक्षाएं---

विभाग द्वारा अरबी तथा फारसी की पाँच (5) परीक्षायें संचालित की जाती हैं । फारसी की दो परीक्षायें--मुंशी तथा कामिल और अरबी की तीन परीक्षायें मौलवी, आलिम तथा फाजिल हैं । इन पाँचों परीक्षाओं का कोर्स दो-दो वर्ष का है । इन परीक्षाओं के आयोजन हेतु एक बोर्ड बना हुआ है जो आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में सुधार तथा परीक्षकों की नियुक्ति करता है ।

सहायता पाने वाले अरबी मदरसों के अतिरिक्त दो और मदरसे भी हैं । एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मिर्जापुर का ओरियन्टर सेक्शन तथा दूसरा राजकीय ओरियन्टर कालेज, रामपुर है ।

इन अरबी तथा फारसी मदरसों का समय-समय पर निरीक्षण निरीक्षक, अरबी मदरसाज, उत्तर प्रदेश जो अरबी तथा फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार भी हैं, तथा प्रदेश के मण्डलीय उप-विद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम) द्वारा किया जाता है ।

अध्याय 11

पुनर्व्यवस्था योजना एवं कार्यानुभव योजना

शिक्षा निदेशालय के बेसिक अनुभाग में कृषि एवं शिल्प केन्द्रित शिक्षण पुनर्व्यवस्था योजना एवं कार्यानुभव योजना के अध्यापकों की सेवायें व्यवहारित हो रही हैं। पुनर्व्यवस्था योजनान्तर्गत शासन द्वारा एल0टी0 वेतनक्रम प्रसाराध्यापकों के 1,000 पद तथा अधि-स्नातक वेतनक्रम के 1,563 पद स्थायी हैं। इसी योजना के शिल्प शिक्षकों के 195 पद एल0टी0 वेतनक्रम, 151 सी0टी0 वेतनक्रम एवं 40 जे0टी0सी0 वेतनक्रम में स्थायी हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने एवं प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक दीक्षा विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में कृषि तथा शिल्पकारी विषय को अनिवार्य बना कर उसके सुदृढ़ीकरण हेतु 1972 से प्रारम्भ योजना अस्थायी रूप से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत स्नातक वेतनक्रम के 103 सहायक कृषि अध्यापक और 76 शिल्प शिक्षक/शिक्षिका कार्यरत हैं। इन स्थायी कर्मचारियों को पुनर्व्यवस्था योजना में रिक्त स्थायी पदों के प्रति स्थानान्तरित कर स्थायी करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

वर्ष 1987–88 में पुनर्व्यवस्था योजनान्तर्गत सीनियर बेसिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों के कृषि फार्म 11,645 तथा 85 एकड़ भूमि के उपज का कुल मूल्यांकन लगभग 42,96,835.50 रु0 और फार्म पास बुक में जमा धनराशि 36,89,148.57 रु0 है।

कुम्भ मेला, 1989 के अवसर पर एक वृहत् कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से लायी गयी पुनर्व्यवस्था कृषि फार्म के विभिन्न फसलों के उन्नत जाति के प्रदर्श सामग्री का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रसाराध्यापकों एवं सहायक कृषि पर्यवेक्षकों ने सराहनीय प्रदर्शन कर योजना को उपयोगी सिद्ध करने का प्रयास किया।

माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा "नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य" नामक विषय को हाई स्कूल की परीक्षा के लिये अनिवार्य किया गया। प्रथम परीक्षा, वर्ष 1984 में हुई। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य हेतु परिषद् द्वारा निम्नलिखित तीस कार्यों के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित किये गये हैं :–

1––विद्यालय की कृषि भूमि पर आधारित ऋतु अनुसार फूल-पत्तियों का लगाना एवं सब्जियाँ बोना।

2––विद्यालय में घास की लॉन तैयार करना।

3––गमलों में दीर्घजीवी शोभायुक्त पौधे लगाना।

4––विद्यालय की बाउण्ड्री पर हेज लगाना, लतायें लगाना।

5––वृक्षारोपण

6––काष्ठ शिल्प।

7––कताई-बुनाई।

8––ग्रन्थ शिल्प।

9––चर्म शिल्प।

10––धातु शिल्प।

11––धुलाई, रफू तथा बखिया।

12––रंगाई तथा छपाई।

13––सिलाई।

14––मृत्तिकला।

15––मत्स्य पालन।

16––मधु मक्खी पालन।

17––मुर्गी पालन।

18––शाक-सब्जी का उत्पादन

19––फल संरक्षण।

20––रेशम तथा टसर का काम।

21––सुतली तथा टाट-पट्टी का निर्माण

22––हाथ से कागज बनाना।

23—फोटोग्राफी ।

24—रेडियो मरम्मत ।

25—घड़ी मरम्मत ।

26—चॉक एवं मोमबत्ती बनाना ।

27—कालीन तथा दरी का निर्माण ।

28—फूलों, फलों तथा सब्जियों की पौध तैयार करना ।

29—लकड़ी तथा मिट्टी के खिलौने का निर्माण ।

30—बेकरी तथा कन्फेक्शनरी का काम ।

विद्यालयों में कार्यानुभव/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का प्रभावी शिक्षा सुनिश्चित करन के उद्देश्य से वर्ष 1987 और 1988 में कुल 2,608 अध्यापकों को विभिन्न कार्यों में पीपुल्स कालेज, हल्द्वानी, नैनीताल में बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया गया । इन अध्यापकों के माध्यम से अन्य विद्यालयों के 2–3 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया । सिल्क स्क्रीन प्रिन्टिग में साक्षरता निकेतन, लखनऊ से 427 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है । इन सब का परिणाम यह है कि धीरे-धीरे लगभग सभी विद्यालयों में 3–4 समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों में छात्रों को दक्षता प्रदान करने के लिये सफल प्रयास किया जा रहा ह । छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल के सतत् मूल्यांकन हेतु समुचित व्यवस्था भी की गई है ।

अध्याय 12

पुस्तकालय

इलाहाबाद में शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण मुख्य कार्यालयों के साथ राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के भी होने से, शैक्षिक दृष्टि से इस नगर के महत्व और गौरव में और भी अभिवृद्धि हुई है। अपने ढंग के इस अनूठे पुस्तकालय की स्थापना सन् 1949 में हुई थी। इसमें प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में प्रकाशित प्रायः प्रत्येक पुस्तक की एक-एक प्रति संग्रहीत की गई है। इस प्रकार कापी राइट संग्रह की लगभग 1 लाख से अधिक पुस्तकों के संग्रह की आशा है। पुस्तकों के इस विशाल संग्रह में कतिपय पुस्तकें अत्यन्त दुर्लभ एवं अत्योपयोगी हैं। सामान्य पठन-पाठन के अतिरिक्त अनुसंधान की दृष्टि से भी ये पुस्तकें अत्यन्त महत्वपूर्ण और लाभदायक हैं।

इस पुस्तकालय में हिन्दी के साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा बंगला और संस्कृत साहित्य की 55,256 पुस्तकों का नवीनतम संग्रह है। भविष्य में भी इसके इस विशाल संग्रह में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की पूर्ण सम्भावना एवं आशा है। दिसम्बर, 1990 तक इस पुस्तकालय से सम्बद्ध सदस्यों की कुल संख्या 10,006 तथा निर्गत पठनीय पुस्तकों की संख्या 12,764 और पाठकों की संख्या 14,191 रही। इसके साथ-साथ मात्र बाल कक्ष में पढ़ी हुई पुस्तकों की संख्या 1,550 रही जबकि संदर्भ कक्ष में पढ़ी गई 2,006 पुस्तकें रहीं।

14,90,000 रु0 के राज्य अनुदान से नव-निर्मित भवन के तैयार हो जाने के कारण यह पुस्तकालय अपने नये भवन में कार्य सम्पादित कर रहा है।

2—राजकीय जिला पुस्तकालय—

अपने-अपने जनपदों में जन-साधारण को शैक्षिक स्वाध्याय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य की सिद्धि के लिये प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 8 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 6 पुस्तकालय स्थापित थे। इस प्रकार के प्रत्येक जिला पुस्तकालय में लगभग 11,000 (ग्यारह हजार) पुस्तकों का संकलन है। वित्तीय वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 में प्रदेश के मुरादाबाद, बिजनौर, बाँदा, बस्ती, उन्नाव और सीतापुर जनपदों में राजकीय पुस्तकालयों की स्थापना करायी गयी।

वर्ष 1984–85 में रामपुर, फैजाबाद, जालौन, आजमगढ़, देवरिया, बुलन्दशहर, सुलतानपुर(अमेठी) तथा बहराइच में राजकीय पुस्तकालय स्थापित किये गये। बिगत वर्ष 1984–85 में इस परियोजना के निमित्त 52,37 लाख रु0 का प्रावधान किया गया।

3—पुस्तकालय नीति और पद्धति—

वर्ष 1980–81 में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक पुस्तकालय कोष्ठक की स्थापना सचिवालय स्तर पर की गयी। प्रदेश में एक आधुनिक पद्धति के विषय में आवश्यक परियोजनाओं के निर्माण तथा अन्य प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निर्वहन एवं सम्पादन का दायित्व इस कोष्ठक को सौंपा गया। सार्वजनिक पुस्तकालयों के अनुदान, स्वीकृति, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन योजना, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद, जनपदीय जिला पुस्तकालयों के विकास तथा पुस्तकालय, विज्ञान प्रशिक्षण आदि विषयक विभिन्न कार्यों को जो निदेशालय स्तर पर निस्तारित होते थे को इसी कोष्ठक को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

4—पुस्तकालय को अनुदान—

इस शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1983–84 में 7.18 लाख रु0 की धनराशि सार्वजनिक पुस्तकालयों के अनुदानार्थ उपलब्ध थी जबकि वर्ष 1984–85 में इस परियोजना के लिये यह धनराशि बढ़कर 15.38 लाख रु0 कर दी गयी और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 186 पुस्तकालय अनुदान पाकर लाभान्वित हुए।

5—बाल पुस्तकालयों का विकास—

एक नई योजना के माध्यम से वर्ष 1983–84 में प्रदेश के 70 सार्वजनिक पुस्तकालयों को बाल-पुस्तक सुलभ कराई गयी ताकि बालक/बालिकाओं की रुचि स्वाध्याय की ओर जागृत हो सके और उनके ज्ञान में अभीष्ट प्रगति हो सके। वर्ष 1983–84 एवं 1984–85 में इस योजना के लिये 1.00 लाख रु0 की धनराशि प्रावधानित थी।

6--इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी--

प्रदेश की इस प्राचीन पुस्तकालय संस्था की स्थापना वर्ष 1863 में की गई थी फिर बाद में सन् 1975 में इसे प्रान्तीयकृत किया गया। उच्च शिक्षा के आय-व्ययक से इनका व्यय चलाया जाता है। वर्ष 1961 में इसके संचालनार्थ, आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल की अध्यक्षता में एक प्रबन्ध समिति गठित की गयी है। इस पुस्तकालय में लगभग 70,000 से अधिक पुस्तकों का संकलन है। जिसमें संदर्भ शोध तथा अन्य सामान्य ग्रंथों से सम्बन्धित तथ्यों का समन्वय एवं सामंजस्य है। इसके पंजीकृत सदस्यों की संख्या 575 से अधिक होने की सम्भावना है। इस पुस्तकालय में प्रतिदिन पठन-पाठन का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 200 है।

7--राजाराज मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कलकत्ता को अनुदान--

यह फाउण्डेशन प्रति वर्ष 2.00 लाख रु0 की राशि से अनुदानित किया जाता है। इस परियोजनान्तर्गत 5.00 लाख रु0 की राशि से प्रदेश के 86 पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता सुलभ करायी जाती है।

अध्याय 13

पत्राचार शिक्षा

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

दूर शिक्षा युग की मांग के अनुरूप शिक्षा की सर्वसुलभता का मार्ग उत्तरोत्तर प्रशस्त करती जा रही है । सर्व सुलभ शिक्षा के महान संकल्प को पूर्ण करने के लिये इस प्रदेश में पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत और विकसित एवं समृद्ध करने के लिये शासन प्रयासरत है ।

शासनादेश संख्या सा0–4747/पन्द्रह–7(64)–80, दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के अन्तर्गत पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है । उक्त शासनादेश के अनुसार संस्थान मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन और माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को अध्ययन की सुविधा देने के लिये तथा परीक्षा पद्धति के अभिनवीकरण के उद्देश्यों से स्थापित किया गया है ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के विनियमों में विनियम 35,36,37 तथा 38 बढ़ाकर यह प्राविधान कर दिया गया है कि हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थी पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पंजीकरण करा कर विहित प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य रूप से पत्राचार शिक्षा का अनुसरण करें। इस प्रकार संस्थान पत्राचार शिक्षा विधि द्वारा शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धिकर संस्थागत परीक्षार्थियों के समकक्ष स्तर पर पंहुचाने का प्रयास परीक्षाफल में गुणात्मक एवं धनात्मक वृद्धि तथा शिक्षा को शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुरूप बनाकर उनकी सुविधा और गति का ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति प्रदान करने का कार्य कर रहा है । संस्थान सम्प्रति स्वयंपाठी छात्रों के लिये उच्चकोटि की पाठ्य-सामग्री का निर्माण मुद्रण तथा प्रेषण का कार्य करते हुये दूर शिक्षा के दर्शन को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहा है ।

वर्ष 1984 की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा हेतु साहित्यिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये 12 विषयों में पत्राचार शिक्षा व्यवस्था प्रारम्भ की गई । वर्ष 1985 की परीक्षा से साहित्यिक वर्ग के तीन अतिरिक्त विषयों को पत्राचार शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया । वर्ष 1986 की परीक्षाओं के लिये इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये 15 विषयों में पत्राचार शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षण सुविधा प्रदान की गयी । वर्ष 1987 की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये पत्राचार शिक्षण की व्यवस्था रचनात्मक तथा ललित कला वर्गों में प्रारम्भ की गई । वर्ष 1990 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्गों को भी सम्मिलित कर लिया गया है । वर्ष 1993 की परीक्षा हेतु अक्तूबर, 1991 में पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इस प्रकार पत्राचार शिक्षा व्यवस्थान्तर्गत इण्टरमीडिएट के निम्नलिखित वर्गों एवं विषयों में पत्राचार शिक्षा सुविधा प्रदान की जा रही है

क––साहित्यिक वर्ग––

1––साहित्यिक हिन्दी	2––संस्कृत
3––उर्दू	4––अंग्रेजी
5––इतिहास (भारतीय)	6––भूगोल
7––नागरिक शास्त्र	8––मनोविज्ञान
9––शिक्षा शास्त्र	10––गृह विज्ञान
11––अर्थशास्त्र	12––चित्रकला
13––समाजशास्त्र	14––संगीत गायन
15––संगीत वादन	

घ––रचनात्मक वर्ग––

1––साहित्यिक हिन्दी	2––काष्ठ शिल्प
3––ग्रंथशिल्प	4––सिलाई
5––संस्कृत	6––उर्दू
7––अंग्रेजी	8––इतिहास (भारतीय)
9––भूगोल	10––नागरिक शास्त्र
11––मनोविज्ञान	12––शिक्षा शास्त्र
13––गृह विज्ञान	14––अर्थशास्त्र
15––चित्रकला	

घ—ललितकला वर्ग—

1—साहित्यिक हिन्दी	2—संगीत गायन
3—संगीत वादन	4—रंजनकला
5—व्यावसायिक कला	6—चित्रकला
7—संस्कृत	8—उर्दू
9—अंग्रेजी	10—इतिहास (भारतीय)
11—भूगोल	12—नागरिक शास्त्र
13—मनोविज्ञान	14—शिक्षा शास्त्र
15—गृह विज्ञान	16—अर्थशास्त्र
17—समाज शास्त्र	

ख—वैज्ञानिक वर्ग—

1—सामान्य हिन्दी	2—भौतिकी
3—रसायन विज्ञान	4—जीव विज्ञान
5—गणित	6—संस्कृत
7—उर्दू	8—अंग्रेजी

ग—वाणिज्य (प्रथम) वर्ग

1—सामान्य हिन्दी	2—बहीखाता तथा लेखाशास्त्र
3—व्यापारिक संगठन, पत्र-व्यवहार तथा बाजार विवरणी	4—अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल
5—अधिकोषण तत्व	6—औद्योगिक संगठन
7—अंग्रेजी	8—उर्दू

पत्राचार शिक्षा केन्द्र—

वर्ष 1988 परीक्षा वर्ष तक पत्राचार शिक्षा व्यवस्थान्तर्गत स्वयंपाठी पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये अलग-अलग जनपदीय पत्राचार शिक्षा केन्द्र प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर स्थित राजकीय इन्टर कालेज एवं राजकीय बालिका इन्टर कालेज में स्थापित किये गये थे। जहां पर राजकीय इन्टर कालेज (बालक/बालिका) नहीं हैं वहां पर नाम निर्दिष्ट अशासकीय मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जनपदीय पत्राचार शिक्षा केन्द्र के रूप में मनोनीत किया गया था। इसप्रकार वर्ष 1987-88 तक कुल 112 पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र थे।

पत्राचार अभ्यर्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में तहसील स्तर पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्रति तहसील दो विद्यालय केन्द्र (जिसमें यथासंभव एक बालिका विद्यालय हो) के आधार पर प्रदेश में कुल 400 पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

छात्रों का पंजीकरण—

वर्ष 1991 में इन्टरमीडिएट परीक्षा हेतु पंजीकृत पत्राचार स्वयंपाठियों की संख्या निम्नवत् रही :—

1—साहित्यिक वर्ग 2—रचनात्मक तथा ललिता कला वर्ग कुल पंजीकृत 55000 रही	44873	3—वैज्ञानिक वर्ग—6298 4—वाणिज्य वर्ग 2829

वर्ष 1992 की इन्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा के वर्गवार पंजीकृत छात्रों की संख्या निम्नवत् है:—

1—साहित्यिक वर्ग 2—रचनात्मक वर्ग 3—ललितकला वर्ग	25,164	4—विज्ञान वर्ग 4314 5—वाणिज्य वर्ग 743

इसप्रकार वर्ष 1992 के लिये पंजीकृत छात्रों की संख्या 30221 है।

वर्ष 1993 की परीक्षा हेतु साहित्यिक, वैज्ञानिक, वाणिज्य, रचनात्मक तथा ललितकला वर्गों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण माह अक्तूबर, 1991 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

पत्राचार पाठ्य सामग्री का निर्माण--

पत्राचार पाठ्य सामग्री का निर्माण सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम को सुविधाजनक 7 इकाइयों में विभक्त कर अनुभवी विद्वानों द्वारा कराया जाता है। इसके पश्चात् प्रत्येक इकाई को मुद्रित कराकर पंजीकृत स्वयंपाठी को प्रेषित की जाती है। प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न-पत्र की प्रत्येक इकाई के अन्त में छात्र उत्तर-पत्र संलग्न होता है जिसे हल करके स्वयंपाठी अपने पत्राचार पंजीकरण केन्द्र पर जमा करता है। केन्द्र पर उनका मूल्यांकन कराकर प्रतिपुष्टि में निर्देश सहित स्वयंपाठी छात्र को प्रत्यावर्तित कर देता है। मूल्यांकित छात्र उत्तर-पत्रों को प्राप्त करके स्वयं-पाठी अपने ज्ञान स्तर का आकलन और वांछित सुधार का प्रयत्न करते हैं।

सम्पर्क शिविर

अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में पंजीकृत छात्रों को कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से संस्थान द्वारा प्रदेश के पंजीकरण केन्द्रों के माध्यम से छात्र/छात्राओं के लिये पृथक्-पृथक् 10 दिवसीय संपर्क शिविरों का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है। वर्ष 1992 की इन्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा के लिये पंजीकृत छात्रों के लिए प्रथम संपर्क शिविर प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय जनपदों में माह दिसम्बर, 1991 में किया गया। माह जनवरी, 1992 में संपर्क शिविर का द्वितीय चक्र मैदानी तथा पर्वतीय जनपदों में आयोजित किया जा रहा है।

विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिये प्रयोगात्मक अभ्यास कार्य हेतु 10-10 दिन का चार सम्पर्क शिविर माह दिसम्बर, 1991 से आयोजित किये जा रहे हैं।

अल्पव्ययी शिक्षा विधा

पत्राचार शिक्षा विधा अल्प व्यय वाली विधा है। संस्थागत छात्रों पर पड़ने वाले शैक्षिक व्यय का तुलनात्मक अध्ययन पत्राचार शिक्षार्थियों पर पड़ने वाले व्यय से कराया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि पत्राचार शिक्षा पर पड़ने वाले शैक्षिक व्यय अपेक्षाकृत कम है।

गुणात्मक एवं स्तरीय शिक्षण

पत्राचार शिक्षा द्वारा दूरस्थ स्वयंपाठियों को उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री का अध्ययन कराया जाता है। मूल्यांकन एवं निर्देशन तथा सम्पर्क शिविरों में कठिनाई का निराकरण कराया जाता है जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। विगत वर्षों में पंजीकृत छात्रों का परीक्षा परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहा है जो इस विधा की सफलता का द्योतक है।

पाठों का पुनरीक्षण

समय-समय पर संस्थान द्वारा मुद्रित करायी गई पाठ्य सामग्री का संशोधन एवं पुनरीक्षण कराया जाता है। इस प्रकार इसको गुणवत्ता को संवर्धित करने का प्रयास रहता है।

पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना

प्रदेश के अच्छे विद्यालयों में छात्र प्रवेश के दबाव को कम करने के उद्देश्य से जनपद, मुख्यालयों पर अवस्थित राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों (बालक/बालिका) में इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिये साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्ग के लिये पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन संपर्क योजना का कार्य 1986-87 से प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 1987-88 में यह योजना मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र के कुल 73 राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों (बालक/बालिका) तथा गाजियाबाद के एक-एक अशासकीय मान्यताप्राप्त इन्टर कालेज में संचालित की गई।

वर्ष 1991-92 में सतत् अध्ययन संपर्क योजना मैदानी जनपदों के 83 तथा पर्वतीय जनपदों के 16 कुल मिलाकर 99 राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों (बालक/बालिका) तथा 12 अशासकीय मान्यताप्राप्त इन्टरमीडिएट कालेजों (बालक/बालिका) में स्वीकृत थी जिनमें से यह योजना मैदानी जनपदों के 74 तथा पर्वतीय जनपदों के 9 कुल 83 राजकीय इन्टर कालेजों (बालक/बालिका) तथा 12 अशासकीय मान्यताप्राप्त इन्टरमीडिएट कालेजों में संचालित है।

मैदानी जनपदों में 5809 छात्र, पर्वतीय जनपदों में 463 छात्र तथा अशासकीय मान्यताप्राप्त विद्यालयों में 833 छात्र कुल मिलाकर 6107 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं जिनका विवरण निम्नवत् है—

वर्ष 1991–92 में पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजनान्तर्गत छात्र प्रवेश की स्थिति:

	वर्ग			
	साहि0	वैज्ञा0	वाणि0	योग
मैदानी क्षेत्र—				
राजकीय इ0 का0 कक्षा–11	710	1080	137	1927
कक्षा–12	1078	1658	146	3882
पर्वतीय क्षेत्र कक्षा–11	31	113	..	144
रा0 इ0 का0 कक्षा–12	134	185	..	319
चुने हुए अशासकीय कक्षा–11	168	207	30	405
सहायता प्राप्त इ0 कालेज कक्षा–12	269	131	30	430
योग ..	2390	3374	343	6107

इस योजनान्तर्गत निम्नांकित विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की गई है :—

साहित्यिक वर्ग—

1—साहित्यिक हिन्दी
2 संस्कृत
3—इतिहास (भारतीय)
4—अंग्रेजी
5—उर्दू
6—भूगोल
7—नागरिक शास्त्र
8—मनोविज्ञान
9—शिक्षा शास्त्र
10—गृह विज्ञान
11—अर्थशास्त्र
12—चित्रकला
13—समाजशास्त्र
14—संगीत गायन
15—संगीत वादन

वैज्ञानिक वर्ग—

1—सामान्य हिन्दी
2—भौतिकी
3—रसायन विज्ञान
4—जीव विज्ञान
5—गणित
6—संस्कृत
7—उर्दू
8—अंग्रेजी

वाणिज्य वर्ग—

1—सामान्य हिन्दी
2—बहीखाता तथा लेखाशास्त्र
3—व्यापारिक संगठन, पत्र व्यवहार तथा बाजार विवरणी
4—अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल
5—अधिकोषण तत्व
6—औद्योगिक संगठन
7—संस्कृत
8—उर्दू
9—अंग्रेजी

इस योजनान्तर्गत कक्षा शिक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रधानाचार्य, अध्यापकों तथा सपोर्टिंग स्टाफ के लिये पारिश्रमिक का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाता है ।

पत्राचार शिक्षा विचार–पत्र—

पत्राचार शिक्षा संस्थान से पत्राचार शिक्षा विचार–पत्र का प्रकाशन किया जाता है । इसका प्रारम्भ दिसम्बर, 1985 से किया गया ।

प्रधानाचार्यों का सम्मेलन--

पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम एवं योजना मूल्यांकन पर शैक्षिक प्रशासकों एवं प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्याओं की संगोष्ठी अगस्त सितम्बर तथा अक्तूबर, 1991 में मुजफ्फरनगर, लखीमपुर-खीरी नैनीताल सोनभद्र, फर्रुखाबाद तथा रामपुर जनपदों में आयोजित की गई। फर्रुखाबाद जनपद की संगोष्ठी में तीन मण्डलों तथा शेष संगोष्ठी स्थलों पर दो-दो मण्डलों के शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधानाचार्य तथा प्रधानाचार्याओं को सम्मिलित किया गया।

प्रस्तावित कार्य--

पत्राचार शिक्षा संस्थान में मल्टीमीडिया पाठ-निर्माण की व्यवस्था तथा ऑडियो/वीडियो कैसेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

संस्थान के प्रकाशन--

पत्राचार शिक्षा संस्थान में मल्टीमीडिया पाठ निर्माण की व्यवस्था तथा ऑडियो/वीडियो कैसेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

संस्थान के प्रकाशन--

1—विवरणिका—1984—85
2—पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्य-कलापों का अध्ययन, राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत
3—उत्तर प्रदेश में दूर शिक्षा का एक आलेख-नियोजन
4—शैक्षणिक तथ्यों की चयनित अध्ययनात्मक तैयारी दूर शिक्षा लेखकों की कार्यशाला में प्रस्तुत
5—पत्राचार शिक्षा विचार पत्र
6—दिल्ली, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की दूर शिक्षा पाठ-लेखन कार्यशाला की आख्या
7—दूर शिक्षा लेखक—कार्यशाला—कार्यवृत्त
8—पत्राचार शिक्षा के प्रधानों हेतु निर्देशिका
9—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
10—आयाम वार्षिक पत्रिका
11—उत्तर प्रदेश में दूर शिक्षा की प्रगति
12—शिक्षा संदर्शिका
13—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
14—पत्राचार शिक्षा नियम-संग्रह
15—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
16—छात्र निर्दिष्ट कार्य की भूमिका एवं स्वरूप, स्वयं जाँच अभ्यास सामग्री
17—छात्र निर्दिष्ट कार्य हेतु परीक्षण सामग्री एवं पाठगत प्रश्नों का निर्माण
18—पत्राचार स्वरूप एवं प्रबन्ध प्रचलन
19—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
20—प्रधानाचार्यों की संगोष्ठी का कार्य पत्रक
21—पत्राचार शिक्षा—विचार-पत्र
22—पत्राचार शिक्षा—विचार-पत्र
23—पत्राचार शिक्षा—विचार-पत्र
24—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
25—अध्ययन संदर्शिका
26—शैक्षिक प्रशासकों एवं प्रधानाचार्यों की संगोष्ठी की पृष्ठभूमि पत्रक
27—कार्याधारित शिक्षण योजना
28—पत्राचार शिक्षा निचार-पत्र
29—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
30—आयाम वार्षिक पत्रिका
31—पृष्ठ भू मि पत्रक 1988—89

32—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
33—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
34—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
35—पृष्ठ भूमि पत्रक वर्ष 1989—90
36—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
37—पृष्ठ भूमि पत्रक वर्ष 1990—91
38—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
39—पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र
40—पत्राचार शिक्षा एक दशक स्मारिका
41—सम्पर्क शिविर कार्यक्रम
42—माध्यमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा का स्वरूप
43—आयाम वार्षिक पत्रिका
44—दूर शिक्षा के विविध आयाम

सारिणी–1

शिक्षा के लिये निर्दिष्ट बजट

(हजार रुपयों में)

वर्ष	बालकों की शिक्षा के लिये बजट	बालिकाओं की शिक्षा के लिये बजट	शिक्षा के लिये सम्पूर्ण बजट
1950–51	6,61,15	76,29	7,37,4 4
1960–61 शिक्षा	12,17,33	1,18,23	13,35,56
1960–61 शिक्षा नियोजन	..	..	3,87,43
1970–71 शिक्षा	61,50,01	8,33,60	67,33,61
1970–71 शिक्षा नियोजन	4,40,23	63,90	7,04,19
1980–81 शिक्षा	2,77,32,09	43,47,96	3,21,30,05
1980–81 शिक्षा नियोजन	15,41,82	2,84	15,44,66
1985–86 शिक्षा	5,81,26, 22	51,38,63	6,32,64,85
1985–86 शिक्षा नियोजन	..	..	29,63,42
1991–92 अनुदान संख्या 67––उच्च शिक्षा—			
आयोजनेतर	..	..	1,66,78,41
आयोजनागत	..	..	11,80,51
1991–92 अनुदान संख्या 66—माध्यमिक शिक्षा			
आयोजनेतर	..	..	6,56,33,35
आयोजनागत	..	..	38,23,98
1991–92 अनुदान संख्या 65—बेसिक शिक्षा—			
आयोजनेतर	..	..	9,13,26,56
आयोजनागत	..	..	96,41,33
1991–92 अनुदान संख्या 68—प्रौढ़ शिक्षा—			
आयोजनेतर	..	..	5,23,91
आयोजनागत	..	..	16,34,87
1991–92 अनुदान संख्या 69—राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्—			
आयोजनेतर	..	..	2,70,04
आयोजनागत	..	..	4,86,76
1991–92 का योग—			
आयोजनेतर	..	..	17,44,32,27
आयोजनागत	..	..	1,67,67,45

टिप्पणी––इसके अतिरिक्त बालकों की शिक्षा के लिये बजट में बालिकाओं की शिक्षा पर सम्मिलित है।

1 अप्रैल, 1986 से शिक्षा निदेशालय का बजट 5 पृथक्-पृथक् निदेशालयों में विभक्त हो गया है तथा सभी निदेशक अपने से संबंधित बजट के नियंत्रक अधिकारी हैं। इन पांचों पृथक् निदेशालयों का बजट विवरण उपर्युक्त है।

सारिणी 2

शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों के लिये बजट

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	1960–61	1970–71	1980–81	1983–84	1985–86	1991–92
1	2	3	4	5	6	7
शिक्षा—						
1—प्रारम्भिक	5,69,27	31,67,14	1,64,65,06	3,39,16,62	3,20,24,69	..
2—माध्यमिक	3,36,10	18,24,28	94,44,30	1,58,31,52	2,37,10,14	..
3—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	1,13,62	4,66,36	32,03,86	43,04,08	59,78,22	..
4—ट्रेनिंग	9,83	29,94	..	..	..	..
5—अन्य	3,04,74	13,00,79	..	..	..	..
6—विशेष शिक्षा	..	..	3,19,42	4,70,07	6,42,44	..
7—प्राविधिक शिक्षा	..	..	..	..	..	..
8—क्रीड़ा एवं युवक कल्याण	..	..	2,77,59	4,77,93	5,37,71	..
9—सामान्य शिक्षा	..	..	24	24	24	..
10—एकमुश्त प्राविधान	..	..	21,48,24	..	..	..
11—कला एवं संस्कृति	..	..	1,60	1,60	1,60	..
12—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों व अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	..	..	2,69,74	2,69,74	3,13,31	..
13—मंत्रि परिषद्	..	..	..	1,50	1,50	..
14—उच्च शिक्षा आयोजनेतर	..	..	..	..	..	1,66,78,41
15—माध्यमिक शिक्षा	..	..	..	..	..	6,56,33,35
16—बेसिक शिक्षा	..	..	..	..	..	91,32,656
17—प्रौढ़ शिक्षा	..	..	..	..	..	5,23,91
18—राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	..	..	..	..	..	270,04
योग ..	13,35,56	67,88,61	3,21,30,05	4,52,73,.0	6,32,64, 85	17,44,32,27
शिक्षा नियोजन—						
1—प्राथमिक	2,54,77	3,47,13	6,97,93	1,02,39,40	17,43,16	..
2—माध्यमिक	63,67	82,98	2,81,18	5,97,32	48,22	..
3—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	41,17	68,38	95,04	2,17,12	1,48,00	..
4—ट्रेनिंग	13,06	4,27	..	..	..	..
5—अन्य	14,74	2,01,43	..	..	..	..
6—विशेष शिक्षा	..	..	3,17,41	3,30,08	9,30,14	..
7—प्राविधिक शिक्षा	..	..	..	..	..	..
8—क्रीड़ा एवं युवक कल्याण	..	..	69,10	38,47	9,60	..
9—सामान्य शिक्षा	..	..	..	..	75,00	..
10— एकमुश्त प्राविधान	..	..	25,03	..	..	..
11—कला एवं संस्कृति	..	..	1,00	1,00	..	..

1	2	3	4	5	6	7
12—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण	..	..	57,91	40,30,27	..	..
13—उच्च शिक्षा आयोजनागत	..	..	..	..	..	11,80,51
14—माध्यमिक शिक्षा आयोजनागत	..	..	..	..	..	38,23,98
15—बेसिक शिक्षा आयोजनागत	..	..	..	..	..	96,41,33
16—प्रौढ़ शिक्षा आयोजनागत	..	..	..	..	..	16,34,87
17—राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आयोजनागत	..	..	..	..	..	4,86,76
योग ..	3,87,41	7,04,19	15,44,66	26,11,20	29,63,42	1,67,67,45

प्राविधिक शिक्षा का बजट प्राविधान 1979–80 से अनुदान संख्या 35 को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
ट्रेनिंग से संबंधित बजट वर्ष 1974–75 से विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज में सम्मिलित कर दिया गया है।

सारिणी 3

प्रबन्धानुसार शिक्षा संस्थायें (सामान्य शिक्षा)

प्रबन्ध	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1985–86	1991–92
1	2	3	4	5	6	7
1—राजकीय	1094	1341	1304	1025	3143	3476
2—स्थानीय निकाय	30323	39386	63363	75834	74637	78765
3—विश्वविद्यालय	6	9	13	20	22	26
4—सहायताप्राप्त/असहायताप्राप्त	4449	5663	10050	12006	16424	17708
योग ..	35872	46899	74730	88885	94226	99975

*टिप्पणी—विश्वविद्यालय की संख्या में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा पांच डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है ।

सारिणी 4

विभिन्न प्रकार की मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थायें

संस्था का स्तर	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	1991–92*
1	2	3	4	5	6	7
1—विश्वविद्यालय—						
(I) लड़के	6	9	13	20	25	26
(II) लड़कियां	..	..	..	..	..	..
योग ..	6	9	13	20	25	26
2—महाविद्यालय—						
(I) लड़के	34	108	194	283	330	338
(II) लड़कियां	6	20	53	78	89	93
योग ..	40	128	247	361	419	431
3—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—						
(I) लड़के	833	1489	2834	4420	5113	5171
(II) लड़कियां	154	282	581	758	886	889
योग ..	987	1771	3415	5178	5999	6060
ग्रामीण क्षेत्र में कुल	503	749	1840	3394	4093	4154
4—सीनियर बेसिक स्कूल—						
(I) लड़के	2386	3574	6779	10355	11753	11881
(II) लड़कियां	468	661	2008	3200	3319	3447
योग ..	2854	4335	8787	3555	15072	15328
ग्रामीण क्षेत्र में कुल	1984	3772	6367	11322	13530	13786
5—जूनियर बेसिक स्कूल						
(I) लड़के	29459	35156	50503	70606	77111	78085
(II) लड़कियां	2520	4927	11624	(मिश्रित)	(मिश्रित)	(मिश्रित)
योग ..	31979	40083	62127	70606	77111	78085
ग्रामीण क्षेत्र में कुल	23710	35302	55998	64021	71188	72162
6—नर्सरी स्कूल	6	73	141	65	45	45
योग ..	6	73	141	65	45	45

*आंकड़े अनुमानित हैं।

सारिणी 5

संस्थानुसार छात्रों की संख्या

संस्था	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1985–86	1991–92*
1	2	3	4	5	6	7
1—विश्वविद्यालय—						
लड़के	19105	29785	51799	94221	100218	131894
लड़कियां	1671	4033	11906	20091	30132	46741
योग ..	20776	33818	63705	104212	130350	178635
2—डिग्री कालेज—						
लड़के	27294	48959	146242	275948	311036	455031
लड़कियां	2504	8743	39133	69221	84351	186759
योग ..	29798	67702	185375	345169	395387	641790
3—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—						
लड़के	359580	75759	1851759	2752494	2261779	3708866
लड़कियां	57825	15448	463877	695829	1017039	1320944
योग ..	417405	91207	2315736	3448323	4278818	5029810
4—सीनियर बेसिक स्कूल—						
लड़के	278339	446139	1095740	1413783	1724809	2534684
लड़कियां	69798	103688	285166	391731	599268	963342
योग ..	348137	549827	1380906	1804514	2324077	3498026
5—जूनियर बेसिक स्कूल—						
लड़के	2392175	3170868	6748031	6593572	7190005	9274450
लड़कियां	334948	787660	306691	2774829	3592142	5545714
योग ..	2727123	3958528	10615722	9368401	10782147	14820164
6—नर्सरी स्कूल—						
लड़के	644	4486	13742	9276	4625	5875
लड़कियां	162	3068	10551	5979	4040	5794
योग ..	806	7554	24293	15255	8665	11669

*आंकड़े अस्थायी हैं ।

विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज में वर्ष 1991–92 के आंकड़े अनुमानित हैं ।

तालिका 6

संस्थानुसार अध्यापकों की संख्या

संस्था	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1985–86	1991–92*
1	2	3	4	5	6	7
1—विश्वविद्यालय—						
पुरुष	1201	2089	3708	5184	5940	6789
महिला	71	159	390	796	1099	1261
योग ..	1272	2248	4098	5980	7039	8050
2—डिग्री कालेज—						
पुरुष	1175	3113	6820	10123	10864	11558
महिला	74	331	1446	2264	2521	3095
योग ..	1249	3444	8266	12387	13385	14653
3—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—						
पुरुष	15453	30222	64810	96117	104321	81201
महिला	2774	5854	14836	19747	203186	16469
योग ..	18227	36076	79646	115864	124707	97670
4—सीनियर बेसिक स्कूल—						
पुरुष	11605	19057	41306	58775	71558	76556
महिला	2900	4202	10880	14326	17575	18968
योग ..	14505	23259	52186	73101	89133	95524
5—जूनियर बेसिक स्कूल—						
पुरुष	65110	87340	170857	203712	206494	216051
महिला	5189	11714	32502	44042	46127	48662
योग ..	70299	99054	203359	247754	252621	264713
6—नर्सरी स्कूल—						
पुरुष	8	51	270	69	21	50
महिला	14	348	750	490	275	410
योग ..	22	399	1020	559	296	460

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी 7

स्तरानुसार विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 1991–92*

क्रम–संख्या	स्तर	बालक	बालिका	योग
1	प्री प्राइमरी	21000	14000	35000
2	जूनियर बेसिक (कक्षा 1–5)	9618000	5530000	15148000
3	सीनियर बेसिक (कक्षा 6–8)	3447000	1518000	4965000
4	हायर सेकेण्डरी (कक्षा 9–12)	2453000	782000	3235000
5	स्नातक	..	..	अनुपलब्ध
6	स्नातकोत्तर	..	..	अनुपलब्ध

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी 8

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यताप्राप्त विद्यालयों की संख्या

परीक्षा एवं संख्या	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1985–86	1990–91
1	2	3	4	5	6	7
1––हाई स्कूल परीक्षा––						
लड़कों की शिक्षा संस्थायें	749	1404	2656	4150	4499	4827
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें	130	257	241	692	739	762
योग ..	879	1661	3187	4842	5238	5589
2––इन्टरमीडिएट परीक्षा––						
लड़कों की शिक्षा संस्थायें	334	786	1468	2386	2610	2912
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें	41	148	302	416	445	490
योग ..	375	934	1770	2802	3055	3402

स्रोत––माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

तालिका 9

हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या

परीक्षा	1951	1961	1971	1981	1991
1	2	3	4	5	6
1--हाई स्कूल परीक्षा में पंजीकृत संख्या--					
लड़के	अनुपलब्ध	215252	483161	707254	1404519
लड़कियां	,,	22620	81477	136717	371083
योग ..	110581	237872	564638	843971	1775602
2--परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या--					
लड़के	अनुपलब्ध	204315	447949	671665	1332617
लड़कियां	,,	21526	74824	131799	357980
योग ..	98534	225841	522773	793461	1690597
3--उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या--					
लड़के	अनुपलब्ध	89880	269383	231922	702234
लड़कियां	,,	13860	49262	72588	278985
योग ..	58234	103740	218645	304511	981219

स्रोत--माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश।

सारिणी 10

इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या

परीक्षा	1951	1961	1971	1981	1991
1	2	3	4	5	6
1--इण्टरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत संख्या--					
लड़के	अनुपलब्ध	99600	249683	370586	635315
लड़कियां	,,	13745	51221	103138	211543
योग ..	110581	113345	3000904	473724	846858
2--परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या--					
लड़के	अनुपलब्ध	89542	223786	339536	595512
लड़कियां	,,	12282	46421	94574	201592
योग ..	98534	101824	270207	434119	797104
3--उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या--					
लड़के	अनुपलब्ध	35645	104665	160318	468503
लड़कियां	,,	6557	29281	52550	173560
योग ..	58234	42202	133946	212868	642063

स्रोत--माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश।

सारिणी 11

संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता

मद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1991-92*
1	2	3	4	5	6	7
1--स्वीकृत पाठशालायें	3400	1050	900	957	..	1050
2--छात्रासंख्या	34093	42892	51245	62798	..	92136
3--अध्यापक ..	3603	4644	4420	4580	..	4832
4--सहायता प्राप्त पाठशालायें	332	637	810	867	..	1050
5--राज्य से प्राप्त सहायता (रुपये में)	253512	962953	3573313	21054000	..	अनुपलब्ध

*आंकड़े अस्थायी हैं।

स्रोत--निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश।

सारिणी 12

अरेबिक मदरसों की संख्या और राजकीय सहायता

मद	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	1991–92*
1	2	3	4	5	6	7
1—अरेबिक मदरसा	86	104	146	283	400	389
2—छात्रसंख्या	..	16710	29578	53442	89735	90155
3—अध्यापक संख्या	620	726	1606	3670	5560	5886
4—सहायता प्राप्त मदरसे	186	104	123	209	237	249
5—राजकीय सहायता (रुपयों में)	90672	124154	331515	[illegible]	[illegible]	[illegible]

*आंकड़े अस्थायी है।

स्रोत—निरीक्षक, अरबी-मदरसाज, उत्तर प्रदेश ।

सारिणी 13

प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थाय

मद	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	1991–92*
1	2	3	4	5	6	7
1—ट्रेनिंग कालेज, एल0 टी0 तथा बी0 एड0						
पुरुष	4	7	6	9	9	9
महिला	5	3	4	5	6	6
योग ..	9	10	10	14	15	15
2—विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विभाग बी0 एड0 तथा एम0 एड0 तथा महिला सम्मिलित	2	5	5	8	10	10
3—डिग्री कालेज, बी0 एड0, एम0 एड0						
पुरुष	8	28	44	76	76	77
महिला	1	2	7	23	2	23
योग ..	9	30	51	98	99	100
4—बी0 टी0 सी0						
पुरुष	..	..	..	61	65	65
महिला	..	..	..	49	50	50
योग ..	..	..	..	110	115	115

*आकड़े अस्थायी है।

तालिका 14

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण (छात्र संख्या)

मद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1991-92*
1	2	3	4	5	6	7
1—ट्रेनिंग कालेज (एल0 टी0 तथा बी0 एड0)—						
पुरुष	226	500	659	645	798	804
महिला	337	520	1357	896	848	850
योग ..	563	1020	2016	1541	1646	1654
2—विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण(बी0 एड0 तथा एम0 एड0)—						
पुरुष	312	356	906	1084	1282	1294
महिला	107	144	734	890	992	996
योग ..	419	500	1343	1974	2274	2290
3—डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें (बी0 एड0 तथा एम0 एड0)—						
पुरुष	520	2413	3332	6563	7352	7397
महिला	66	509	4316	4316	5440	5482
योग ..	586	2922	5058	10879	12792	12879
4—बी 0 टी0 सी0—						
पुरुष	..	..	..	2925	3237	3242
महिला	..	..	..	1880	2058	2062
योग ..	..	..	..	4805	5295	5304

*अंकड़े अस्थायी हैं।

सारिणी 15

रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें द्वारा संचालित परीक्षाओं का अंतिम तीन वर्षों का परीक्षाफल

क्रम-संख्या	परीक्षायें	परीक्षार्थियों की संख्या 1989			परीक्षार्थियों की संख्या 1990			परीक्षार्थियों की संख्या 1991		
		सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सी0पी0एड0	192	183	95	190	173	91	194	174	90
2	डी0पी0एड0	159	140	88	174	150	86	175	139	79
3	सी0टी0(गृह विज्ञान)	45	31	69	39	37	95	37	32	86
4	सी0टी0(बधिर)	20	18	90	17	16	95	19	17	89
5	सी0 टी0शिशु	96	90	94	102	92	90	64	58	91
6	एल0 टी0(बेसिक)	94	87	93	115	105	91	97	86	89
7	एल0 टी0 (रचनात्मक)	218	208	95	203	196	97	206	191	93
8	एल0 टी0(गृह विज्ञान)	30	22	73	35	33	94	28	28	100
9	एल0 टी0(सामान्य)	844	593	70	891	741	83	882	789	89
10	बी0 टी0 सी0 (परीक्षा द्वितीय वर्ष)	2872	2628	92	2793	2469	88	3311	2573	78

स्रोत--रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश ।

सारिणी 16

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का अन्तिम तीन वर्षों का परीक्षाफल

वर्ष	विवरण	हाई स्कूल		इण्टरमीडिएट	
		संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
1	2	3	4	5	6
1989	परीक्षार्थियों की संख्या	1007801	153171	492547	191814
	उत्तीर्ण	479799	202305	335331	98834
	प्रतिशत	48	39	68	52
1990	परीक्षार्थियों की संख्या	1024073	581311	534477	214756
	उत्तीर्ण	474991	234700	358202	122067
	प्रतिशत	46	40	67	57
1991	परीक्षार्थियों की संख्या	1093575	597022	558285	238819
	उत्तीर्ण	669664	311555	472817	169246
	प्रतिशत	61	52	85	71

स्रोत--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

सारिणी 17

30 सितम्बर, 1991 को जनपद/मण्डलवार जूनियर बेसिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्रम-संख्या	जनपद/मण्डल	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की संख्या	
			कुल	बालिका	कुल	महिला
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ	1133	194107	92597	3839	1551
2	सीतापुर	1896	329793	112104	4565	959
3	लखीमपुर खीरी	1561	269205	105172	4159	731
4	हरदोई	1666	330560	124610	4911	672
5	उन्नाव	1523	262793	103625	4205	575
6	रायबरेली	1223	292507	111960	4752	630
	लखनऊ मण्डल ..	9002	1678965	650068	26431	5118
1	फैजाबाद	1503	277140	118782	6689	869
2	सुल्तानपुर	1608	324611	131633	5366	739
3	बाराबंकी	1584	277104	99852	4729	896
4	बहराइच	1592	258752	85026	4650	652
5	गोण्डा	2184	296653	99347	5744	808
	फैजाबाद मण्डल ..	8471	1434260	534640	27178	3964
1	बस्ती	2261	395179	121959	7665	643
2	सिद्धार्थनगर					
3	गोरखपुर	2010	403290	131559	7602	1094
4	महराजगंज					
5	देवरिया	2184	440023	152613	6891	927
6	आजमगढ़	1856	483230	178880	8283	1084
7	मऊ					
	गोरखपुर मण्डल ..	8311	1721722	585011	30441	3748
1	बलिया	1323	292267	120633	4996	729
2	गाजीपुर	1091	302276	121418	4713	615
3	जौनपुर	1384	396262	159620	6166	788
4	वाराणसी	1743	409236	158865	9552	1123
5	मिर्जापुर	1695	265435	98603	4671	851
6	सोनभद्र					
	वाराणसी मण्डल ..	7236	1665476	659139	30098	4106
1	बिजनौर	1255	227520	82945	3754	853
2	मुरादाबाद	1866	341315	110531	6713	1346
3	रामपुर	758	139809	50520	1943	443
	मुरादाबाद मण्डल ..	3879	708644	243996	12410	2642

1	2	3	4	5	6	7
1	प्रतापगढ़	1191	268544	95103	4286	520
2	इलाहाबाद	2007	420339	149457	9291	1564
3	फतेहपुर	1103	267463	103403	3784	440
	इलाहाबाद मण्डल ..	4301	956346	347963	17361	2524
1	कानपुर	2292	569256	242760	8212	2052
2	कानपुर देहात					
3	फर्रुखाबाद	1353	290023	112543	4942	841
4	इटावा	1304	298253	126852	5033	912
	कानपुर मण्डल ..	4949	1157532	482155	18187	3805
1	जालौन	991	128591	53145	2547	380
2	हमीरपुर	914	186937	70793	2839	473
3	बाँदा	1318	217627	86522	3643	467
4	ललितपुर	599	114450	43825	1278	271
5	झांसी	928	199826	78297	3383	1056
	झांसी मण्डल ..	4750	847431	332582	13690	2647
1	आगरा	1683	450134	148244	6460	1645
2	फिरोजाबाद					
3	मैनपुरी	1319	283145	111033	3912	511
4	एटा	1233	170109	99795	4425	534
5	मथुरा	1085	191814	65942	3848	705
6	अलीगढ़	1539	323295	110523	5921	1260
	आगरा मण्डल ..	6859	1418497	435537	24566	4655
1	बुलन्दशहर	1366	287182	98043	5234	891
2	गाजियाबाद	784	187593	75314	2835	965
3	मेरठ	1530	319444	121805	6577	1686
4	मुजफ्फरनगर	1383	313860	125677	5653	978
5	सहारनपुर	1608	290875	111773	9493	1535
6	हरिद्वार					
	मेरठ मण्डल ..	6671	1396954	532612	29792	6055
1	बदायूं	1409	252278	88320	4119	763
2	शाहजहाँपुर	1379	230108	83172	3449	651
3	बरेली	1530	333225	149656	4864	1596
4	पीलीभीत	774	121534	45614	2159	465
	बरेली मण्डल ..	5092	937145	366762	14591	3475

1	2	3	4	5	6	7
1	नैनीताल	1361	162498	65027	3591	1156
2	अल्मोड़ा	1493	164422	68567	3673	821
3	पिथौरागढ़	1043	117322	42844	2411	836
	कुमायूं मण्डल ..	3897	444242	176438	9675	2813
*1	पौड़ी-गढ़वाल	1373	137397	63577	2843	742
2	टिहरी-गढ़वाल	1043	94522	36795	1667	427
3	उत्तरकाशी	467	23102	8766	941	190
4	चमोली	861	94817	40904	1675	480
5	देहरादून	923	103112	48769	3167	1271
	गढ़वाल मण्डल ..	4667	452950	198811	10293	3110
	उत्तर प्रदेश राज्य ..	78085	14820164	5545714	264713	48662

*आँकड़े अनुमानित हैं ।

तालिका—18

30 सितम्बर, 1991 को जनपद/मण्डलवार सीनियर बेसिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्रम-संख्या	जनपद/मण्डल	विद्यालयों की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की संख्या	
		कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	235	72	71225	27662	2254	1400
2	सीतापुर	336	163	61357	14917	1940	341
3	लखीमपुर-खीरी	262	167	44833	12680	1516	298
4	हरदोई	372	73	84388	15377	1919	334
5	उन्नाव	366	77	53454	15043	1738	375
6	रायबरेली	349	48	56191	14635	1626	192
	लखनऊ मण्डल ..	820	400	371448	100314	10995	2940
1	फैजाबाद	303	36	166705	50167	2119	349
2	सुल्तानपुर	265	54	68348	15709	1776	132
3	बाराबंकी	237	46	41651	10038	1329	210
4	बहराइच	199	55	37914	9764	1147	159
5	गोण्डा	284	52	90170	20039	1616	196
	फैजाबाद मण्डल ..	1288	243	404788	105717	7987	1046
1	बस्ती	406	84	99647	18564	2661	281
2	सिद्धार्थनगर						
3	गोरखपुर	403	91	83989	20305	2575	418
4	महराजगंज						
5	देवरिया	511	91	92299	26066	3398	377
6	आजमगढ़	386	90	87479	21369	2606	407
7	मऊ						
	गोरखपुर मण्डल ..	1707	356	363414	86304	11240	1483
1	बलिया	322	87	80692	22615	2100	382
2	गाजीपुर	278	71	75886	16588	1993	292
3	जौनपुर	314	73	120815	31226	2119	406
4	वाराणसी	406	112	115996	23130	2806	604
5	मिर्जापुर	249	75	52965	11378	1340	306
6	सोनभद्र						
	वाराणसी मण्डल ..	1569	418	446354	104937	10358	1990

1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिजनौर	188	62	45500	10228	999	215
2	मुरादाबाद	257	87	83029	24027	1909	659
3	रामपुर	100	26	40904	11628	558	158
	मुरादाबाद मण्डल ..	545	175	169433	45883	3466	1032
1	प्रतापगढ़	226	49	55428	14082	1428	135
2	इलाहाबाद	428	141	79628	21856	2555	598
3	फतेहपुर	244	59	61250	13920	1435	261
	इलाहाबाद मण्डल ..	898	249	196306	49858	5418	994
1	कानपुर	698	171	202078	74133	4999	1024
2	कानपुर देहात						
3	फर्रुखाबाद	356	99	67818	23718	4553	316
4	इटावा	365	78	74949	27312	2490	405
	कानपुर मण्डल ..	1419	348	344845	125163	12042	1745
1	जालौन	195	36	44525	10938	1149	213
1	हमीरपुर	211	56	37680	9999	1160	204
3	बाँदा	237	37	51717	11041	1275	181
4	ललितपुर	94	12	14788	4581	418	70
5	झांसी	174	32	33207	9786	934	149
	झांसी मण्डल ..	921	171	181917	46345	4936	817
1	आगरा	333	99	67647	19132	1719	398
2	फिरोजाबाद						
3	मनपुरी	291	59	72081	16204	1344	173
4	एटा	296	72	71034	19128	1941	349
5	मथुरा	190	40	23204	5585	868	166
6	अलीगढ़	333	67	66925	15699	2243	268
	आगरा मण्डल ..	1443	337	300891	75748	8115	1354
1	बुलन्दशहर	165	42	40157	13154	1117	325
2	गाजियाबाद	163	62	50186	18427	1720	826
3	मेरठ	262	103	57843	17669	1755	697
4	मुजफ्फरनगर	221	70	111400	31449	1489	353
5	सहारनपुर	270	60	52819	16413	1716	594
6	हरिद्वार						
	मेरठ मण्डल ..	1081	337	312405	97112	7797	2795
1	बदायूं	236	51	49200	7904	1346	224
2	शहिजहाँपुर	192	28	45959	10510	1204	191
3	बरेली	314	34	94527	33348	1858	583
4	पीलीभीत	135	39	31546	8591	650	153
	बरेली मण्डल ..	877	152	221232	60353	5058	1151

1	2	3	4	5	6	7	8
1	नैनीताल	337	58	34327	12522	1590	3982
2	अल्मोड़ा	244	25	18637	6901	1069	102
3	पिथौरागढ़	228	21	32218	11176	999	77
	कुमायूं मण्डल ..	809	104	85182	30599	3658	577
X 1	पौड़ी गढ़वाल	249	71	21435	9069	1057	262
2	टिहरी गढ़वाल	234	20	16164	5046	844	100
3	उत्तरकाशी	129	7	12141	3918	559	48
4	चमोली	184	11	20864	4532	796	58
5	देहरादून	211	46	29207	12444	1238	536
	गढ़वाल मण्डल ..	1001	155	99811	35009	4494	1044
	उत्तर प्रदेश राज्य ..	15328	3447	3498026	963342	95526	18968

*आँकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी—19

30 सितम्बर, 1991 को जनपद/मण्डलवार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्रम-संख्या	जनपद/मण्डल	विद्यालयों की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की संख्या	
		कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	महिला
1	लखनऊ	117	38	127342	58064	3002	1428
2	सीतापुर	69	15	65211	21251	1115	294
3	लखीमपुर खीरी	53	10	53739	12339	801	122
4	हरदोई	74	8	62949	12609	1080	115
5	उन्नाव	67	12	61145	14072	1132	140
6	रायबरेली	65	10	65628	15607	1042	100
	लखनऊ मण्डल ..	445	93	436014	133942	8172	2199
1	फैजाबाद	111	14	66975	12514	2037	317
2	सुल्तानपुर	100	15	75960	14720	1274	93
3	बाराबंकी	44	4	39103	8702	532	71
4	बहराइच	44	8	43306	10876	789	177
5	गोण्डा	68	9	65104	14212	1134	151
	फैजाबाद मण्डल ..	367	50	290448	61024	5716	809
1	बस्ती	151	10	119570	18489	2645	120
2	सिद्धार्थनगर						
3	गोरखपुर	168	20	192105	38467	3444	434
4	महराजगंज						
5	देवरिया	181	13	167950	30611	3451	148
6	आजमगढ़	164	16	146791	33251	2811	261
7	मऊ						
	गोरखपुर मण्डल ..	664	59	626416	120818	12351	963
1	बलिया	104	11	98351	18139	1830	110
2	गाजीपुर	102	11	99826	22899	1762	142
3	जौनपुर	153	10	125945	24120	2491	136
4	वाराणसी	176	37	178760	47785	3290	611
5	मिर्जापुर	81	12	77308	22798	1350	174
6	सोनभद्र						
	वाराणसी मण्डल ..	616	81	580190	135741	10723	1173
1	बिजनौर	83	16	83631	23651	1404	265
2	मुरादाबाद	126	28	111229	30854	2084	487
3	रामपुर	43	9	32446	11086	560	143
	मुरादाबाद मण्डल ..	252	53	227306	65591	4048	895

1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रतापगढ़	85	6	74009	12574	1322	57
2	इलाहाबाद	220	33	210453	54080	4062	806
3	फतेहपुर	74	5	62413	13023	1206	85
	इलाहाबाद मण्डल ..	379	44	246875	79677	6590	948
1	कानपुर	196	41	216857	76147	3894	1017
2	कानपुर देहात						
3	फर्रुखाबाद	120	18	104330	27030	2881	282
4	इटावा	118	12	101026	25399	2040	213
	कानपुर मण्डल ..	434	71	422213	128576	8815	1512
1	जालौन	70	7	65377	13667	1139	118
2	हमीरपुर	47	6	45948	10636	789	109
3	बांदा	57	7	49921	10319	892	112
4	ललितपुर	17	3	23671	7022	304	69
5	झांसी	59	14	61710	18312	1248	464
	झांसी मण्डल ..	250	37	246627	59956	4372	872
1	आगरा	150	40	148069	48955	2660	834
2	फिरोजाबाद						
3	मैनपुरी	83	11	88092	20436	1479	192
4	एटा	90	11	75086	18798	1374	162
5	मथुरा	107	14	78507	19169	1792	249
6	अलीगढ़	142	24	13397	34487	2680	468
	आगरा मण्डल ..	572	101	523131	141845	9985	1905
1	बुलन्दशहर	179	21	149264	32047	2919	319
2	गाजियाबाद	116	23	128696	38159	2288	525
3	मेरठ	204	44	193404	55913	3931	822
4	मुजफ्फरनगर	98	32	104151	40123	1997	385
5	सहारनपुर	125	23	123576	31075	2436	550
6	हरिद्वार						
	मेरठ मण्डल ..	722	133	699091	197317	13577	2601
1	बदायूं	53	12	56729	15041	870	215
2	शाहजहांपुर	48	10	50215	18354	773	237
3	बरेली	85	18	91196	24709	1455	393
4	पीलीभीत	27	4	31985	8797	403	71
	बरेली मण्डल ..	213	44	230125	66901	3501	916

1	2	3	4	5	6	7
1--नैनीताल	165	32	81237	29662	1622	419
2--अल्मोड़ा	203	19	61836	16673	1642	158
3--पिथौरागढ़	126	14	45195	13402	1130	122
कुमायूं मन्डल ..	494	65	188268	59737	4394	699
*1--पौड़ी गढ़वाल	214	14	52147	14104	1525	170
2--टिहरी गढ़वाल	159	11	35287	9302	1007	18
3--उत्तरकाशी	56	4	17581	5270	440	25
4--चमोली	119	8	32916	9471	942	62
5--देहरादून	104	21	75175	31672	1512	642
गढ़वाल मन्डल ..	652	58	213106	69819	5426	977
उत्तर प्रदेश राज्य ..	6060	889	5029810	1320944	97670	16469

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारणी–20

31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार जनपदवार महाविद्यालय छात्र एवं अध्यापक संख्या

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	विश्वविद्यालय का नाम, जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है	महाविद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	गढ़वाल विश्वविद्यालय	7	16513	419
2	उत्तरकाशी	गढ़वाल विश्वविद्यालय	1	926	52
3	चमोली	गढ़वाल विश्वविद्यालय	3	1948	113
4	पौड़ी-गढ़वाल	गढ़वाल विश्वविद्यालय	4	2092	115
5	टेहरी-गढ़वाल	गढ़वाल विश्वविद्यालय	2	205	15
	योग ..	गढ़वाल मण्डल	17	21684	714
6	नैनीताल	कुमायूं विश्वविद्यालय	6	5709	190
7	अल्मोड़ा	कुमायूं विश्वविद्यालय	6	1173	92
8	पिथौरागढ़	कुमायूं विश्वविद्यालय	4	2780	131
	योग ..	कुमायूं मण्डल	16	9662	413
9	मेरठ	मेरठ विश्वविद्यालय	18	24785	810
10	गाजियाबाद	मेरठ विश्वविद्यालय	13	18707	516
11	सहारनपुर	मेरठ विश्वविद्यालय	5	8473	243
12	हरिद्वार	मेरठ विश्वविद्यालय	7	5326	102
13	बुलन्दशहर	मेरठ विश्वविद्यालय	10	9253	274
14	मुजफ्फरनगर	मेरठ विश्वविद्यालय	8	11159	328
	योग ..	मेरठ मण्डल	61	77703	2273
15	मुरादाबाद	रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय	11	14658	440
16	रामपुर	रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय	2	1825	123
17	बिजनौर	रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय	6	6231	198
	योग ..	मुरादाबाद मण्डल	19	22714	761
18	बरेली	रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय	5	9793	260
19	पीलीभीत	रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय	2	1366	35
20	शाहजहांपुर	रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय	3	3278	93
21	बदायूं	रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय	3	2019	56
	योग ..	बरेली मण्डल	13	16456	444
22	आगरा	आगरा विश्वविद्यालय	7	20460	603
23	फिरोजाबाद	आगरा विश्वविद्यालय	10	9525	251
24	मथुरा	आगरा विश्वविद्यालय	7	7316	226
25	अलीगढ़	आगरा विश्वविद्यालय	6	13005	406
26	एटा	आगरा विश्वविद्यालय	6	7263	149
27	मैनपुरी	आगरा विश्वविद्यालय	3	2347	73
	योग ..	आगरा मण्डल	39	59916	1708

1	2	3	4	5	6
28	लखनऊ	लखनऊ विश्वविद्यालय	19	44936	796
29	हरदोई	कानपुर विश्वविद्यालय	3	3275	77
30	सीतापुर	कानपुर विश्वविद्यालय	5	4033	83
31	लखीमपुर-खीरी	कानपुर विश्वविद्यालय	3	5762	91
32	रायबरेली	कानपुर विश्वविद्यालय	6	5243	140
33	उन्नाव	कानपुर विश्वविद्यालय	3	3778	98
	योग ..	लखनऊ मण्डल	39	67027	1285
34	फैजाबाद	अवध विश्वविद्यालय	7	14070	257
35	सुल्तानपुर	अवध विश्वविद्यालय	8	8795	201
36	बाराबंकी	अवध विश्वविद्यालय	3	3144	46
37	गोन्डा	अवध विश्वविद्यालय	3	5413	161
38	बहराइच	अवध विश्वविद्यालय	3	3218	70
	योग ..	फैजाबाद मण्डल	24	34640	735
39	गोरखपुर	गोरखपुर विश्वविद्यालय	11	10408	298
40	महराजगंज	गोरखपुर विश्वविद्यालय	2	1842	49
41	बस्ती	गोरखपुर विश्वविद्यालय	5	5924	134
42	सिद्धार्थनगर	गोरखपुर विश्वविद्यालय	3	2251	79
43	देवरिया	गोरखपुर विश्वविद्यालय	11	15840	386
44	आजमगढ़	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	10	12478	353
45	मऊ	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	5	3829	80
	योग ..	गोरखपुर मण्डल	47	52572	1379
46	वाराणसी	काशी हिन्दू एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय	19	27147	687
47	गाजीपुर	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	10	8594	243
48	बलिया	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	10	10791	306
49	जौनपुर	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	14	17826	456
50	मिर्जापुर	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	3	5614	98
51	सोनभद्र	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	3	1454	39
	योग ..	वाराणसी मण्डल	59	71426	1829
52	इलाहाबाद	इलाहाबाद, कानपुर एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय	16	26637	623
53	फतेहपुर	कानपुर विश्वविद्यालय	3	2618	42
54	प्रतापगढ़	अवध विश्वविद्यालय	7	5705	161
	योग ..	इलाहाबाद मण्डल	26	34960	826

1	2		3	4	5	6
55	कानपुर		कानपुर विश्वविद्यालय	21	44780	1175
56	कानपुर देहात		कानपुर विश्वविद्यालय	2	985	20
57	इटावा		कानपुर विश्वविद्यालय	7	8847	249
58	फर्रुखाबाद		कानपुर विश्वविद्यालय	9	8544	171
		योग ..	कानपुर मण्डल	39	63156	1615
59	झांसी		बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	4	18048	147
60	जालौन		बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	5	11439	147
61	बांदा		बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	5	7803	167
62	हमीरपुर		बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	4	2141	100
63	ललितपुर		बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	2	1469	26
		योग ..	झांसी मण्डल	20	40900	587
		महायोग ..	उत्तर प्रदेश	419	572816	14569

सारणी–21

1991 की जनगणनानुसार जनपदवार क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं साक्षरता

क्रम-संख्या	जनपद/मण्डल	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	जनसंख्या (हजार में)	साक्षरता प्रतिशत		
				पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ	2528	2734	56.65	39.68	51.16
2	सीतापुर	5743	2850	35.60	13.86	25.34
3	लखीमपुर खीरी	7680	2414	33.64	13.42	26.10
4	हरदोई	5986	2741	40.52	15.91	29.46
5	उन्नाव	4558	2198	42.64	20.20	31.51
6	रायबरेली	4609	2321	43.43	18.26	31.20
	लखनऊ मण्डल ..	31,104	15,258	..	..	..
1	फैजाबाद	4511	2984	45.78	20.61	33.79
2	सुल्तानपुर	4436	2559	45.09	18.05	32.00
3	बाराबंकी	4401	2425	36.32	14.37	26.27
4	बहराइच	6877	2758	29.27	9.18	20.03
5	गोण्डा	7352	3574	32.87	10.85	22.56
	फैजाबाद मण्डल ..	27,577	14,300	..	..	..
1	बस्ती	4284	2758	42.09	16.59	29.85
2	सिद्धार्थनगर	2944	1707	33.20	10.46	22.34
3	गोरखपुर	3324	3044	48.68	20.43	34.33
4	महराजगंज	2948	1678	36.41	8.85	23.36
5	देवरिया	5445	4435	43.92	15.38	29.93
6	आजमगढ़	4214	3149	44.33	18.60	31.39
7	मऊ	1727	1419	46.57	22.52	34.86
	गोरखपुर मण्डल ..	24886	18190	..	..	..
1	बलिया	2988	2250	49.02	22.34	36.03
2	गाजीपुर	3377	2463	48.69	20.42	34.41
3	जौनपुर	4038	3207	49.31	18.25	33.87
4	वाराणसी	5091	4840	51.09	23.48	38.18
5	मिर्जापुर	4952	1662	43.29	17.46	31.28
6	सोनभद्र	6358	1069	38.03	15.12	27.44
	वाराणसी मण्डल ..	26804	16491	..	..	..
1	बिजनौर	4715	2444	41.73	20.62	31.74
2	मुरादाबाद	5967	4104	33.14	14.99	24.93
3	रामपुर	2367	1498	26.67	11.96	19.88
	मुरादाबाद मण्डल ..	13049	8046	..	..	..
1	प्रतापगढ़	3717	2211	48.36	17.91	33.14
2	इलाहाबाद	7261	4927	48.37	19.53	33.83
3	फतेहपुर	4152	1893	48.83	23.03	37.21
	इलाहाबाद मण्डल ..	15130	9031	..	..	..

1	2		3	4	5	6	7
1	कानपुर		1040	2493	64.56	51.86	58.75
2	कानपुर देहात		5137	2137	52.50	26.75	41.52
3	फर्रुखाबाद		4274	2414	48.68	26.76	38.56
4	इटावा		4326	2113	53.57	31.23	43.62
	कानपुर मण्डल	..	14777	9157	..	..	..
1	ज्ञालौन		4565	1217	54.43	25.57	41.33
2	हमीरपुर		7165	1466	45.07	16.80	31.72
3	बांदा		7624	1875	41.82	13.43	28.75
4	ललितपुर		5039	746	35.67	12.98	25.37
5	झांसी		5024	1427	55.32	27.84	42.72
	झांसी मण्डल	..	29417	6731	..	..	..
1	आगरा		4027	2753	57.71	42.95	39.96
2	फिरोजाबाद		2362	1532	48.39	24.01	37.32
3	मैनपुरी		2759	1306	51.34	26.45	39.99
4	एटा		4446	2240	42.90	18.20	31.70
5	मथुरा		3811	1922	50.15	18.26	35.33
6	अलीगढ़		5019	3287	46.26	21.77	35.95
	आगरा मण्डल	..	22424	13040	..	..	..
1	बुलन्दशहर		4353	2826	49.73	20.13	36.06
2	गाजियाबाद		2594	2755	54.80	32.14	43.70
3	मेरठ		3911	3430	51.09	28.91	41.34
4	मुजफ्फरनगर		4049	2929	45.30	23.37	35.29
5	सहारनपुर		3860	2302	42.94	21.45	33.59
6	हरिद्वार		1994	1121	48.61	28.09	39.21
	मेरठ मण्डल	..	20761	15363	..	..	..
1	बदायूं		5168	2440	27.08	10.07	19.46
2	शाहजहांपुर		4575	1982	35.14	15.32	26.22
3	बरेली		4120	2821	35.15	16.79	26.63
4	पीलीभीत		3499	1280	35.71	13.27	25.54
	बरेली मण्डल	..	17362	8523	..	..	..
1	नैनीताल		6794	1585	55.98	34.86	45.42
2	अल्मोड़ा		5385	821	63.33	33.15	47.45
3	पिथौरागढ़		8856	560	63.60	32.15	47.49
	कुमायूं मण्डल	..	21035	2966	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7
*1	पौड़ी गढ़वाल	5397	665	66.84	41.37	53.74
2	टिहरी गढ़वाल	4421	575	57.47	21.94	39.08
3	उत्तरकाशी	8016	238	55.70	19.13	38.03
4	चमोली	9168	442	64.47	32.98	48.58
5	देहरादून	3088	1015	66.02	49.77	58.55
	गढ़वाल मण्डल ..	30090	2935	..	..	..
	उत्तर प्रदेश राज्य ..	294416	139031	45.10	21.07	33.84

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No .... D - 7280
Date 26-11-92

NIEPA DC
D07280

पी0 एस0 यू0 पी0—2 शिक्षा—6-4-'92—2,000 पुस्तकें (मोनो)